लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

मंगलवार, १ मार्च १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमाशुल्क चौकियां

*३४०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारी मंडल ने सीमाशुल्क चौकियों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार से एक समिति नियुक्त करने के लिये अनुरोध किया है, ताकि उन की प्रक्रिया तथा व्यवहार के सुधार के लिये प्रस्ताव बनाये जायें : और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समिति की नियुक्ति का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मंडल ने इन सीमाशुल्क चौकियों के कार्यकरण में किन्ही विशिष्ट त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां, मंडल ने मुख्यतः दो मामलों की ओर ध्यान दिलाया है । एक यह कि सारी प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाये और इस काम के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की जाये और दूसरा यह कि एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय बनाया जाये । इस समय अपील स्वयं बोर्ड द्वारा सुनी जाती है । मंडल ने सुझाव दिया है कि एक पृथक अपीलीय निकाय होना चाहिये । दोनों मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पिछले ६ मासों में प्रक्रिया के नियमों में कोई मूल परिवर्तन किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझ सकता कि मूल परिवर्तन से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है । बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रिया के नियमों में समय समय पर संशोधन किया जाता है ।

दो विदेशी भाषाओं का विद्यालय

*३४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है, जो सरकारी सेवा में नहीं थे, पर जिन्हों ने विदेशी भाषाओं के विद्यालय में इसके खुलने

के बाद से अब तक विभिन्न श्रेणियों में शिक्षा पाई है ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १९५१-५२ में ४, १९५३-५४ में ६ और चालू वर्ष में ७ ?

श्री भक्त दर्शन : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि अब तक इस विद्यालय से बहुत कम संख्या में गैर-सरकारी व्यक्तियों ने लाभ उठाया है, क्योंकि अब इस देश में विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उत्कंठा बढ़ रही है, अतः माननीय मंत्री महोदय गैर-सरकारी व्यक्तियों को और अधिक संख्या में पढ़ाने के लिये किस तरह का प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह विद्यालय विशेषतः सैनिक कर्मचारियों की शिक्षा के लिये खोला गया है। उनके साथ दूसरे विभागों के कर्मचारी भी इसमें शिक्षा पाते हैं। जितना रुपया डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर खर्च करती है और जितनी जगह हमारे पास है उसमें बहुत बड़ी संख्या में हम दूसरे लोगों को इस में भर्ती नहीं कर सकते। यह बात तो माननीय शिक्षा मंत्री से करनी चाहिये।

श्री भक्त दर्शन: जहां तक मुझे ज्ञात है अभी तक इस विद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है यानी अंग्रेज़ी जानने वाले व्यक्ति ही इस में प्रविष्ट हो सकते है क्या मैं जान सकता हूं कि केवल हिन्दी जानने वाले शिक्षार्थियों को भी कोई सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस विद्यालय के कई अध्यापक हैं जो दूसरे देशों से आये हुए हैं, रूसी भाषा के लिये रूस से, चीनी भाषा के लिये चीन से, इत्यादि । इस लिये केवल ऐसा ही माध्यम हो सकता है जो अध्यापक भी जानते हों ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : विद्यार्थियों की भाषावार संख्या क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सैनिक पदाधिकारियों असैनिक गजेटिड पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के भाषावार आंकड़े हैं। यह एक लम्बी सारणी है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं ।

श्री हेडा : प्रश्न संख्या ३८४ को भी प्रश्न संख्या ३४२ के साथ ले लिया जाये ।

श्री दातार : जी हां, ऐसा किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्न इकट्ठे लिये जायेंगे ।

राज्य मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय का विलय

*३४२. **श्री डाभी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय के विलय के बाद राज्य मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों और इस समय राज्य मंत्रालय में होने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में नई व्यवस्था क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : गृह-कार्य मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के मिला दिये जाने के कारण, सारा काम जो कि पहले इन दो मंत्रालयों में होता था, गृह-कार्य मंत्रालय को दे दिया गया है और इस में राज्य मंत्रालय के आवश्यक पदाधिकारी और कर्मचारी भी ले लिये गये हैं ।

राज्य मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय का विलय

*३८४. **श्री हेडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय के विलय के क्या कारण हैं, और

(ख) ऐसा करने से कितनी बचत हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) चूंकि राज्य मंत्रालय को सौंपे गये विशेष कृत्य मुख्यतः समाप्त हो चुके हैं, इसलिये यह निर्णय किया गया था कि १० जनवरी, १९५५ से गृह-कार्य मंत्रालय और राज्य मंत्रालय को मिला कर एक मंत्रालय बना दिया जाये जिसे गृह-कार्य मंत्रालय कहा जाये ।

(ख) इस पग के फलस्वरूप १½ लाख रुपये की बचत होने को आशा है। अधीन संगठनों के संबंध में ६५०,००० रुपये की और बचत होने की आशा है ।

औद्योगिक वित्त निगम

*३४३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी कम्पनियां बन्द हो गई हैं, जिन्हों ने भारत के औद्योगिक वित्त निगम का रुपया देना था और उनके बन्द होने से निगम को लगभग कितनी हानि हुई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : चार कम्पनियां जिन्हों ने निगम का रुपया देना था बन्द हो गई हैं ।

इस अवस्था पर यह अनुमानतया कहना भी संभव नहीं है कि निगम को, इन में से किसी कम्पनी के संम्बन्ध में कोई हानि होगी और यदि हां, तो कितनी, क्योंकि ऋणों के लिये निगम ने जो प्रतिभूतियां ली थीं, उन्हें अभी निपटाया नहीं गया ।

श्री झूलन सिंह : क्या ऋण देने वाले प्राधिकारी ने इन कम्पनियों को ऋण देने से पहले इन की स्थिरता पर विचार किया था ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक ऋण प्रतिभूतियों के आधार पर दिया गया था और अभी उन प्रतिभूतियों का निपटारा नहीं हुआ । रुपया देने स पहले सब बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : औद्योगिक वित्त निगम ने कितनी कम्पनियां अपने हाथ में ले ली हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : चार ।

श्री रामचन्द रेड्डी : वे चार कम्पनियां कौन कौन सी हैं, जो बन्द हो गई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : दी सोडेपुर ग्लास, वर्क्स, दी सोलर बैटरीज़ एंड फ्लैरा लाइट्स लि०, बम्बई, दी पंजाब वनस्पति एंड आयल मिल्ज़, लखनऊ और श्री विक्रम काटन मिल्ज़ लि०, लखनऊ ।

श्री कालीवाल : क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम का सोडेपुर ग्लास वर्कस को नीलाम करने का विचार है और इस नीलामी से निगम को भारी हानि होने की सम्भावना है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में मैं पहले कह चुका हूं कि औद्योगिक वित्त निगम का यह सौदा असफल रहा है और निगम ने इसे बेचने का प्रयत्न किया था । पहले उस ने निजी बातचीत के द्वारा कोशिश की थी; फिर उस ने टेंडरों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन

दिया था । मेरे विचार में इस मामले को समाप्त करने से निगम को कुछ हानि अवश्य होगी ।

जामा मस्जिद, दिल्ली

*३४५. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या उसके आस पास के स्थान को सुधारने की कोई योजना विचाराधीन है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मझे ज्ञात है इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । किन्तु जामा मस्जिद की मरम्मत करने की एक योजना है ।

श्री विश्वनाथ राय : इस मरम्मत का अनुमानित व्यय क्या है ?

डा० एम० एम० दास : दो अनुमान तैयार किये गये थे, एक ११,३८,००० रुपये का था जो कि विशेष मरम्मत के लिए था, दूसरा १७,३९० रुपये का वार्षिक मरम्मत के लिए था ।

श्री विश्व नाथ राय : यह मरम्मत कब तक समाप्त हो जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : मैं यह नहीं कह सकता किन्तु मरम्मत का काम ३ या ४ मास के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

आयुध कारखाने पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट

*३४७. **श्री गिडवानी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आयुध कारखाने पुनर्गठन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कौन कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जो मामले समिति के विचाराधीन थे बहुधा गोपनीय प्रकार के थे और इसकी सिफारिशों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । इन पर विचार किया जा रहा है और जितनी जल्दी सम्भव हुआ सरकार इन के सम्बन्ध में निर्णय करेगी ।

श्री गिडवानी : इन चीजों को गोपनीय समझने के क्या कारण हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस समिति ने देश में रक्षा सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखानों का अधिकतम प्रयोग करने के प्रश्नों पर सविस्तार विचार किया था । इसमें ऐसी जानकारी है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रकट नहीं करनी चाहिए ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि समिति ने उत्पादन में कार्यक्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव दिये हैं, ताकि बहुत सी किस्मों की विशेष रक्षा सम्बन्धी सामग्री तैयार की जाये और यदि हां, तो

इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं।

श्री सतीश चन्द्र : रिपोर्ट केवल दो मास पहले प्राप्त हुई थी। रक्षा और वित्त मंत्रालयों में और आयुद्ध कारखाना महानिदेशक के कार्यालय में इसका अध्ययन किया जा रहा है। सब आलोचनाएं प्राप्त हो जाने पर सरकार प्रत्येक सिफारिश पर विचार करेगी और निर्णय करेगी।

श्री गिडवानी : क्या उसने यह सिफारिश भी की है कि आयुद्ध कारखानों के फालतू सामर्थ्य का अधिकतम प्रयोग असैनिक उत्पादन के लिए किया जाये।

श्री सतीश चन्द्र : जी हां। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं कि असैनिक उत्पादन की कुछ चीजों के लिए आयुद्ध कारखानों का अधिक प्रयोग किया जाये इसने कुछ अन्य चीजों के लिए ऐसे प्रयोग को अवांछनीय बताया है।

वायु बल कर्मचारियों का कल्याण

*३४८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से लेकर सरकार ने वायु बल के पदाधिकारियों और उनके परिवारों के कल्याण और नैतिक अवस्था के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) निकट भविष्य में और कौन से कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). अधिकतर स्थानों पर पदाधिकारियों और उनके परिवारों को निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :

(१) बाल कल्याण और प्रसूति केन्द्र एवं महिला क्लब।

(२) शिविर के भीतर एककों द्वारा चलाये जाने वाले सिनेमा और कंटीनें।

उपरोक्त के अतिरिक्त विवाहितों के लिये स्थान की व्यवस्था भी की जाती है। आगरा, पूना और पालम में रहने के मकान बनाये जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने भारतीय वायु बल केन्द्रों में खेलने के मैदानों की व्यवस्था करने की भी स्वीकृति दी है। और सुविधायें देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री डी० सी० शर्मा : इन वायु बल कर्मचारियों को और कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं और वे किस प्रकार की हैं ?

सरदार मजीठिया : उनमें से मैं कुछ बता चुका हूं। अभी विवाहितों के लिये स्थान पर्याप्त नहीं है। सभा अनुभव करेगी कि विभाजन के पश्चात् अधिकतर कटक और इमारतें पाकिस्तान में रह गईं और सेना तथा वायु बल कर्मचारी भारत आ गये। इससे सैनिकों और पदाधिकारियों के मकान बनाने की समस्या खड़ी हो गई जिसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री डी० सी० शर्मा : चालू वर्ष में सेना कर्मचारियों के कल्याण पर कितना व्यय किया गया है ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा : इन पदाधिकारियों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

सरदार मजीठिया : यह उपलब्ध वित्त पर निर्भर करता है।

श्री भागवत झा आजाद : रहने के मकान वर्तमान आवश्यकता से कितने प्रतिशत कम हैं ?

सरदार मजीठिया : पदाधिकारियों के लिये एक तिहाई और सैनिकों के लिये दो तिहाई।

अमरीकी सहायता

*३५०. **श्री राधा रमण :** क्या वित्त मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के साथ जुलाई १९५४ से जून १९५५ तक विभिन्न परियोजनाओं के लिये अमरीकन सहायता का व्यौरा तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना आवंटन किया गया ; और

(ग) सहायता की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विकास सम्बन्धी और शिल्पिक सहायता के लिये लगभग ७५० लाख डालर।

(ग) जैसे कि तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है विकास के लिए सहायता का ६०५ लाख डालर का अधिकतर भाग ऋण के रूप में होगा और कुल विकास सहायता का लगभग ५० प्रतिशत गेहूं और रूई के रूप में।

श्री राधा रमण : क्या पुनरीक्षित करार के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में दी गई राशि बढ़ गई है या पहले वर्ष जितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : यह लगभग उतनी ही है ।

श्री राधा रमण : सरकार ने अमरीका से सहायता के अंगस्वरूप गेहूं और रूई कितनी मात्रा में प्राप्त की हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई या कि पिछले वर्ष ?

श्री राधा रमण : इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई

श्री बी० आर० भगत : अभी प्राप्त नहीं की है पर १८० लाख डालर की गेहूं और १२० लाख डालर की रूई का आवंटन किया गया है ।

श्री राधा रमण : सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सहायता के बारे में माननीय सभा सचिव ने कहा कि वह ऋण और अनुदान के रूप में होगा। अनुदान की राशि कितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : ऋण ४५० लाख डालर है और शेष अनुदान है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार गेहूं और रूई के अतिरिक्त अमरीका से सहायता के रूप में कोई और वस्तु प्राप्त करने का भी विचार रखती है ?

श्री बी० आर० भगत : गेंहूं, रूई और उर्वरक के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं।

श्री हेडा : सामग्री और सामान के रूप में सहायता के अतिरिक्त क्या हम नकद डालर भी प्राप्त करेंगे ?

श्री बी० आर० भगत : ६०५ लाख डालर की सहायता मूल्य रूप से सामान, सामग्री और उर्वरक के रूप में मिलेगी। इसमें नकदी नहीं होगी।

सशस्त्र सेना कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

*३५१. **श्री अमजद अली :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ में ३१ जनवरी, १९५५ तक सेना, नौसेना और वायु बल के कितने पदाधिकारी और अधीनस्थ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे गये ;

(ख) उन्हें किस आधार पर चुना गया;

(ग) यह प्रशिक्षणार्थी किन देशों को भेजे गये थे; और

(घ) उन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये तीनों सेवाओं के भेजे गये पदाधिकारियों और अधीनस्थों की संख्या निम्न है :

सेना—३३ पदाधिकारी और १० जे० सी० ओ० ।

नौ सेना—२२ पदाधिकारी, ९ छात्र सैनिक और ७० नाविक ।

वायु बल—५७ पदाधिकारी और २४ विमान कर्मचारी ।

(ख) विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजने के लिये किसी व्यक्ति को उसकी उपयुक्तता और सेवा के लिये उसकी उपयोगिता के आधार पर चुना जाता है ।

(ग) यू० के०, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया और कनाडा ।

(घ) ३१ जनवरी १९५५ तक १७·४६ लाख रुपया ।

श्री अमजद अली : इस बात को सामने रखते हुए कि हमारी सेना यूरोपियन तरीके पर बनाई गई है भारत सरकार हमारी सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजने की इस प्रथा को कब तक जारी रखना चाहती है ?

डा० काटजू : यथासम्भव कम से कम समय तक ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मैं समझता हूं पिछले सात या आठ वर्षों से यह अफसर बाहर ट्रेनिंग के लिये भेजे जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश में अभी तक ऐसी सुविधायें नहीं हो पाई हैं कि यह ट्रेनिंग इसी देश में दी जा सके ?

डा० काटजू : देश में जितनी सुविधायें हो सकती हैं उतनी दी जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि कम से कम अफसर वहां भेजे जायें, लेकिन नैवल डिपार्टमैन्ट के अफसरों का भेजना जरूरी होता है क्योंकि हमारे यहां से उसकी सुविधायें कम हैं ।

श्री वेलायुधन : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर १७ लाख रुपया व्यय कर रहे हैं । क्या हम प्रशिक्षण के लिये फीस पर भी व्यय कर रहे हैं या केवल वेतन दे रहे हैं ? क्या सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये कुछ व्यय कर रही है ?

डा० काटजू : हम वेतन, सफर खर्च, दैनिक भत्ता देते हैं और यदि उस देश से कोई अदला बदली का प्रबन्ध न किया गया हो तो उस संस्था को जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों फीस भी देनी पड़ती है ।

बुनियादी शिक्षा-विस्तार

***३५२. डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिये भिन्न भिन्न राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त धन देने के बारे में कोई निश्चय किया गया है

(ख) क्या शिल्पकला के अध्यापकों के प्रशिक्षण और शिक्षा सामग्री के उत्पादन के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस किस राज्य को और कितने कितने अनुदान दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १**]

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार यह अनुदान देते समय इस बात का ध्यान

रखती है कि बुनियादी शिक्षा का विस्तार एकरूपता के आधार पर हो ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, एकरूपता भारत सरकार का उद्देश्य है ।

श्री एस० एन० दास : आवंटन का आधार क्या था और क्या अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों को अपने आपको इसके योग्य बनाने के लिये कोई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस योजना में सात योजनायें हैं । राज्य सरकारें किन्हीं योजनाओं की ओर निर्देश करके केन्द्रीय सरकार को भेज देती हैं। केन्द्रीय सरकार उन योजनाओं को अनुमोदित करती है और लागत का कुछ प्रतिशत अदा कर देती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : हाल ही के एक त्रमासिक सरकारी प्रकाशन में यह कहा गया है कि कुछ प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी कार्य बहुत अच्छा हुआ है और कुछ में नहीं। क्या सरकार ने उन प्रान्तों के दृष्टिकोण पर विचार किया है जहां बुनियादी शिक्षा का काम ठीक प्रकार नहीं हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं सहयोग के आधार पर चलती है, केन्द्रीय सरकार कुछ प्रतिशत धन देती है और शेष राज्य सरकार को देना पड़ता है । कई बार राज्य सरकार अपना भाग अदा नहीं कर सकती । वे राज्य योजना का उतना लाभ नहीं उठा सकते जितने कि अन्य राज्य उठाते हैं ।

श्री केलप्पन : विवरण से मुझे पता चलता है कि मद्रास सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों ?

डा० एम० एम० दास : बुनियादी शिक्षा की यही एक योजना नहीं है । २ या ३ वर्ष से ओर योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं । सम्भव है कि मद्रास सरकार ने अन्य योजनाओं से लाभ उठाया हों परन्तु वर्तमान अतिरिक्त योजना से कोई लाभ न उठाया हो ।

अन्दमान में बस्तियां

*३५५. **श्री सारंगधर दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर १९५४ तक अन्दमान में बसाने के लिये कितने परिवारों को ले जाया गया, और

(ख) क्या जितने परिवार वहां गये हैं उन सब को कृषि के लिये भूमि का आवंटन किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ८८२ परिवार जिनमें पूर्वी बंगाल के ३४२१ विस्थापित लोग हैं, अन्दमान में बसाये गये हैं। इन सब परिवारों को कृषि के लिये भूमि आवंटित की गई है ।

श्री सारंगधर दास : प्रत्येक परिवार को कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई है ?

श्री दातार : प्रत्येक परिवार को कृषि के लिये पांच एकड़ मकान बनाने और फल फूल उगाने के लिये पांच एकड़ भूमि और दी जाती है ।

श्री सारंगधर दास : बैल और औज़ार आदि खरीदने के लिये उनकी क्या आर्थिक सहायता की गई है ?

श्री दातार : प्रत्येक परिवार को मकान बनाने, बैल, कृषि औज़ार, बीज और खाद इत्यादि खरीदने के लिये २,००० रु० दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अन्दमान में विस्थापित लोगों को बसाने के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं ।

श्री दातार : यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं ।

खानाबदोश जाति का बसाया जाना

*३५६. **श्री हेडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाडुल्या लोहारों की खानाबदोश आदिमजाति ने किसी गांवों में बसने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उन्हें बसने का अनुरोध करने के लिये सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य राजस्थान राज्य में गाडुल्या लोहारों के बसने का उल्लेख करते हैं । यह मामला मुख्यतया राज्य सरकार के सम्बन्ध से रखता है । तथापि राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या प्रधान मंत्री ने वहां जाकर उन्हें चित्तोड़गढ़ में बसने के लिये अनुरोध करना स्वीकार कर लिया है ?

श्री दातार : मुझे मालूम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एस० तिवाड़ी, अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।

श्री इब्राहीम : ३५८ ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : प्रश्न संख्या ३८१ को भी ले लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

बिहार में गन्धक के निक्षेप

*३५८. **श्री इब्राहीम** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री शाहबाद जिला (बिहार) के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां हाल ही में गन्धक के निक्षेप पाए गए हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पाईराइट्स के निक्षेप जिनमें ४० से ४५ प्रतिशत गन्धक होती है और जिनकी गन्धक बनाने के लिए रसायनिक सफाई करनी पड़ती है, शाहबाद जिले में अमजोर में पाये गये हैं ।

बिहार में गन्धक

*३८१. **श्री सारंगधर दास** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा बिहार राज्य में हाल ही में गन्धक का एक बड़ा निक्षेप पाया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पाइराइट्स के निक्षेप जिनमें ४० से ४५ प्रतिशत गन्धक होती है; और जिनकी गन्धक बनाने के लिये रसायनिक सफाई करनी पड़ती है, शाहबाद जिले में अमजोर में पाये गये हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : शाहबाद जिला में पाई जाने वाली गन्धक को निकालने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हमने वहां पाइराइट्स निकालने के बारे में राज्य सरकारों और खान खोदने का काम करने वाले व्यक्तियों से पूछा है । सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का मुख्य साधन शुद्ध गन्धक है । देश में वर्तमान संयंत्र इस प्रकार बने हुए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड केवल शुद्ध गन्धक से ही बनाया जा सकता है । गन्धक के स्थान पर पाइराइट्स

को प्रयोग में लाने के लिए इन संयंत्रों में सुधार करना पड़ेगा। जब उद्योग अपने संयंत्रों में सुधार करना स्वीकार कर लेगा, तब अधिक पाइराइट्स निकाला जाएगा।

श्री इब्राहीम : भारत में गन्धक का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश, गंधक शुद्ध रूप में बड़ी मात्रा में नहीं निकलती।

नर्बदा पर पुल

*३५९. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीमाड़ ज़िले में बड़वानी के समीप नर्बदा नदी पर पुल बनाने के लिये जितने धन की आवश्यकता थी, केन्द्रीय सरकार ने मध्य भारत को उतना धन अग्रिम देना स्वीकार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये मध्य भारत सरकार को कुल कितना धन दिया जाएगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बड़वानी के समीप राजघाट पर नर्बदा नदी के ऊपर २१ लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पुल बनाने के मध्य भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और आधी लागत देना स्वीकार किया है।

(ख) अभी कोई धन नहीं दिया गया है क्योंकि अभी राज्य सरकार से नक्शे और प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं यह भी बता दूं कि यह अनुदान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों सम्बन्धी संविधान की धारा २७५ (१) के अधीन दिया जा रहा है।

श्री डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री दातार : अभी तक प्लेन और एस्टीमैट नहीं आए हैं।

श्री डामर : इसका निर्माण कार्य विदेशी कम्पनियों के जिम्मे किया जाएगा या भारतीय कम्पनियों के ?

अध्यक्ष महोदय : यह अभी एक समस्या है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह पुल किसी राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय राजपथ को मिलाता है और यदि हां, तो किस को ?

श्री दातार : यह मध्य भारत में अनूसूचित क्षेत्रों में स्थित है और डामर तथा झाबुआ के आदिवासियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगा।

व्यय में बचत

*३६०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के व्यय में बचत करने के हेतु साधन और उपाय सुझाने के लिये किसी जाँच समिति को नियुक्त करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाने के ज़रिये तो सोचती है, क्या सरकार अपने खर्चे पर नियत्रंण लाने की बात भी कभी सोचती है ?

श्री एम० सी० शाह : नियंत्रण लाना चाहती है और लाती भी है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण लाने

के लिए महात्मा गांधी ने सरकार को पत्र भी लिखे और उसके लिए अल्टीमेटम भी दिया, उसके बाद से आज तक केन्द्रीय सरकार के खर्चे में कोई कमी नहीं की गई ?

श्री टी० के० चौधरी: इसके सम्बन्ध में, कुछ समय पहले, विभिन्न भागों में मितव्ययिता और पुनर्गठन के विभिन्न उपायों का सुझाव देने के लिये एक पुनर्गठन टुकड़ी नियुक्त की गई थी। क्या यह सच है कि इस निकाय की बहुत सी सिफारिशों को, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं, वास्तविक कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसी बात नहीं है। एक पुनर्गठन अर्थव्यवस्था टुकड़ी है जिसमें पहली फरवरी १९५२ को कार्य आरम्भ कर दिया था। उस टुकड़ी ने पहले ही १९ मंत्रालयों में से ७ मंत्रालयों का परीक्षण कर लिया है, और उसने १३१ लाख रुपये की मितव्ययता का सुझाव दिया है। संबद्ध अधिकारियों ने अनुमानतः ५४ लाख रुपये की बचत करने की सिफारिशों को स्वीकार किया है और शेष सिफारिशें अभी उन मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। टुकड़ी को अभी अन्य १२ मंत्रालों का परीक्षण करना शेष है।

श्री एस० एन० दास : इस समिति द्वारा अधिक प्रगति नहीं की गई है, क्या इस बात का ध्यान रखते हुए इस के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ?

श्री एम० सी० शाह : इस के पास पहले ही बड़े वरिष्ट अधिकारी वित्त मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय का एक उपसचिव और वित्त मंत्रालय का एक उपसचिव है और एक अवर सचिव भी है। मैं समझता हूं कि इस समय इसमें पर्याप्त कर्मचारी हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस टुकड़ी का संस्थान व्यय कितना है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं। जितनी बचत की सिफारिश की गई है, उसके सामने यह व्यय बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : ठाकुर युगल किशोर सिंह : अनुपस्थित। श्री वी० पी० नायर।

श्री वी० पी० नायर: ३६२।

श्री जयपाल सिंह : प्रश्न संख्या ३८५ को भी ले लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे भी लिया जा सकता है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान्। एक और प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या ३९५।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। प्रश्न संख्या ३६२, ३८५ और ३९५ लिये जायेंगे।

भारत की केन्द्रीय ओलम्पिक संस्था

*३६२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि भारत की केन्द्रीय ओलम्पिक संस्था सर्वोपरि निकाय होनी चाहिये और इसके ऊपर केवल अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का नियंत्रण हो ; और

(ख) सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल परिषद् के नियंत्रण का अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक निकाय के साथ भारतीय ओलम्पिक संघ के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिषद विद्युत् परामर्शदातृ निकाय होने के कारण खेल संगठन का नियंत्रण नहीं करती, और इसका अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक निकाय के साथ भारतीय ओलम्पिक संघ के सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

खेल तथा क्रीड़ा

*३८५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५४ के अन्दर देश में खेलों और क्रीड़ाओं के नियन्त्रण तथा पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय खिलाड़ी

*३९५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कारणों का पता किया है जो भारतीय खिलाड़ियों को विश्व खेल-कूद प्रतियोगिताओं में सफल होने से रोकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या संयुक्त राज्य खेल-कूद शिक्षकों, अर्थात् मैसर्ज हैमिल्टन और डोहर्टज़ को, जो दिसम्बर १९५४ में भारत में थे, भारतीय खिलाड़ियों की संसार में विजय प्राप्त करने की असफलताओं का कारण जानने और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय सभासचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय परिषद् केवल परामर्शदातृ निकाय है । क्या भारत सरकार के पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह खेल परिषद् द्वारा सिफारिश की गई वित्तीय सहायता को कम कर सकती है ? क्या सरकार के पास स्वीकृत की गई मांगों में कटौती करने की शक्ति है ?

डा० एम० एम० दास : निश्चित रूप से । सरकार चाहे इस निकाय की सिफारिशों और परामर्श को स्वीकार करे या इस के परामर्श को अस्वीकार कर दे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है है कि राष्ट्रीय खेल परिषद् ने अपने अधीनस्थ निकायों को आगामी वर्ष के लिये वित्त सम्बन्धी अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिये कह दिया था ? क्या यह भी सच है कि सरकार सब मांगों को पूरा नहीं करेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमें इस विषय में कुछ मालूम नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार यह समझती है कि जब खेल संगठनों द्वारा मांगें प्रस्तुत की जाती हैं और जब उन मांगों में कटौती की जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि सरकार न केवल प्रशासन का ही नियंत्रण करती है अपितु विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम पर भी नियंत्रण करती है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य कुछ भ्रान्ति में हैं । भारत सरकार का इस देश के खेल संगठनों का नियंत्रण या विनियमन करने का तनिक भी इरादा नहीं है । वह केवल यह चाहती है कि देश में खेलों और क्रीड़ाओं का स्तर ऊंचा

उठाया जाए और इसी कारण वह यथासंभव आर्थिक सहायता देना चाहती है।

श्री वी० पी० नायर : जब सहायता का निर्णय सरकार के हाथ में है, और जब उसकी सहायता पर आधारित विभिन्न निकायों को अपने खेलों को मान्यता देना है, तो क्या माननीय सभा सचिव इसे नियंत्रण नहीं समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो इस विषय पर तर्क किया जा रहा है कि नियंत्रण क्या होता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि सब संघों से, जिनके सभापति राष्ट्रीय खेल परिषद् के सदस्य होते हैं, मिल कर भारतीय ओलम्पिक संस्था बनती है क्या सरकार को यह भी विदित है कि यद्यपि भारत सरकार को भारतीय ओलम्पिक संघ में चार स्थान दिये गये हैं, किन्तु भारत सरकार के प्रतिनिधि भारतीय ओलम्पिक संघ की बैठकों में कभी नहीं जाते, या जब कभी वे जाते हैं, तो वे निकाय के लिये काम करना असम्भव बना देते हैं ?

डा० एम० एम० दास : ये आन्तरिक मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का सम्बन्ध निकाय की आन्तरिक स्वायत्तता से है।

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती

*३६३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति करते समय ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने राजनीतिक कार्यों में भाग लिया था; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उप मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). अभ्यर्थियों का चुनाव केवल गुणों के आधार पर ही किया जाता है। यदि अभ्यर्थियों में सभी गुण समान हों, और उनमें चुनाव करना हो, तो अन्तिम चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसने राष्ट्रीय कार्य में भाग लिया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सत्य नहीं है कि राष्ट्रीय कार्य के बल पर विभिन्न सेवाओं के लिए ऐसे व्यक्तियों को भरती किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से कांग्रेस तथा इसके कार्यों से सम्बद्ध हैं ?

श्री दातार : नहीं, यह बिल्कुल गलत है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री के नोटिस में कोई ऐसा मामला आया है कि किसी नौकरी में ऐसे व्यक्तियों को भरती किया गया हो जो कि पहले कभी किसी मंत्री के राजनीतिक कार्यों से सम्बन्धित थे ?

श्री दातार : नहीं, सरकार के पास ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं आई।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि स्वाधीनता संग्राम में जिन राजनीतिक पीड़ितों ने भाग लिया था उन्हें सरकारी नौकरी मिलने में अभी भी अड़चनें होती हैं और इस पर उन्हें असन्तोष है ?

श्री दातार : जब यह बात सरकार की नज़र में आती है तो इस पर विचार किया जाता है।

श्री एम० एम० लिंगम : क्या यह विनियम केवल सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों पर ही लागू होता है अथवा लोक-सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होता है ?

श्री दातार : सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों पर लागू होता है; और जब भी कोई मामला लोक-सेवा आयोग को

निर्देशित किया जाता है तो लोक-सेवा आयोग भी इसे ध्यान में रखता है ।

माध्यमिक शिक्षा-परिषद्

*३६४. **श्री रनदमन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक माध्यमिक-शिक्षा-परिषद् को स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; तथा

(ग) इस परिषद् का मुख्य कार्य क्या होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) इसका जवाब हां में है । गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक ऐसी काउंसिल बनायी जाय ।

(ग) एक स्टेटमेंट रख दिया गया है जिससे तफसीली बातें मालूम होंगी । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २**]

श्री रनदमन सिंह : क्या यह काऊंसिल बुनियादी शिक्षा का खास खयाल रखेगी ?

मौलाना आज़ाद : आपका सवाल तो इस बारे में था कि सैकेंडरी एजूकेशन के लिए कोई काउंसिल बनायी जायगी या नहीं । यह उसका जवाब दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल स्पष्ट नहीं था । आप माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछना चाहते हैं या बेसिक शिक्षा के बारे में ?

श्री रनदमन सिंह : माध्यमिक शिक्षा के लिए जो काउंसिल बनायी जायेगी उसके कार्य तक इन जाने की सम्भावना है ?

मौलाना आज़ाद : वह बेसिक तालीम को भी देखेगी । यानी बेसिक तालीम का जितना हिस्सा सैकिंडरी एजूकेशन से ताल्लुक रखता है उस पर गौर किया जाएगा ?

श्री एन० बो० चौधरी : इस परिषद् की रचना का रूप क्या होगा ?

डा० एम० एस० दास : इसमें शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड के तीन सदस्य हैं । ६ सदस्य राज्य शिक्षा विभागों से चुने गए हैं, ६ शिक्षा शास्त्रियों को बोर्ड के अध्यक्ष ने नाम-निर्देशित किया है, उसमें प्रशिक्षण महाविद्यालयों के आचार्यों के प्रतिनिधि भी हैं और अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षा तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हैं ।

डाकू

*३६५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि 'मान सिंह गिरोह' और 'लखन सिंह गिरोह' नामक दो डाकू गिरोहों ने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में चंबल नदी की घाटियों में और उसके आस पास के राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, लूट और हत्या के कारण भय फैला रखा है, जिसके विषय में नित्य प्रति समाचार पत्रों में समाचार आते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे प्रभावित होने वाले राज्य की सरकारों से कहा गया है कि वे इन डाकुओं के हाथों मारे जाने वाले व्यक्तियों, लूटी गई सम्पत्ति और अन्य प्रकार की हानियों के विषय में रिपोर्ट भेजें; तथा

(ग) ऐसी रिपोर्टों में क्या लिखा गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं। तो भी सम्बन्धित राज्य सरकारें भारत सरकार को समाचार भेजती रहती हैं।

(ग) आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया है।

श्रीमती इला पालचौधरी : ये गिरोह इन ज़िलों में कितनी देर से ऐसे कुकर्म कर रहे हैं ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्या को बता देना चाहता हूं कि वहां पर पहले ९ गिरोह थे। उन में ६ गिरोहों का तो पूर्णरुपेण अन्त कर दिया गया है। और अब केवल दो ही गिरोहों की समस्या रह गयी हैं। और उनके विषय में भी सफलता पूर्वक कार्यवाही की गई है।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार का कोई अनुमान है कि इन गिरोहों द्वारा वहां पर वास्तव में कितने व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री दातार : वहां पर अधिक संख्या में व्यक्ति मारे गए हैं; यह सत्य है। परन्तु यह संख्या इतनी भारी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य सम्भवतः सोच रहे हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : हमारी पुलिस ने कितनी बार उनसे जम कर युद्ध किए थे, परन्तु परिणामस्वरूप वे गिरोह वहां से भाग गए थे ?

श्री दातार : लगभग ६८ बार मुठभेड़ हुई है ; और हमारी पुलिस को अनेक बार सफलता प्राप्त हुई है।

श्री जी० एस० सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि गिरोहों का अन्त कर दिया गया है। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि वे गिरोह जो तितर बितर हो गए थे, वे अन्य दो गिरोहों में जा मिले हैं ?

श्री दातार : इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं। मैंने कहा है कि उन्हें समाप्त कर दिया गया था न कि केवल तितर बितर किया गया था।

चांदी शोधत संयंत्र

*३६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी-शोधन-संयंत्र के भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) संयंत्र के भवन निर्माण का कार्य अभी तक चालू है ; ऐसी आशा की जाती है कि १९५५ के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या पश्चिमी जर्मनी से सामान की तीसरी किश्त, जो कि वहां से जनवरी १९५५ तक भेज दी जानी चाहिए थी, अभी तक यहां पहुंच गयी है या नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा : सार्थ विशेष ने यह वचन दिया था कि यंत्रों को तीन किश्तों में संभरित किया जाएगा। उनमें से दो किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। परन्तु क्योंकि भवन निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वे यंत्र वहीं पर रखे हुए हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या समय की कोई ऐसी सीमा निर्धारित की गयी थी कि इस समय तक कारखाना उत्पादन करना प्रारम्भ कर दे ?

श्री ए० सी० गुहा : जहां तक कारखाने के उत्पादन प्रारम्भ करने का सम्बन्ध है, इसके विषय में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी । हमारा आभार यह है कि हमें उधार पट्टे की चांदी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापिस लौटानी है । मेरा विचार है कि हमें अवधि बढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि १९५६ की समाप्ति से पूर्व कारखाना उत्पादन-कार्य प्रारम्भ न कर सकेगा ।

उर्वरक अभियोग

*३६७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ के दौरान में उर्वरक अभियोग को चलाने के लिए, जिसके लिए अनुपूरक अनुदान की अपेक्षा थी, नियुक्त किए गए विशेष वकील को वास्तव में कितनी धनराशि फ़ीस के रूप में दी गयी है ;

(ख) यह मामला कितनी देर से अनिर्णीत अवस्था में पड़ा है और यह कितनी देर तक इसी अवस्था में पड़ा रहेगा ; तथा

(ग) विपक्ष में कौन लोग हैं और व्यापक रूप से यह अभियोग क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ५०,६७७।६ रुपये (५ दिसम्बर, १९५४ तक) ।

(ख) १९ जनवरी,१९५५ के निर्णय के उपरान्त अभियुक्तों ने दोषसिद्धियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की थी, जो अभी लम्बित हैं । यह कहना सम्भव नहीं है कि उच्च न्यायालय कब तक इन अपीलों को निपटा देगा ।

(ग) पहले मामले में विपक्ष की पार्टी के निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. श्री एस० वाई० कृष्णास्वामी
२. श्री सी० एस० डी० स्वामी
३. श्री आर० एम० नानावती
४. श्री एन० के० साहनी
५. श्री आर० बी० शाह
६. श्री आर० डी० आपटे
७. श्री डी० एन० अनविकर
८. श्री जे० आर० कपाडिया

'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के सम्बन्ध में, सर्वश्री नानावती एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने रूस से उर्वरक मंगा कर संभरित करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की थीं, परन्तु अभियुक्त पदाधिकारियों की सहायता से उन्होंने ऐसे सामान पर बड़े ऊंचे भाव लगाने का प्रबन्ध कर लिया था । वास्तव में उन पदाधिकारियों को घूस दे दी गयी थी, जिस सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ी ।

सर्वश्री एस० वाई० कृष्णास्वामी और सी० एस० डी० स्वामी के विरुद्ध उर्वरक दूसरे मामले में, अपराध यह था कि इन दोनों अभियुक्त पदाधिकारियों ने एक दूसरे से मिल कर षड्यन्त्र करके अनेक प्रकार से धन तथा बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करके अमोनिया सल्फ़ेट और अन्य उर्वरकों के क्रम में बहुत से सार्थों के प्रति अनुचित ढंग में पक्षपात किया था ।

श्री के० सी० सोधिया : यह अभियोग कब प्रारम्भ किया गया था ?

श्री दातार : यह मामला ४-४-१९५२ को प्रारम्भ किया गया था ।

श्री के० सी० सोधिया : अब तक इस मामले पर कुल कितना खर्च आ चुका है ?

श्री दातार : कुल खर्च के बारे में मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इन पदाधिकारियों ने घूस ली थी। इन्होंने कुल कितनी राशि घूस के रूप में ली थी ?

श्री दातार : घूस के रूप में ली गई कुल राशि के सम्बन्ध में बताना कठिन है, क्योंकि दूसरे मामले में ऐसा निर्णय किया गया था कि घूस लेने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं ।

अष्टम् अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति सम्बन्धी कांग्रेस

*३६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत ने अष्टम अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति शास्त्र सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि भेजे गए थे;

(ग) क्या यह सत्य है कि विश्व के ट्रापीकल बागानों की उचित व्यवस्था करने के लिये गवेषणा तथा शिल्पिक जानकारी के लिए एक योजना बनाई गयी थी; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या उस योजना से भारत भी सम्बन्धित है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी हां । कांग्रेस का अधिवेशन पैरिस में २ से १३ जुलाई १९५४ तक हुआ था और उसमें भारत के निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्मिलित थे :

(१) डा० वी० पी० पाल, नेता संचालक, भरतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली ।

(२) डा० पी० महेश्वरी, वनस्पति शास्त्र के प्रोफैसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

(३) प्रोफेसर के० एन० कौल, संचालक, राष्ट्रीय वनस्पति सम्बन्धी-बागान, लखनऊ ।

(४) डा० के० ए० चौधरी, काठ-शिल्प वैज्ञानिक वन-गवेषणा संस्था, देहरादून ।

(ग) तथा (घ). हां श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि गवेषणा की योजना क्या है और भारत उससे किस प्रकार सम्बन्धित है ?

श्री के० डी० मालवीय : वनस्पति विज्ञान की उन्नति से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा हुई थी और हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने उस सम्मेलन की उपसमितियों में अध्यक्षता की और उनमें भाग भी लिया । वनस्पति-बागान विभाग में विशेषकर बैठकें हुई जिसमें हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे वहां पर विश्व के वनस्पति बागान के उत्तम संगठन पर विचार किया गया और एक विनिमय सम्बन्ध स्थापित करने वाली समिति नियुक्त की गई, जिसमें हमारे प्रतिनिधि को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि वनस्पति वैज्ञानिकों की जो अन्तर्राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के रूप में बनाई गई थी, उसे

भारत तथा मलाया सम्बन्धी विषय सौंपे गये थे, और क्या हमारे प्रतिनिधि, जिनके नाम माननीय मंत्री ने बताये हैं, इसमें हैं, और क्या मलाया भी उसके साथ सम्बन्धित है, और यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। माननीय मित्र ठीक कहते हैं। विनिमय सम्बन्ध समिति, जो कि ट्रापिकल (उष्ण-कटिबन्ध के) देशों के लिए नियुक्त की गई थी, उसमें दो वैज्ञानिक थे; एक हमारे प्रतिनिधि प्रो० कौल थे और दूसरे शायद सिंगापुर, राष्ट्रीय वनस्पति बागान के निदेशक थे—मैं उनका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने तब से भारत में वनस्पति बागान के विकास के लिए कोई स्पष्ट योजना बनाई है? यदि हां तो क्या कोई योजना शिलीपुर (पश्चिमी बंगाल) के वनस्पति बागान से भी सम्बन्धित है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। राष्ट्रीय वनस्पति बागान के विकास की योजनाओं पर सरकार अभी विचार कर रही है। उनमें से एक तो लखनऊ में तैयार भी हो चुकी है और इस देश में दूसरी योजनाओं के चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : जो गवेषणा कार्य हमारे राष्ट्रीय वनस्पति बागान लखनऊ में हो रहा है, क्या वह इस सन्था को सहायक होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं कह सकता।

सैनिक दुग्धशालायें

*३६९. **श्री हेम राज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सैनिक दुग्धशालाओं में कितने फालतू बछड़े हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ३१ दिसम्बर, १९५४ को फालतू बछड़ों की संख्या ४६५ थी।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मिलेटरी डेरी फार्म कहां कहां पर हैं और उन में फालतू जानवरों की तादाद क्या है ?

सरदार मजीठिया : मैं उसके लिए पूर्वसूचना चाहता हूं। यह एक लम्बी सूची है और मेरे पास इस समय तैयार नहीं है।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो फालतू जानवर हैं उनको किसानों को देने का कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : हां, उन लोगों को जो पालन में रुचि रखते हैं यह मुफ्त दिये जाते हैं। वास्तव में वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं तथा अर्ध सरकारी अथवा धार्मिक संस्थाओं और लोगों को भी दिए जाते हैं जो बछड़े पालने में रुचि रखते हैं।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितने जानवर दे दिये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : १ जुलाई तथा ३० सितम्बर, १९५४ के बीच १२८० बछड़े दिए जा चुके हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में कितने मिलेटरी डेरी फार्म हैं और सन् ५४-५५ में कितने बछड़े और बछड़ियां उनके द्वारा दी गयीं ?

सरदार मजीठिया : प्रथम भाग के सम्बन्ध में मैंने उत्तर पहले ही दिया है कि मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है। जहां तक

दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि लगभग ४,००० बछड़ों का प्रत्येक वर्ष अतिरेक हो जाता है ।

दिल्ली में अपराधों की घटनायें

*३७०. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या गृह-कार्य मंत्री सभा-पटल पर इस जानकारी का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में १९५४ में हुए अपराधों की संख्या निम्न शीर्षों के अधीन कितनी है; (१) हत्या, (२) डकैती, (३) अपहरण, (४) भगा कर ले जाना तथा (५) आपराधिक हमला ;

(ख) उन अपराधों, जिनका पता नहीं चलता, का प्रतिशत क्या है ; और

(ग) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें अपराधी बरी हुए और भाग (क) में निर्दिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत पुलिस की निन्दा की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

माननीय सदस्य की जानकारी के हेतु, मैं बताना चाहता हूं कि केवल एक मामले में दंडाधिकारी ने असन्तोषजनक पड़ताल करने के कारण दो पुलिस अधिकारियों की निन्दा की ।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : अपराधों के पता लगाने के कार्य का सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री दातार : पड़ताल में सुधार करने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्री दातार : यदि मुझे ठीक याद हो तो यह संख्या लगभग १०,००० है ।

श्री राजा रमण : जो प्रतिशत अभी माननीय मंत्री ने बताया है, इसकी तुलना गत वर्ष के प्रतिशत से किस प्रकार की जा सकती है ?

श्री दातार : अपराधों में कमी हुई है और अपराधों का पता अधिक लगा है और पड़ताल भी ठीक ठीक होती रही है ।

श्री केलप्पन : कितने मामलों में अपराधियों को दंड मिला ?

श्री दातार : मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं ।

फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता

*३७१. **सेठ गोविन्द दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५४ में फोर्ड प्रतिष्ठान ने कुल कितना व्यय किया था ;

(ख) किन-किन राज्यों में इसमें से अधिकांश राशि व्यय हुई थी ;

(ग) इस राशि का उपयोग प्रायः किस कार्य के लिए किया जाता है ; और

(घ) विस्तार योजनाओं में कितने विदेशी न्यास (ट्रस्ट) सहयोग दे रहे हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (घ). इच्छित जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे यथासमय सभा में प्रस्तुत किया जायगा ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक फोर्ड प्रतिष्ठान का सम्बन्ध है, सन् १९५३ में हम को जो सहायता मिली, उससे १९५४ में अधिक मिली या कम मिली है और १९५५ की क्या स्थिति है ?

श्री बी० आर० भगत : यह सारी सूचनायें तो जब तक सारी बातें उपलब्ध नहीं हो जायेंगी तब तक नहीं दी जा सकती हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार के पास समय समय पर इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं आते हैं और इकट्ठी यह सूचनायें मंगायी जा रही हैं या समय समय पर सरकार के पास इनके आंकड़े उपस्थित होते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : अभी जो फोर्ड प्रतिष्ठान से मदद मिली है, उसका जो हिसाब किताब होता है उसमें राज्य सरकारों की, केन्द्रीय सरकार की और फोर्ड प्रतिष्ठान की मदद मिली जुली होती है और जिन योजनाओं में इनसे मदद मिली है वह सारे देश में फैली हैं, आंकड़े जब तक इकट्ठे न किये जा सके कि अब तक उनको कहां कहां से मदद मिली है, यह सूचना देना मुश्किल है ?

सेट गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि समय समय पर इसके आंकड़े सरकार के पास आते हैं, या अब मंगाये जा रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : आते हैं। ५३-५५ के लिये यदि माननीय मेम्बर अलग से सूचना दें तो वह सूचना दी जा सकती है।

पंचवर्षीय योजना

*३७२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण उधार संभरण के अल्पकालीन, मध्यम कालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के उधार की कितनी रकमें दी गई ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं--

(१) रक्षित बैंक (रिज़र्व बैंक) ने राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालीन स्थान रियायती दरों पर लेने के लिये अवधि में विस्तार किया है और उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया है और प्रक्रिया में उदारता दिखाई है। उन सुविधाओं के उपयोग किये जाने में क्रमिक वृद्धि हो रही है। राज्य सरकारी बैंकों ने १९५०-५१ में जो कुल रकम ली थी, वह ५.३७ करोड़ रुपये थी अर्थात् यह योजना के प्रथम वर्ष में थी और १९५३-५४ में यह रकम १४.७१ करोड़ रुपये हो गई।

(२) हाल ही में भारत रक्षित बैंक अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिससे कि वह मध्यम कालीन ऋण भी दे सकें।

(३) राज्य सरकारों द्वारा अधिक अन्न उपजाऊ योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बड़ी रकमें आवंटित की जा रही हैं।

(४) कई वर्षों से रक्षित बैंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के मान्य ऋण पत्रों में रुपया लगाता रहा है। हाल ही में निर्णय किया गया है कि बैंक तथा सरकार ऐसे मामले में २० प्रतिशत तक ऐसा रुपया दे जहां केन्द्रीय भू-बन्धक बैंक उत्पादन की वृद्धि के लिए रुपया देने में मान्य नीतियों का अनुसरण करता हो।

(५) रक्षित बैंक ने हाल ही में एक व्यापक ग्रामीण उधार सर्वेक्षण कार्य किया था जिसका प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५४ में प्रकाशित हुआ था। इस समय, उसकी सिफारिशों पर जिनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उधार सम्बन्धी सुविधाओं का महान् प्रसार करना है--सरकार द्वारा तेजी से विचार किया जा रहा है। एक अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश जो

कि भारत के राज्य बैंक से सम्बन्धित हैं, सैद्धान्तिक रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(ख) सम्बद्ध राज्यों से आवश्यक जानकारी मंगवाई गई है। जानकारी की प्राप्ति के पश्चात् एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इम्पीरियल बैंक के राज्य बैंक बनाये जाने से उन दरों की असमानता कम हो जायगी जिन पर अब रक्षित बैंक द्वारा ग्रामीण-उधार दिया जाता है और सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी संस्थाओं के आरम्भिक सदस्यों को ऐसा उधार दिया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : इन दोनों में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यदि इम्पीरियल बैंक की शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक प्रकार से कार्य करें, तब सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने आर्थिक सदस्यों से लिए जाने वाले ब्याज पर कोई अप्रत्यक्ष प्रक्रिया हो सकती है।

श्री एन० बी० चौधरी : योजना अवधि के प्रथम वर्षों के लिए जिन रकमों के उपबन्ध किये जाने के बारे में योजना आयोग ने सिफारिश की थी, उनका उपबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : रुपये को यों ही देना सम्भव नहीं है, जब तक कि उसे ग्रहण करने के लिए कोई उचित संगठन न हो। अब तक तो यह सहकारी बैंक थे जिनके द्वारा सरकार उधार की रकमों का वितरण करती रही है। किन्तु बहुत से राज्यों में सहकारी बैंक ठीक ढंग से अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, यद्यपि उन्हें बार बार याद दिलाया गया है और रक्षित बैंक ने भी विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्यों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कई लाभदायक सझाव भी दिए हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार रक्षित बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऐसे ऋण को किसी शर्त पर देती है कि यह ऋण आवश्यक रूप से सहकारी संस्थाओं के आरंभिक सदस्यों द्वारा अगले वर्ष दिया जाना चाहिए।

श्री ए० सी० गुहा : यह अल्प-कालीन ऋण होता है और यह सामयिक कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए होता है, जो १८ मास तक दिया जा सकता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ग्रामों में ग्रामीण उधार सम्बन्धी व्यवस्था करने वाली सहकारी संस्थाओं के कार्य में जो कमी रह गई है, क्या सरकार उसके सम्बन्ध में बता सकती है; और सरकार उस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार करती है ?

श्री ए० सी० गुहा : इसके लिए एक लम्बे उत्तर की आवश्यकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस समय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है और इस प्रतिवेदन के एक विचारनीय भाग से सहकारी संगठनों में सुधार सम्बन्धी बहुत से सुझाव मिलेंगे। रक्षित बैंक तथा सरकार इस मामले में बहुत उत्सुक है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान केवल इस तथ्य की ओर ही दिला सकता हूं कि १९५०-५१ में सहकारी संस्थाएं रक्षित बैंक से केवल ५ करोड़ रुपया ले सकी, १९५३-५४ में १५ करोड़ रुपया लिया गया और १९५४-५५ में रक़म इससे भी ज्यादा है। यह प्रश्न सहकारी संस्थाओं के क्रमिक विकास का प्रश्न है।

भर्ती

*३७३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक तथा अन्य राजस्व कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार की जाती है ; और

(ख) क्या सरकार तत्सम्बन्धी नियमों को सभा-पटल पर रखेगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अन्य राजस्व कर्मचारियों से सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय ऐसे अन्य गजेटिड तथा नॉन गजेटिड कर्मचारियों से है जो कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में हैं। इस बात को मानते हुए स्थिति यह है, कि नॉन गजेटिड पदों की, जिसमें निरीक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं, अतः काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा सीधी भर्ती से भी पूर्ति की जाती है और अंशतः उपयुक्त विभागीय कर्मचारियों के छोटे वर्गों से उन्नत करके भी दी जाती है; इस समय गजेटिड पदों की पूर्णतया उन्नति से अथवा अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण के पश्चात् पूर्ति की जाती है।

(ख) भर्ती सम्बन्धी जो प्रक्रिया है उसका विनियमन अंशतः तो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा होता है जो इस सभा के सदस्यों को उपलब्ध हैं और अंशतः अधिक विभागीय अनुदेशों से भी होता है जो समय-समय पर जारी किये जाते हैं।

श्री एम० एल० अग्रवाल : जो व्यक्ति उत्पादन शुल्क निरीक्षक के पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, क्या उनका प्रवरण किसी समिति या प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक नियुक्ति किसी समिति द्वारा नियमित होती है। कोई ऐसा विशेष प्राधिकारी नहीं है जो यह नियुक्ति करता हो।

श्री एम० एल० अग्रवाल : उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : एक विभागीय पदोन्नति समिति है जो उन पदों के सम्बन्ध में नियुक्तियों के मामलों पर विचार करती है जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने होते हैं, और विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न विभागीय समितियां हैं। अतः, मैं एक दम विभागीय पदोन्नति समितियों के सदस्यों के बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकता।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : निश्चय ही, और साधारणतया कोई भी नियुक्ति अवश्य ही काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा करनी पड़ती है।

इंगलिस्तान के साम्राज्यिक सर्वबलाधिकरण के प्रमुख की यात्रा

*३७५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलिस्तान के साम्राज्यिक सर्वबलाधिकरण के प्रमुख (सर जौन हार्डिंग) ने दिसम्बर १९५४ में हमारे सैन्यदलीय और प्रशिक्षण संस्थापनों को देखा था ;

(ख) क्या इन रक्षा संस्थाओं का दौरा करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया था ; और

(ग) क्या उन्होंने अपने दौरे पर कुछ विचार व्यक्त किए हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सर जौन हार्डिंग को इतना समय मिल सका कि वह समस्त केन्द्रों में जा सके या उन्हें केवल कुछ चुने हुए केन्द्र ही दिखाये गये ?

डा० काटजू : उन्होंने केवल थोड़े से ही केन्द्र देखे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह आमन्त्रण देने का कोई विशेष उद्देश्य था, और क्या वह उद्देश्य पूर्ण हो गया ?

डा० काटजू : कोई विशेष उद्देश्य न था। यह सर्वथा एक शिष्टता की बात थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने कुछ केन्द्रों में सुधार करने के लिए कोई परामर्श या सहायता दी है ?

डा० काटजू : श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की ।

रक्षा कर्मचारियों की मां

*३७७. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री २४ दिसम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार करने के लिए एक न्याय धिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार तथा उनके प्रतिनिधियों के बीच कोई यथोचित बैठक आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निश्चय किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). सरकार तथा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच परक्रामणकारी संस्था की उच्च स्तरीय प्रथम बैठक ३१ जनवरी, १९५५ को हुई थी । क्योंकि संघ द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों में से कुछ पर सन्तोषजनक समझौता हो गया था, इसलिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

श्री गिडवानी : क्या उनकी मांगों के बारे में आगे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, परक्रामणकारी संस्था की बैठक प्रति चार मास पश्चात् होगी । समय-समय पर संघ महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत कर सकता है । यह स्वीकार किया गया था कि उस दिनांक को जो मामले अनिश्चित रह गये थे, उन पर सरकार आगे विचार करेगी ।

श्री गिडवानी : क्या उनकी कोई मांग स्वीकार की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : हां, श्रीमान् । उस दिन तीन महत्वपूर्ण निश्चय किये गये थे । एक यह था कि ई० टी० ई० के कर्मचारी वर्ग की आधी सेवा की गणना पदाग्रता तथा पदोन्नति के मामलों में की जायेगी । एक अन्य निश्चय आवड़ी, देहू रोड और पनागढ़ में, जो मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं हैं, रक्षा कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में किया गया था । परक्रामणकारी संस्था के विधान में यह बात जोड़ी गई कि यदि संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कोई समझौता न हो तो सरकार की इच्छानुसार एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जा सकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि आल इंडिया डिफेन्स एम्प्लायीज़ फेडरेशन ने जितनी भी मांगें आपके सामने रखी हैं, वह सारी की सारी कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंजूर कर ली गई हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : परक्रामणकारी संस्था की बैठक में जो निश्चय किये गये थे क्या उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश दिये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । माननीय सदस्य चर्चा में उपस्थित थे । हज़ारों लोगों की पदाग्रता सूची बनाने में कुछ समय लगेगा ।

अफीम

३७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५४-५५ में अब तक भारत में अफीम की कृषि से प्राप्त हुए राजस्व का उल्लेख हो ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : एक विवरण, जिसमें ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले नौ मासों में अफीम से प्राप्त राजस्व का उल्लेख है, लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री डी० सी० शर्मा : सरकार को किस राज्य से अधिकतम और किस राज्य से न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह किसी राज्य से राजस्व प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है । हम अपनी अफीम राज्यों को लागत के ही मूल्य पर देते हैं । हमें राज्यों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता । अधिकतर राजस्व विदेशों को अफीम का विक्रय करने से प्राप्त होता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को यह विदित हो गया है कि भारत में अफीम का बड़ी मात्रा में तस्कर व्यापार हो रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह सच है । हम यह जानते हैं और हम वह तस्कर व्यापार रोकने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री को तस्कर व्यापार के कितने मामलों का पता लगा है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कार्बन उत्पाद

*३४४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कार्बन उत्पादों के निर्माण की कोई प्रक्रिया किसी निर्माणकर्ता फर्म को पट्टे पर बता दी है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टे की शर्तें क्या हैं; और

(ग) किस फर्म ने पट्टा लिया है और उसका प्राक्चरित क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

हिन्दी

*३४६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की समाज-शिक्षा सम्बन्धी आदर्श पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये सरकार ने १९५४ में किसी ग्रंथालय की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन भाषाओं से हिन्दी में पुस्तकों का अनुवाद किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योर्कशायर से उत्प्लावक

*३४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने योर्कशायर की 'स्टिंग्समी सेल प्लेन, लि०' फर्म को 'सेडवार्ग' प्रकार के ३२ उत्प्लावकों का क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्रयादेश देने के पूर्व कोई टेंडर मांगा गया था ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

खनन गवेषणा प्रयोगशाला

*३५३. **श्री एस० के० रज्मी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** ९ अप्रैल १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्य ३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्पश्चात् खनन गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान तथा भवन इसके लिए चुना गया है ; और

(ग) इस प्रयोगशाला के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) अभी नहीं ।

(ख) धनवाद में । भवन के लिए स्थान देखा जा रहा है ।

(ग) केन्द्र के मुख्य कार्य निम्नानुकूल होंगे :—

(१) भारत में कोयला तथा अन्य खनिजों के खनन में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता संबंधी सुधार करना ।

(२) विस्फोटकों, आग, अचानक आग वायु और प्रकाश देने की क्रिया छत के आधार, तहों की क्रियाओं, चटान-छेदन, भभकन, लपेटना, खींचने की क्रिया और विस्फोटकों से खतरा और स्वास्थ्य को खतरा की समस्याओं सम्बन्धी जांच करना ।

भारत-विद्या की केन्द्रीय संस्था

*३५४. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-विद्या की कोई केन्द्रीय संस्था खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या भारतीय इतिहास कांग्रेस के पिछले अधिवेशन में भी कोई ऐसा संकल्प पारित किया गया था, जिसमें इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंधों के लिए शिक्षा केन्द्र

*३५७. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अन्धों के शिक्षा केन्द्रों में किस स्तर तक की शिक्षा दी जाती है ; और

(ख) क्या उस शिक्षा से वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) अन्धों के शिक्षा केन्द्रों में प्रायः प्रारम्भिक शिक्षा और संगीत तथा हस्त-शिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) विद्यमान केन्द्रों द्वारा दिया गया व्यवसायी प्रशिक्षण कभी कभी अन्धों को जीविकोपार्जन में समर्थ बनाता है।

कोलम्बो योजना

*३६१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैण्ड की सरकार के वैज्ञानिक परामर्शदाता कोलम्बो योजना की टैक्नीकल सहयोग योजना के अधीन दिसम्बर, १९५४ में इस देश में आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस देश में आने का क्या मुख्य उद्देश्य था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :

(क) हां, श्रीमान्। वह दिसम्बर १९५४ के अन्तिम सप्ताह में भारत आये थे और मार्च १९५५ के अन्तिम सप्ताह तक यहां रहेंगे।

(ख) उनके यहां आने का मुख्य उद्देश्य अनेकों उन टैक्नीकल केन्द्रों के लिए सामग्री के संभरण की प्रार्थनाओं की जांच करना है, जिनके लिए कोलम्बो योजना की टैक्नीकल सहयोग योजना के अधीन इंगलैण्ड की सरकार से प्रार्थनायें की गई हैं।

पोस्त की कृषि

*३७४. **डा० सत्यवादी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व पोस्त-कृषकों की क्या संख्या है और वहां पोस्त की कृषि पर प्रतिबन्ध लगने के परिणामस्वरूप उन्हें कितनी वित्तीय हानि हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यदाही की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हिमाचल प्रदेश में पोस्त-कृषकों की संख्या लगभग १६,००० थी। वे सरकार को जो अफीम देते थे, उसके लिए औसत रूप में कृषकों को १,४५,००० रुपये का प्रतिवर्ष भुगतान होता था। पोस्त-कृषि की समाप्ति के कारण उगाने वालों को सरकार से यह धन प्राप्त न होगा।

(ख) और (ग). सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु चूंकि पोस्त-कृषि समाप्त करने का निश्चय राज्य सरकारों के साथ पूर्णतया विचार करने के उपरान्त किया गया था, इसलिए पुनर्विचार करने के लिए कोई मामला नहीं है।

युद्धपोतों का निर्माण

*३७६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये प्रश्न संख्या ९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में युद्धपोतों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैसर्ज हिन्दुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड, विजगापटम को भारतीय नौसेना के लिये एक सर्वेक्षण पोत के निर्माण का आदेश पहिले ही दिया जा चुका है। भारतीय एजेंसियों के अधीन लंगर बांधने के जहाज, समुद्र में गश्त लगाने वाले जहाज और तट पर सुरंगें साफ करने वाले जहाजों, के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

नव पाषाण युग के औज़ारों की खोज (सुन्दरगढ़)

*३७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में नवपाषाण युग के ६ औजार, उषा कुटी नामक चार गुफाओं का समूह जिनमें चित्रकारी, पच्चीकारी तथा शिलालेख हैं तथा कई नवपाषाण युग के स्थान जहां कई चकमक के पत्थरों के टुकड़े, जिन पर खुदाई के चिन्ह स्पष्ट थे, पाये गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इस क्षेत्र का पुरातत्व सर्वेक्षण करवा रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

गृह मन्त्रियों का सम्मेलन

*३८२. **श्री माधव रेड्डी** :
श्री डाभी :
श्री रघुवीर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग 'क' और 'ख' राज्यों के गृह-मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में क्या निर्णय हुए थे ;

(ख) क्या देश की अपराध स्थिति तथा उसे पहिले से ही रोकने के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई थी ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). पुलिस, अनुसंधान पद्धति एवं कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने की समस्याओं के सम्बन्ध में सामान्य चर्चायें हुई थीं। देश की सामान्य अपराध स्थिति के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

*३८३. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **शिक्षा मंत्री** सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बाया गया हो कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के नाम क्रमानुसार कुल कितना अनुदान दिया है ;

(ख) किन मुख्य प्रयोजनों के लिये अनुदान दिया गया है ; तथा

(ग) क्या व्यय के सम्बन्ध में आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) जी हां।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष

*३८६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के किसी शिष्टमंडल ने जनवरी १९५५ में देश का दौरा किया ; तथा

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) यह दल आई० एम० एफ० के समझौते के अनुच्छेद १४ के अधीन, चालू अन्तर्राष्ट्रीय सौदे पर भारत द्वारा लगाये गये

प्रतिबन्धों को जारी रखने के सम्बन्ध में आया था। यह परामर्श प्रति वर्ष नियमित रूप से होता है।

गवेषणा समन्वय मंत्रणादाता समिति

*३८७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चालू वर्ष के दौरान में वैज्ञानिक कार्य के समन्वय के लिये मंत्रणादाता समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : दो।

सेना में हिंदी

*३८८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना के किन-किन क्षेत्रों और केन्द्रों में हिन्दी सीखने की सुविधा नहीं है ?

रक्षा मन्त्री (डा० काटजू) : भारतीय सेना के सर्व क्षेत्रों तथा केन्द्रों में हिन्दी सीखने की सुविधायें उपलब्ध हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

*३८९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष जनवरी में बड़ौदा में हुई भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिये विदेशी वैज्ञानिकों को निमंत्रित किया है ?

प्राकृतिक संसाधन (मंत्री श्री के० डी० मालवीय) : जी हां।

सी० एस० आई० आर० की द्वितीय पुनर्विलोकन समिति

*३९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् की द्वितीय पुनर्विलोकन समिति की विभिन्न संगठनों के बीच सम्बन्धों को ठीक करने के लिये, स्थापित किये गये बोर्डों तथा समितियों से सम्बन्धित सिफारिशें, क्रियान्वित की गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखीये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७**]

संपदा शुल्क

*३९१. **श्री डी० सी० शर्मा** :
सेठ गोविन्द दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सम्पदा शुल्क के कितने मामले पंजोयित किये गये ;

(ख) उसी अवधि के दौरान कितने मामलों को निपटाया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १९५४ में कुल १७६० मामले पंजीयित किये गये।

(ख) १९५४ में ९५१ मामलों का निपटारा हुआ।

(ग) कुल मांग ६६,८५,५७० रुपये की थी जिसमें से १९५४ में ३२,१४,८५० रुपये की धनराशि वसूल की गई है।

बालकों के लिये निःशुल्क शिक्षा

*३९२. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें उन्होंने संविधान में इस प्रकार संशोधन करने की मांग की है कि शिक्षा समवर्ती सूची के अन्तर्गत आ जाय ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार संविधान में उल्लिखित अवधि के भीतर १४ वर्ष तक की अवस्था वाले बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार इस सम्बन्ध में पहिले ही कुछ कार्यवाही कर चुकी है ।

मिशनरी स्कूल

*३९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमावर्ती अनुसूचित क्षेत्र के मनीपुर और इम्फाल प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा कितने स्कूल चलाये जाते हैं; और

(ख) इनमें से कितने स्कूल विदेशी मिशनरियों द्वारा और कितने भारतीय मिशनरियों द्वारा चलाये जाते हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). इस सबम्न्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है जो मिलने पर सभा के सामने रख दी जायेगी ।

निजी थैलियां

*३९४. **श्री माधव रेड्डी** :
श्री आर० एस० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियासतों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को जारी रखने के प्रश्न पर राज्यपालों तथा राजप्रमुखों का कोई सम्मेलन हाल ही में होने वाला है ?

(ख) यदि हां, तो क्या निजी थैलियों की पद्धति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ग) प्रस्तावित सम्मेलन में चर्चा की अन्य मदें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) राष्ट्रपति ने २५ तथा २६ फरवरी को राज्यपालों तथा राजप्रमुखों का एक सम्मेलन बुलाया । इसमें निजी थैलियों को जारी रखने के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं की गई ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उन्हें प्रगट करना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगा ।

औद्योगिक समस्याओं की गवेषणा

*३९६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में औद्योगिक समस्याओं से सम्बन्धित किन विशिष्ट मदों पर गवेषणा हो रही है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८**]

समाज कल्याण सम्मेलन

*३९७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन के लखनऊ के अधिवेशन में पारित संकल्पों पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : संकल्पों की एक प्रतिलिपि हाल में ही प्राप्त हुई है।

वैदेशिक छात्रवृत्तियां

८३. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९४९ से ३१ मार्च, १९५४ तक राजस्थान से विभिन्न समुद्रपार के देशों को, ऊंची तथा टेकनिकल शिक्षा के लिये जाने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक औसत संख्या क्या है, जिन्हें केन्द्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ; तथा

(ख) इस अवधि में उन पर कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय प्रशासकीय प्रशिक्षण स्कूल

८४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण स्कूल, दिल्ली में प्रशिक्षा प्राप्त भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षाधीन पदाधिकारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस समय ऐसे कितने पदाधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३८६।

(ख) ४१।

पंजाब में बुनियादी शिक्षा

८५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ में पंजाब सरकार को क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक तथा ऊंची शिक्षा के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी गई ; और

(ख) उपर्युक्त आर्थिक सहायता में बुनियादी शिक्षा के लिये कितनी धनराशि पृथक् रखी गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९**]

किले

८६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्राचीन स्मारकों के रूप में माने जाने वाले किलों को शामिल करते हुये किलों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) इनमें से उपेक्षित और बेकार किलों की तथा काम में आने वाले किलों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) २१३।

(ख) कोई दुर्ग बिना देख भाल के नहीं पड़ा है। १५० किसी व्यवहार में नहीं लाये जाते और ६३ कई प्रकार से व्यवहार में लाये जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा स्कूल

८७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :**
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में कुल कितने बुनियादी शिक्षा स्कूल खोले गये ;

(ख) एक बुनियादी शिक्षा स्कूल के खोलने में कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि खोले गये स्कूलों की संख्या अपेक्षित संख्या की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण और सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाये करने जा रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क)

वर्ष	खोले गये बुनियादी शिक्षा स्कूलों की संख्या
१९५१–५२	४७५
१९५२–५३	८१९*
१९५३–५४	सूचना उपलब्ध नहीं है

(ख) भिन्न भिन्न स्थानों पर खोली गयी दस्तकारियों, विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए दस्तकारी की स्थायी और अस्थायी व्यवस्था की जाती है, अध्यापकों के वेतन स्तर, और सामान तथा मज़दूरों के व्यय के आधार पर भिन्न भिन्न राशियां व्यय हुई हैं।

(ग) और (घ). इसका सम्बन्ध मुख्यतया राज्य सरकारों से है।

बैंकों में वेतन क्रम

८८. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक के कर्मचारियों के, श्रेणीवार वेतन क्रम क्या हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : बैंक कर्मचारियों के वेतन क्रम का मामला उनका अपना मामला है जिसे बैंक कम्पनी न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार स्वयं तय करती है, यदि उसकी स्थापना के सम्बन्ध में कोई पंचाट होता है। बैंक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

अखिल भारतीय साहित्य अकादमी

८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखकों को अखिल भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा किस आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : साहित्य अकादमी किसी लेखक को वित्तीय सहायता नहीं देती। पर यदि कोई साहित्यिक रचना इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अकादमी उसे स्वयं छपाना चाहे तो उसके प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण बोर्ड (पंजाब)

९०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, और समाज कल्याण कार्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किये हैं ; और

(ख) बोर्ड कितने समय के लिये बनाया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) संलग्न विवरण में जानकारी दी गयी है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]

(ख) प्रथम बार राज्य बोर्ड एक वर्ष के लिए बनाया जाता है।

साहित्यिक वर्कशाप (पश्चिमी खण्ड)

९१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दी गई हों कि :

(क) १९५४ में पश्चिमी खण्ड के साहित्यिक वर्कशाप में जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उनको किस भाषा में प्रशिक्षण दिया गया था ?

*आंकड़े अन्तिम नहीं हैं।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]

कुलू घाटी का विकास

९२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा ज़िले के कुलू उप-विभाग के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए १९५४ में कितनी राशि व्यय की गयी ; और

(ख) यह राशि किस कार्य पर व्यय की गयी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि १ अप्रैल, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक केन्द्रीय अनुदानों में से ४,७५,१७८ रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(ख) राशि निम्न प्रकार व्यय की गयी है :—

	रुपये
१. कुटीर उद्योग	२५,१२१
२. सिंचाई	३४,९४३
३. वन	१०,१८८
४. कृषि	१,८२२
५. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	७,११०
६. संचार	३,९५,९९४
	४,७५,१७८

पंजाब को विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता

९३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निम्न मदों में सहायता की मांग की है :—

(१) प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार;

(२) अशिक्षित वयस्कों के प्रशिक्षण; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गयी थी और सरकार ने कितनी राशि मंजूर की ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां।

(ख)

	केन्द्रीय सरकार से अंशदान में मांगी गई राशि रुपये	केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर राशि रुपये
१. बुनियादी शिक्षा	४०,६८,७८०	३८,६७,७३४
२. अशिक्षितों के प्रशिक्षण	९४,१२५	९४,१२५

पेप्सू राज्य सेनाओं का एकीकरण

९४. **श्री डी० सी शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू रक्षा सेनाओं का भारतीय सेना में एकीकरण होते समय पेप्सू सेना के कुछ पदाधिकारियों को निवृत्ति-वेतन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को ;

(ग) क्या उनके निवृत्ति-वेतन के मामले तय हो गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनको तय करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया : (क) जी हां ।

(ख) ११६ ।

(ग) १७ मामलों को छोड़ कर शेष सब तय हो गये हैं ।

(घ) शेष मामलों को शीघ्रातिशीघ्र तय करने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है । बहुत से मामलों में यह तय करना आवश्यक है कि कितनी असैनिक और सुरक्षा सेवाओं को सैनिक निवृत्ति वेतन के लिए जोड़ा जाए । उनकी सेवाओं के विवरण का भी विस्तृत लेखा परीक्षण किया जाना है । कुछ मामलों में इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि यदि सभी राज्य सेनाओं का पेप्सू सेनाओं में विलय न किया गया होता तो उन पदाधिकारियों को क्या वेतन मिलता होता । कुछ मामलों के तय करने में उक्त कारणों से विलम्ब हुआ है ।

अनुशासन संबंधी मामले

९५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से अब तक कितने आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन भंग सम्बन्धी कार्यवाहियां की गयीं ; और

(ख) इन मामलों में किस प्रकार की अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १७ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

९६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् कर दिया गया है ;

(ख) इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) आसाम, आन्ध्र, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश मध्य भारत, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः या अंशतः अलग कर दिया गया है ।

(ख) यह मामला राज्य सरकारों द्वारा विचार करने का है, परन्तु भारत सरकार ने उनकी प्रगति जानने के लिए उनसे सम्पर्क बना रखा है ।

महिलाओं का अनैतिक पण्य

९७. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
सेठ गोविन्द दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन राज्यों में महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के लिए वैधानिक व्यवस्था की गयी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे राज्यों में कितनी महिलाओं और लड़कियों को बचाया गया ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऐसे अनैतिक पण्य के दमन के लिए बनाई गयी विधि के अधीन कुल कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये ; और

(घ) उन राज्यों में, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन की विधि लागू है, प्रत्येक में कितने रक्षा-गृह हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

तृतीय श्रेणी के लिपिक

९८. श्री गिडवानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी के लिपिकों (क्लर्कों) क संघ ने १ मार्च, १९५५ से विरोध सप्ताह मनाने का निश्चय किया है, क्योंकि सरकार ने क्लर्कों के वेतन-क्रम के पुनरीक्षण की मांग को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) सरकार को इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रतिवेदनों का पता है ।

(ख) संघ द्वारा निश्चित किये गये इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक-सभा

मंगलवार, १ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (संशोधन) अधिनियम (१९५२ का अधिनियम संख्या ५७) द्वारा संशोधित रूप में राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय अधिनियम (१९४८ का अधिनियम ३१) की धारा १२ के खण्ड (१) के अनुसरण में यह सभा उस ढंग के अनुसार जिसे अध्यक्ष महोदय विहित करें, अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करे जो एक वर्ष की कालावधि के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति के सदस्य रहें।"

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष महोदय: मैं राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति के सम्बन्ध में आवश्यकता अनुसार चुनाव करने के लिये नामनिर्देशन भेजने या उमीदवारों के नाम वापस लेने के लिये निश्चित की गई निम्न-लिखित तिथियों की सूचना सदस्यों को देना चाहता हूं।

नाम निर्देशन की तिथि	नाम वापस लेने की तिथि	निर्वाचन की तिथि
३-३-१९५५	४-३-१९५५	७-३-१९५५

नाम निर्देशन और नामों की वापसी के पत्र संसदीय सूचना कार्यालय में ४ बजे म० प० तक लिये जायेंगे और चुनाव कमरा संख्या ६२ में ११ म० पू० से १-३० म० प० तक एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे, डिकार्टीकेटेड बिनौले की खली आदि पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय: इन संकल्पों में से एक को कल सभा ने स्वीकार कर लिया था। शेष तीन संकल्पों पर अब सभा विचार करेगी, तत्पश्चात अनुदानों की अनुपूरक मांगों और आज की कार्य सूची की अन्य मदों पर विचार

[अध्यक्ष महोदय]

किया जायेगा । इसके लिये तीन घंटे का समय रहेगा । अब श्री करमरकर अपना भाषण जारी करेंगे ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सभा के समक्ष आज जो तीन संकल्प हैं उनके विषय के सम्बन्ध में मैं ने कल कुछ प्रारम्भिक बातें कही थीं । संकल्पों के विषय की स्थिति के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में कहूंगा ।

सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम पत्र की दूसरी मद के संकल्प के सम्बन्ध में मैं इतना कह कर ही सन्तोष करूंगा । थोक बाज़ार की सुगम स्थिति का ध्यान रखते हुये २८ नवम्बर, १९५४ को १०,००० टन और फिर ८ जनवरी, १९५५ को १०,००० टन हाथ से निकाली मूंगफली का अभ्यंश नियत किया गया था ।

हमारे सामान्य बाज़ारों की मांग को पूरा करने के लिये यह एक छोटा सा विशिष्ट व्यापार है । यह मूंगफली की एक महंगी क़िस्म है जिस के लिये डालर के बाज़ारों से भोजन में प्रयोग के लिये और मिठाई बनाने के लिये मांग आती है और हमारा यह प्रयत्न रहता है कि यह मांग बनी रहे ।

दूसरा अभ्यंश नियत करने से पूर्व यह देखा गया था कि अन्दर के और बाहर के मूल्यों में बहुत अन्तर था और मूल्यों को बढ़ने देने पर भी अतिरिक्त लाभ बनाने के लिये गुंजाइश थी । अतएव ९ जनवरी, १९५५ से निर्यात शुल्क १५० रुपये प्रति टन से ३०० रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिया गया था । मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । सिवाय यह कहने के कि यह उचित होता है कि अन्तर समाप्त कर दिया जाये, मैं इस बात का विस्तारपूर्वक व्यौरा नहीं देना चाहता कि यह शुल्क किस प्रकार नियुक्त किया गया था ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुये]

मूंगफली की खली और मूंगफली के चूरे के सम्बन्ध में दूसरे संकल्प के बारे में मैं केवल कुछ ही बातें कहना चाहता हूं । मूंगफली की खली का सीमित निर्यात करना लाभदायक समझा गया है क्योंकि उस के बदले में हमें लाभ पर कुछ उपयोगी उर्वरक मिल जाते हैं । उदाहरण के लिये यदि हम मूंगफली की खली पर ३०० रुपये व्यय करें तो हमें १·३५ टन अमोनियम सलफेट मिल जाता है, जिसका साधारण आयात मूल्य ४०० रुपये प्रति टन है, और इस सम्बन्ध में भी हम ने व्यापारियों द्वारा निर्यात के लिये एक छोटी सी मात्रा नियत करने का निश्चय किया था । इस बात पर ध्यान रखते हुये कि अन्दरूनी मूल्यों में कोई वृद्धि न हो मूंगफली की खली पर २३० रुपये का निर्यात शुल्क और मूंगफली के चूरे पर १७५ रुपये का निर्यात शुल्क निश्चित किया गया था । यहां भी मैं व्यौरा देना आवश्यक नहीं समझता ।

तीसरे संकल्प के विषय के सम्बन्ध में अर्थात् बिनौले की खली के चूरे और अन्य खलियों के बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा । जब हम ने ४ फरवरी, १९५५ को मूंगफली की खली के २५,००० टन तक की निर्यात की अनुज्ञा देने का निश्चय किया, जो मात्रा मार्च के अन्त में भेजी जानी थी, तब उसी तिथि को हम ने यह भी निश्चय किया कि खुश्क मूंगफली के चूरे (ऐसी क़िस्म जिसमें तेल निकाल लिया गया हो और १/२ प्रतिशत तक तेल रहने दिया गया हो) की एक थोड़ी सी मात्रा माच, १९५५ के अन्त तक निर्यात की जाये । तीसरे संकल्प के अन्तिम भाग की परिभाषा के अनुसार, बाद में उद्योगपतियों के अभ्यावेदनों पर मूंगफली के चूरे की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया ताकि मूंगफली का चूरा (तेल निकाली हुई क़िस्म जिसमें

१ प्रतिशत तक तेल हो) निर्यात किया जा सके। उस के शीघ्र पश्चात् बिनौलों की खली और अन्य खलियों के निर्यात की भी अनुज्ञा दी गई थी। हम ने बिनौलों की छिली हुई खली और न छिली हुई खली १०००० टन तक, अलसी की खली ५००० टन तक, करडी की खली और नारियल की खली इत्यादि ५००० टन तक निर्यात करने के लिये नियत की। ये स खलियां खाने के प्रयोजनों और चारे के प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जा रही हैं। इन निर्यातों की अनुज्ञा उन्हीं आधारों पर दी गई थी जिन पर मूंगफली की खली के लिये दी गई थी। इस के साथ ही निर्यात शुल्क भी लगाये गये थे और हम ने गणना की थी कि उपयुक्त निर्यात शुल्क क्या हो सकता है और तदनुसार बिनौलों की छिली हुई खली पर १०० रुपये प्रति टन और अन्य खलियों पर ५० रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगा दिया गया था।

श्रीमान्, इन तीन संकल्पों के सम्बन्ध में यह स्थिति है। निर्यात शुल्क का हिसाब लगाने या शुल्क कम करने या बढ़ाने या उसका निर्धारण करने के लिये एक स्वीकृत ढंग है और हम यथासम्भव उसी पर चलते हैं। हम देश के मूल्यों को लेते हैं और निर्यातकर्ता के लिये कुछ लाभ छोड़ देते हैं और फिर निर्यात शुल्क निर्धारित करते हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुये। अब ये संकल्प सभा के समक्ष हैं और इन पर चर्चा हो सकती है।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिम कटक) : मैं तीनों संकल्पों का विरोध करता हूं और इस लिये कि कोई गलत धारणा न पैदा हो मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि मैं आवश्यकता अनुसार निर्यात शुल्क बढ़ाने का विरोधी नहीं हूं, परन्तु मैं मूंगफली और सभी प्रकार की खलियां देश से निर्यात करने के सिद्धान्त का विरोधी हूं। मैं नहीं जानता कि आज के वैज्ञानिक युग में सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि मूंगफली या किसी प्रकार के तेल के बीज या खलियां बाहर भेजने में पौधों के उर्वरक का ही निर्यात कर रहे हैं।

माननीय मंत्री का यह तर्क गलत है कि उन के निर्यात के बदले में हमें अमोनियम सल्फेट मिलता है और इसका लाभ है। अमोनियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक है जब कि खलियों में जीव तत्व हैं जिन से मिट्टी को लाभ पहुंचता है।

यह कहा जा सकता है कि यहां ऐसे उद्योग नहीं है जो बिनौलों, मूंगफलियों और अन्य खलियों को उपयोग में ला सकें। यह भी कहा जा सकता है कि नारियल की खली विदेश में चारे के रूप में प्रयोग की जाती है और यहां के कृषक इस प्रयोग के लिये उसे नहीं खरीद सकते। मैं इस प्रकार के तर्क से सहमत नहीं हूं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि मिट्टी में से जितने भी उर्वरक पदार्थ निकलते हैं उन्हें पुनः मिट्टी में ही डाला जा सके और उन्हें बाहर न भेजा जाये। यह भी सरकार का ही कर्त्तव्य है कि वह लोगों को प्रोत्साहन दे कि वे इन खलियों और तेल के बीजों को उपयोग में लाने के लिये कारखाने खोलें। सरकार को वैज्ञानिक ढंग से यह विचार करना चाहिये कि २०० रुपये प्रति टन का लाभ भूमि के लिये उपलब्ध उर्वरक की तुलना में अधिक देर तक लाभप्रद है अथवा नहीं।

भारत में लोगों का मल-मूत्र भूमि में नहीं डाला जाता, गोबर की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है। गोबर अन्य ढंगों में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस से यहां की भूमि की उर्वरकता समाप्त हो रही है। तेल के बीज

[श्री सारंगधर दास]

और खलियां भी निर्यात की जा रही हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप अमोनियम सल्फेट कितना पैदा करते हैं क्योंकि केवल उस से उपज नहीं ढ़ाई जा सकती। इस के लिये सभी प्रकार के प्राकृतिक उर्वरकों की आवश्यकता है। परन्तु इसके साथ ही जो सामग्री हमारे पास है हमें उसे नहीं खोना चाहिये। मैं सरकार के समक्ष यह रचनात्मक प्रस्थापना रखता हूं कि दोनों वाणिज्य और खा ा मत्रालयों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और अपने कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श के अनुसार इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिस से हमारी भूमि अधिक उपजाऊ न सके।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं संकल्पों का विरोध करना चाहता हूं और विशेषतः उस संकल्प का जो मूंगफली के सम्बन्ध में है। हाल ही में मूंगफली और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने के कारण निर्यात शुल्क कम कर दिया गया था। इस समय मूंगफली का उत्पादन करने वाले कृषकों की स्थिति सुधरी हुई नहीं है। उनकी अच्छी स्थिति अस्थायी है। अतः यदि उन्हें दी गई रियायत जारी रखी जाय तो सम्भवतः उन्हें मूंगफली का ठीक मूल्य प्राप्त हो सके। माननीय मंत्री के भाषण से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि निर्यात शुल्क क्यों ढ़ा दिया गया है ज कि मूंगफली के मूल्यों में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। मूंगफली के मूल्यों का वर्तमान स्तर सर्वथा गम्भीर स्थिति में है। यदि सरकार समझती है कि जहाज़ों में माल लेने वाले हुत लाभ ना रहे हैं तो सरकार के लिये ठीक ढंग तो यह था कि वे मूंगफली खरीद लेते और एक सामान्य राज्य व्यापार आरम्भ करते। परन्तु उन्होंने निर्यात शुल्क ढ़ाने का सुगम ढंग अपनाया है जिस से उत्पादकों को हानि होगी। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : सरकार की नीतियों और उसके कार्यों का अध्ययन करके मैं देखता हूं कि देश में जो भिन्न भिन्न समस्यायें उपस्थित होती हैं, उनका हल सरकार का प्रत्येक मंत्रालय अपने ही ढंग से करना चाहता है। उदाहरणतः, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को ही लीजिये, जो कि आयात और निर्यात नीति का नियंत्रण कर रहा है। सरकार इनका उपयोग इस प्रकार कर सकती है, जिससे किसानों की रक्षा हो और देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह कच्चे माल के उत्पादकों को संरक्षण दे। राष्ट्रपति को धन्यवाद सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान में अनेक सदस्यों ने इस बात का निर्देशन किया था कि कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा है, जो कि उत्पादक की दृष्टि से हुत ही अहितकर है। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रही है। उदारहण के तौर मूंगफली को ही लीजिये। उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के फरवरी अंक में भारतीय वस्तुओं के मूल्य दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि जनवरी, १९५४ के मुका ले में जनवरी, १९५५ में मूंगफली के भाव में काफी गिरावट आ गई। जहां तक मूंगफली तथा कुछ अन्य उत्पादों का सम्बन्ध था, सरकार चाहती थी कि इनके भाव न गिरें, अतः ४ नवम्बर, १९५४ को उसने एक अधि-सूचना जारी की, जिसके द्वारा मूंगफली पर निर्यात शुल्क २२५ रुपये प्रति टन से १०० रुपये प्रति टन कर दिया गया। भारत की कृषि स्थिति नामक पत्रिका के दिसम्बर अंक में यह बताया गया है कि निर्यात शुल्क के घटाने पर भी मूल्यों का रुख गिरावट की ओर ही रहा। २८ नवम्बर, १९५४

की सरकार ने निर्यात हेतु मूंगफली के तेल की एक अतिरिक्त मात्रा तथा एच० पी० एस० मूंगफली की गिरी की एक छोटी सी मात्रा और नियत की, ताकि मूल्यों में स्थिरता रहे। किन्तु यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अ। १९५५ में सरकार ने अपनी उस नीति को दल दिया हैं और वह निर्यात शुल्क में वृद्धि करना चाहती है। मैं श्री सारंगधर दास की इस बात से सहमत हूं कि मूंगफली आदि कच्चे माल को बाहर नहीं भेजना चाहिये। हम देश का उद्योगीकरण चाहते हैं। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में पैदा होने वाले सारे कच्चे माल की खपत यहीं दी जाये, ताकि अपने यहां के श्रमिकों और निर्माणकर्त्ताओं के लिये ही उसका फायदा उठाने को मिले। किन्तु हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली का निर्यात किया जा रहा है और देशी निर्यातकर्ता यहां के मूल्यों तथा बाहर के मूल्यों के अन्तर का फायदा उठा रहे हैं। सरकार को यह चाहिये था कि वह कुछ नियंत्रण सम्बन्धी उपाय अपनाती और मूल्यों को गिरने से रोकती और उत्पादक की रक्षा करती। सरकार ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, अपितु वह स्वयं उन निर्यातकर्त्ताओं अथवा व्यापारियों के समान ही लाभ उठाने में संलग्न हो गई है। यह उस सरकार के लिये जो कि अपने को कल्याणकारी सरकार कहने का दावा करती है तथा समाज की रूप-रेखा समाजवादी ढंग पर बनाने की घोषणा करती है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। समाजवादी रूप-रेखा के लिये उद्योग और कृषि में सन्तुलन रखना और कृषि उत्पादकों को संरक्षण देना तथा उनको लाभ का कुछ भाग देना आवश्यक है। देश में जो कुछ चीजें बनती हैं, उनको ये कृषिकार ही बहुत अच्छी मात्रा में खरीदते हैं। यदि इन कृषिकारो को कृषि उत्पादों पर लाभ करने का अवसर नहीं दिया जायेगा और उनको संरक्षण नहीं दिया जायेगा, तब वे इस काबिल नहीं होंगे कि वे इन चीजों को खरीद सकें। सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कृषि उत्पादों का मूल्य स्थिर और उत्पादक के लिये लाभकारी रहे और उनकी खपत अपने देश में ही हो जाये। कच्चे माल को देश से बाहर जाने देना किसी प्रकार ठीक नहीं है, अन्यथा जैसा कि श्री सारंगधर दास ने कहा, देश के कृषक, व्यापारी, निर्माणकर्त्ता, श्रमिक तथा सभी गरीब हो जायेंगे और फिर मंत्रियों को भी इतने आराम नहीं मिलेंगे।

अतः, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन समस्याओं पर वैज्ञानिक और भली प्रकार एकीकृत ढंग से विचार करे। अलग अलग रूप में विचार करने से ये समस्यायें हल नहीं हो सकतीं।

सरकार का कर्त्तव्य है कि वह हम को विस्तृत रूप में इसके कारण बताये कि निर्यात शुल्क सम्बन्धी नीति में वह यह परिवर्तन क्यों करना चाहती है। जब तक सरकार हमको सारे तथ्य नहीं बताती, तब तक हम नहीं समझ सकते कि सरकार इस सम्बंध में कहां तक ठीक है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे देश की आर्थिक स्थिति के सम्बंध में समय समय पर कुछ साहित्य प्रकाशित करें। विभिन्न विभागों से इस सम्बंध में जो साहित्य प्रकाशित होता है, उसका अध्ययन करके मैंने देखा है कि प्रत्येक विभाग विभिन्न समस्याओं का अपने ही ढंग से प्रतिपादन करता है। सरकार को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर एकीकृत ढंग से ही विचार करना चाहिए।

[श्री एस० एस० मोरे]

मैं नहीं समझ पाता कि मैं इस संकल्प का विरोध करूं अथवा समर्थन करूं। कृषकों के हित को देखते मुझे इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि निर्यात शुल्क बढ़ जायेंगे तो निर्यात मात्रा में कमी आ जायेगी और परिणामस्वरूप भाव गिर जायेंगे। किन्तु वित्तीय बातों के दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि सरकार भी निर्यात-कर्त्ताओं और सरकारी दलालों के साथ साथ इसका लाभ उठावे। किन्तु लाभ उठाने का यह ढंग नहीं है। मैं श्री सारंगधर दास के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुं कि सरकार स्वयं इन सारे उत्पादों को ऐसे मूल्यों पर खरीद ले जो कि उत्पादकों के लिय लाभकारी सिद्ध हो, और अपने लिये एक उचित लाभ रखे, उनको बाहर देशों को भेज दें। इस प्रकार देश की रूपरेखा समाजवादी ढंग पर निर्मित हो सकेगी, सरकार को लाभ का एक उचित भाग मिल जायेगा जो कि आजकल गैर सरकारी दलाल उठा रहे हैं, और कृषकों की भी रक्षा हो सकेगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मेरे पूर्व वक्ता, श्री एस० एस० मोरे, न तो इन सकल्पों का विरोध ही कर सके और न समर्थन कर सके। किन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से सरकार की इस नीति के विरोध में हूं, क्योंकि इस नीति में सरकार ने व्यापारियों का तथा अपना ही लाभ सोचा है।

कुछ महीनों से सरकार ने यह अनुभव किया है कि मूंगफली के भाव बराबर गिरते हैं और उसके रोकने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये। आपको याद होगा कि सितम्बर के महीने में सभा के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया जाये और मूंगफली पर घटा दिया जाये। यह बताया गया था कि इससे मूंगफली के उत्पादकों को लाभ होगा। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। मूंगफली के भाव पहले से बहुत अधिक गिर गये हैं।

इसके बाद सरकार ने मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क घटाना प्रारम्भ किया और अब वह इस निष्कर्ष पर पहुच गई है कि मूंगफली पर भी निर्यात शुल्क बढ़ा दिया जाये। इससे साफ प्रकट होता है कि सरकार की नीति संगत अथवा असंगत है और वह उत्पादक की स्थिति को समझ सकी है अथवा नहीं। इससे यह भी प्रकट होता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म परस्पर कोई समन्वय नहीं रहा है। चावल के निर्यात के सम्बन्ध में भी हम इस समन्वय की भावाना का प्रभाव पाते हैं। हम चाहते हैं कि निर्यात तथा आयात सम्बन्धी कोई नीति निर्धारित करने से पूर्व सरकार उत्पादकों और व्यापारियों से इस सम्बन्ध में चर्चा कर लिया करे। गत अगस्त अथवा सितम्बर के महीने में सरकार ने मूंगफली का भाव गिरता हुआ देख कर मूंगफली पर निर्यात शुल्क कम कर दिया था। किन्तु अब सरकार इस निर्यात शुल्क को क्यों बढ़ाना चाहती है, इसका कोई कारण समझ म नहीं आता। गत वर्ष बाहर देशों में मूंगफली का मूल्य १८०० रुपये था और अपने देश में १००० और ११२० रुपये के बीच था। सरकार ने शायद, इसी अन्तर को ध्यान में रखते हुये निर्यात शुल्क बढ़ाने का निश्चय किया। किन्तु अभी से अब सभी जगह मूंगफली का भाव काफी गिर गया है। बाहर देशों में इसका भाव ११०० रुपये और अने देश में ८५० रुपये

के लगभग रह गया है। इन भावों को देखते हुये मूंगफली पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता।

मूंगफली और मूंगफली के तेल का आपस में बड़ा सम्बन्ध है। पिछली बार हमने इस बात का विरोध किया था कि मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया जाये। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था किन्तु अब उसने यह शुल्क तीन बार घटा दिया है। सरकार की यह नीति कुछ भी समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि देश में मूंगफली के तेल तथा खली की खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि नये वनस्पति कारखाने अभी नहीं खुले हैं, अपितु पुराने कारखानों में से भी शायद कुछ बन्द होने वाले हैं, और दूसरे यह कि बाज़ार में साबुन की इतनी बहुतायात है कि साबुन बनाने वाले भी इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहते। इसको देखते हुये यह पता चलता है कि देश में मूंगफली के तेल की खपत कम हो जायेगी, और उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसको अधिक से अधिक मात्रा में बाहर भेजा जाय।

एक दो बातें और उल्लेखनीय हैं। सरकार ने गत वर्ष मूंगफली पर निर्यात शुल्क कम करने के साथ साथ जहाज़ों में माल लेने वालों के लिये अभ्यंश में कोई वृद्धि नहीं की, जिससे जहाज़ों में माल लेने वाले मूंगफली की अधिक से अधिक मात्रा बाहर नहीं भेज पाते। दूसरे यह कि मार्च तक अभ्यंशों के समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, वह अस्थिर है। इससे बाज़ार बड़ा मंदा पड़ जाता है और उत्पादक जल्दी से जल्दी अपने माल को निकालना चाहते हैं। निर्यात अभ्यंश में जब तक वृद्धि नहीं की जाती और वर्तमान अभ्यंशों के लिये जब तक सरकार ६ महीने और नहीं बढ़ाती, तब तक मूंगफली के भावों में स्थिरता नहीं आ सकती। सरकार को इन दोनों सुझावों पर विचार करना चाहिये और निर्यात मंत्रणा समिति से भी परामर्श लेना चाहिये। सरकार को यह देखना है कि मूंगफली के उत्पादकों की रक्षा हो और व्यापारी को भी नुकसान न पहुंचे। उत्पादक की रक्षा तभी सम्भव है तथा पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है, जब कि उत्पादक को अपने माल का उचित मूल्य मिलेगा।

यह सुझाव दिया गया है कि सरकार जब कभी क़ीमतों को गिरता हुआ देखे तो वह स्वयं सारे माल को खरीद ले और उचित लाभ लेकर बाहर देशों को बेच दे। किन्तु अनुभव यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में कभी भी सफल नहीं हो सकती। यदि सरकार मूंगफली की क़ीमत के सम्बन्ध में थोड़ी सी सावधान रहे, तो वह निस्सन्देह उत्पादकों का बहुत कुछ हित कर सकती है। इन अनेक संकल्पों से कुछ भी लाभ होने की आशा नहीं है। अतः, मैं इन सकल्पों का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि उत्पादन पक्ष के अथवा व्यापारी पक्ष के विशेषज्ञों के परामर्श से वह इस बारे में पुनः विचार करे और इस बात का ध्यान रखे कि उत्पादक के साथ न्याय हो।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : ये संकल्प मूंगफली की खली, मूंगफली इत्यादि पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में है। मेरे विचार में निर्यात और आयात सम्बन्धी नीति पर चर्चा उस समय होनी चाहिये थी, जब सभा में आयात और निर्यात विधेयक प्रस्तुत होता। किन्तु, अब क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है, अतः, मैं समझता हूं कि स्थिति का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है। निर्यात शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि मूंगफली का भाव स्थिर रहे और

[श्री तुलसीदास]

उत्पादक को लाभ हो । मैं यह मानता हूं, जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतः असफल रही है । परन्तु इसके कई कारण हैं और उनकी विवेचना निर्यात नीति पर चर्चा के दौराना में की जायेगी ।

जहां तक मूंगफली की खली का सम्बन्ध है पिछले १५ सालों से अपने देश में इसका निर्यात करने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि कृषि उत्पाद के लिये यह खाद का बहुत अच्छा काम देती है । केवल गत वर्ष ही खली का निर्यात किया गया था जब कि खाद्य मंत्रालय ने एक विदेशी सार्थ से, इस शर्त पर कि वह १ टन खली के बदले में २½ टन अमोनियम सल्फेट देगी, १५००० टन खली देने का सौदा कर लिया था । किन्तु यह सौदा देश के लिये हितकर सिद्ध नहीं हुआ । जब खली का निर्यात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रभार में आ गया तो उसको इस सम्बन्ध में बताया गया । मैं शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि यदि किसी वस्तु के निर्यात करने की आज्ञा दी गई हो और उसका मूल्य विदेशों में अधिक हो तो बजाय इसके कि जहाज़ों में माल ले जाने वाले अधिकतम लाभ प्राप्त करें, सरकार को सारा लाभ स्वयं लेना चाहिये । इस सीमा तक मैं सरकार के साथ सहमत हूं । परन्तु इसके साथ साथ, यदि मूल्य देश के भीतर भी स्थायी बनाने हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि हमें विदेशों में अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है । परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है । यहां मूंगफली के तेल या खली की कोई मात्रा केवल दो मास के अल्प समय के लिये निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है । उसका परिणाम यह होता है कि जहाज़ों में माल ले जाने वाले विदेशों में पण्य के ढेर जमा करते हैं जिस के कारण विदेशों में मूल्य गिर जाते हैं और विदेशी खरीदने वाले के अतिरिक्त किसी को लाभ नहीं होता है । यही एक कारण है हमारे देश में मूल्य स्थासी नहीं हुये हैं ।

सारांश यह है कि इस नीति के कारण विदेशी खरीदने वालों को लाभ होता है यद्यपि उन देशों के बाज़ारों की दशा ऐसी है कि इस देश के निवासी वहां के उच्च मूल्यों के कारण अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं । मेरे कहने का सारांश यह है कि वस्तुओं के निर्यात की अवधि लम्बी होनी चाहिये । आयात नियंत्रण जांच समिति ने भी यही सिफारिश की है और पहले भी यही नीति थी । मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि उस नीति को क्यों बदल दिया गया है ?

श्री राने (भुसावल) : मैं चाहता हूं कि मूंगफली के मूल्य स्थायी हों और उत्पादकों को इससे लाभ हो । इस बारे में जो कुछ श्री मोरे और श्री तुलसी दास ने कहा है मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं । मेरी राय में जो नीति सरकार ने अपनायी है उस से मूल्य स्थायी हो गये हैं । जुलाई, १९५३ तक मूंगफली के तेल की पर्याप्त मात्रा निर्यात होती थी परन्तु उस मास में इसके मूल्य अत्यधिक बढ़ गये । इसलिये सरकार ने इस नीति को बदल लिया और मूंगफली तथा मूंगफली के तेल का निर्यात रोक दिया । ऐसा करने के फलस्वरूप मूंगफली के मूल्य अत्यधिक गिर गये । मैं ने गत मई में निर्यात परामर्श परिषद् के नाते सरकार से प्रार्थना की कि मूंगफली के तेल और मूंगफली के निर्यात के लिये मात्रा बढ़ा दी जाये । यही प्रार्थना लोगों ने, उत्पादकों ने तथा आंध्र राज्य ने सरकार से की है । मेरा मत है कि निर्यात की इस नीति से मूल्य

स्थायी हो जायेंगे और उत्पादकों को लाभ होगा ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि निर्यात शुल्क बढ़ाने में उत्पादकों का हित नहीं है । खाद्यान्नों और तेल के बीजों के पाव अत्यधिक गिर गये हैं । उत्पादको ने बीज के लिये जितना मूल्य दिया था वे उसे भी वसूल नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ सका कि सरकार ने निर्यात शल्क क्यों बढ़ा दिया है । यदि उन्होंने उत्पादकों के हितों की ओर ध्यान न दिया तो यह सरकार की बड़ी गलती होगी । उन्हें इतना अधिक लाभ नहीं होगा परन्तु उत्पादकों को बहुत हानि होगी ।

मेरा यह निवेदन है कि निर्यात शुल्क बढ़ाने की बजाय उन्हें और अधिक निर्यात की अनुज्ञा देनी चाहिये और निर्यात शुल्क कम कर देना चाहिये जिस से उत्पादकों को कम से कम उत्पादन का मूल्य मिल सके । अन्यथा देश में बहुत गम्भीर आर्थिक स्थिति पैदा होने की सम्भावना है । सरकार को गाँव और जिलों से प्रतिवेदन मंगवाने चाहियें और जानना चाहिये कि मूल्य क्या है और उत्पादक किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं । जब तक इन परिस्थितियों का ठीक अध्ययन न किया जाये, निर्यात शुल्क के बढ़ाने से बहुत खतरे की सम्भावना है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वे प्रस्ताव और अपनी अधिसूचना को वापस ले ले । उन्हें अधिक निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिये और निर्यात शल्क कम कर देना चाहिये ।

श्री कृष्णस्वामी (कांचीपूरम) : श्री तुलसीदास किलाचन्द ने कहा था कि सरकार कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने में असफल रही है । परन्तु प्रश्न मूल्यों को स्थिर करने का नहीं है । सरकार वस्तुतः हमारे समाज के दरिद्र वर्गों की अर्थात कृषि समुदाय की आय स्थिर करने में असफल हुई है ।

सरकार के समक्ष जो प्रमुख बात मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि निर्यात अभ्यंश निर्धारित करते समय उत्पादकों के दावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । तैल-बीज और मूंगफली के सम्बन्ध में निर्यात-नीति की घोषणा का प्रभाव करारोपण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । मैं यह भी बता दूं कि एक सीमा तक निर्यात अभ्यंश देने की नीति ही बड़े बड़े व्यापारियों की एकाधिकार मनोवृत्ति को सशक्त करती है । निर्यात अभ्यंश निश्चित कर देने से केवल तीन या चार व्यापारियों का ही बाज़ार में बोलबाला रहता है । सामान्य परिस्थितियों में यदि निर्यात अभ्यंश न हों तो लाभ की दरों में पर्याप्त कमी हो जायेगी । निर्यात अभ्यंश की घोषणा करते समय सरकार को उत्पादकों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये । इस दिशा में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से मैं अवगत हूं । उदारहणार्थ, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय कहेगा कि उन्हें भावी फसल की मात्रा निर्धारित करने के लिये समय चाहिये । फिर ठीक ठीक अनुमान मालूम करने के लिये हमें दो या तीन महीने और प्रतीक्षा करना पड़ेगी । पहले से ही अभ्यंश की घोषणा करने में अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिये और जिस अवधि के लिये ये अभ्यंश वैध हैं उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिये ।

कंट्रोल व्यवस्था का प्रभाव कर-व्यवस्था से भी अधिक दूरगामी है । निर्यात अभ्यंश की नीति पर पुनर्विचार करने के लिये यह उचित समय है ताकि कृषि सम्बन्धी उत्पादकों को लाभ का अधिक भाग मिल सके । कृषक-

[श्री कृष्णस्वामी]

कल्याणार्थ सरकार द्वारा अधिक रुचि प्रदर्शन करने की आवश्यकता है । मैं आशा करता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और खाद्य तथा कृषिमंत्रालय इस दिशा में परस्पर समभाव उत्पन्न करेंगे । निर्यात-नीति की घोषणा फसल के पूर्व करना चाहिये ताकि श्री किलाचन्द और उनके मित्र अधिक लाभ न कमा सकें । हमें कृषक,—मूल उत्पादक की ओर ध्यान देना चाहिये ।

मैं भारत सरकार की निर्यात और आयात नीति की विशद चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उक्त विषय की चर्चा का अवसर उपस्थित होने पर मैं अपना वह आरोप सिद्ध करूंगा कि भारत सरकार ने कृषिसम्बन्धी उत्पादकों के हितों का ध्यान नहीं रखा है । और इस प्रकार वे लोग कल्याण राज्य की कथित निष्ठा का उल्लंघन कर उसकी भावना को आघात पहुंचा रहे हैं ।

श्री करमरकर : वाद-विवाद ने अत्यंत रुचिकर रूप धारण कर लिया है । मनुष्य परिस्थितियों से बंधा रहता है । उदाहरणार्थ श्री सारंगधर दास की सम्मत्ति में खली का और अधिक निर्यति घातक सिद्ध होगा । स्वभावतः श्री सारंगधर दास अधिक उत्पादन में रुचि रखते हैं और उनका विचार है कि समस्त उपलब्ध खली का उर्वरक के रूप में उपयोग होना चाहिये ।

माननीय मित्र श्री रेड्डी निर्यात शुल्क के विषय में उद्विग्न हैं। उन्होंने उस स्थिति की कल्पना नहीं की जब विदेशों की कीमत और घरेलू कीमत में अत्यधिक अन्तर होता है। यदि ऐसे समय में राज्य प्रवेश नहीं करता है तो अन्य व्यक्ति इस लाभ को हड़प लेंगे । उनके भाषण से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह स्पष्ट तौर पर यह है कि श्री रेड्डी कीमतें ऊंची बढ़ाने के पक्ष में हैं । यदि बाहर कीमतें ऊंची हैं और देश में कम हैं और निर्यात अभ्यंश की अनुमति जारी है तो देश में कीमतें बढ़ जायेंगी । मुझे सन्देह है कि वह उत्पादक का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा वह व्यवसाय के भी प्रतिनिधि हैं ।

श्री मोरे ने कहा कि हम लूट मार कर रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैंने केवल यह सुझाव दिया था कि दलालों के अधिकांश लाभ में सरकार हिस्सा बंटा रही है ।

श्री करमरकर : मैंने उन के शब्द लिखे हैं उन्होंने लूट मार शब्दों का प्रयोग किया था । दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जब कभी इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो समस्त संभव सामग्री उपलब्ध नहीं होती है । माननीय मित्र श्री मोरे यह जानते हैं कि आन्तरिक मूल्य और बाह्यरी मूल्य सम्बन्धी विषय पर पर्याप्त सामग्री है । वस्तुतः 'उद्योग और व्यापार' पत्रिका संसद् के सब माननीय सदस्यों को निःशुल्क सम्भरित की जाती है और मुझे प्रसन्नता है कि श्री मोरे अपनी सुविधानुसार उसे पढ़ते रहते हैं । परन्तु मूझे यह जान कर दुःख हुआ कि श्री मोरे ने इस नीति को सर्वथा तर्कहीन बताया है । मेरी समझ में उनका विचार यह था कि हमारी नीति दृढ़ नहीं है ।

विदेश व्यापार-निर्यात अभ्यंश आदि मामलों में एक सुसम्बद्ध और निश्चित नीति नहीं अपनाई जा सकती है । क्योंकि हमें देश के भीतर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के साथ साथ समूचे जगत् में प्राप्य वस्तुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है । यह बात श्री मोरे असंदिग्ध रूप में जानते हैं ।

मैं श्री तुलसीदास की बातों की चर्चा कर रहा था कि बीच में ही श्री मोरे ने मेरा

ध्यान उनकी अपनी बातों की ओर मोड़ दिया । निर्यात के परिमाण के सम्बन्ध में उन्हें कुछ आपत्ति नहीं है । उनकी मुख्य शिक़ायत यह थी कि निर्यात नीति की घोषणा के पश्चात् निर्यात के लिये जो समय बचता है वह बहुत संक्षिप्त है । जब भी हम निर्यात के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते हैं हम उक्त तथ्य का पूर्ण ध्यान रखते हैं । हम इस तथ्य के प्रति सतत् जागृत हैं कि निर्यात अधिक अथवा कम न किया जाकर वांछित मात्रा में ही किया जाय । मूंगफली के तेल अथवा दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस अवसर से सम्बन्धित व्यापारियों को कितना लाभ होगा । यदि माननीय मित्र को किसी विशेष विषय पर कोई शिक़ायत है तो वह उसे मेरे पास प्रेषित करें । वस्तुतः आयात नियंत्रक समिति के प्रतिवेदन से मालूम हुआ है कि हमें पर्याप्त अंश में लाभ हुआ है ।

श्री तुलसीदास ने भी प्रतिवेदन में योग दिया है और आप यह स्वीकार करेंगे कि समस्या से पूर्ण परिचित होने के कारण वह अपनी राय प्रकट करने में पूर्ण समर्थ थे । इस बात की सम्भावना हो सकती है कि सरकारी नीति में त्रुटियों का कारण उक्त प्रतिवेदन ही हो ।

श्री बोगावत ने किसान को मिलने वाली क़ीमतों की ओर संकेत किया । महाराष्ट्र के हाल के भ्रमण में कुछ कृषकों से मेरी भेंट हुई । उन्होंने हाथ से निकाली जानें वाली मूंगफली आदि के निर्यात की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया । २२ लाख टन में से २०,००० टन का निर्यात कर देने से उसकी क़ीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरे पास प्रमाण हैं । दिसम्बर, १९५४ के पश्चात् मेरे पास सप्ताह वार आंकड़े हैं । और शुल्क १५० रुपये से बढ़ाकर ३०० रुपये कर देने पर भी उनकी क़ीमत में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है । १२ जनवरी सन् १९५५ को हाथ से खोदी गई मूंगफलियों की क़ीमत ४८० रुपये प्रति टन थी, २२ फरवरी '५५ को थोड़े से उतार-चढ़ाव के पश्चात् क़ीमत ५०५ रुपये है ।

हमें बताया गया कि बाहरी दाम १२३३ रुपये प्रति टन था और हमने देखा कि स्थानीय चालू दाम पर ४१५ रुपये प्रति टन लाभ की गुंजाइश थी । इसलिये हमने कहा कि शुल्क १५० से बढ़ा कर ३०० रुपये कर दिया जाये । विदेशी मूल्य आदि के बारे में इस विशेष मद् का कोई सम्बन्ध नहीं है और सरकार का काम किसानों के हित को भी ध्यान में रखना है । शायद यह तर्क श्री मोरे ने रखा था, क्योंकि इस प्रकार का तर्क वही रख सकते हैं । मैं उनके सिद्धान्तों की आलोचना न करूंगा । उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया था कि हमारी निर्यात का अभ्यंश निर्धारित करने की नीति निश्चित नहीं है और मंत्रालयों में आपस में काम के सम्बन्ध में सहयोग नहीं है । पर यह सभी को पता होना चाहिये कि मूंगफली के तेल, खली आदि के विषय में, यह मुख्यतया खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का कृत्य है और निर्यात की सम्भाव्यता के बारे में वह मंत्रालय हमारा वरिष्ठ मंत्रणा-दाता है । इस विषय से हमारा सम्बन्ध इस लिये है कि निर्यात करने के व्यवस्था हम करते हैं । मूंगफली, खली आदि के बारे में इन दो मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से बैठकें होती हैं । मैं मानता हूं कि कभी कभी सरकार की कार्यवाही में कुछ विलम्ब हो जाता है, किन्तु उसे कार्यवाही करने से पहले स्थिति के बारे में संतुष्ट होना पड़ता है । निर्यात शुल्क में संशोधन करने के बारे में उसे विशेष रूप से सावधान रहना पड़ा है । जैसा कि आप को ज्ञात है, हम ने मूंगफली

[श्री करमरकर]

पर निर्यात शुल्क ३५० रुपये से घटा कर २२५ रुपये कर दिया था और बाद में यह १०० रुपये रखा गया था। हम नहीं चाहते कि किसी को, विशेषकर कृषक को, हानि पहुंचे। हमें उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखना है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी कार्यवाही से कृषक और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो। हमें दोनों के प्रति न्याय करना है। व्यापारी का कृत्य भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कुछ व्यापारी राज्य के हितों की उपेक्षा करते हुये अनुचित लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं। इसी लिये हमें स्थिति को देख कर सब के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। कई बार सरकार से गलतियां हो जाती हैं। और सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं होती, तथापि मुझे विश्वास है कि सरकार परिस्थितियों के अनुसार ही कार्यवाही करती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार, लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११३ दिनांक, ९ जनवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से मूंगफली पर निर्यात शुल्क प्रति टन (२२४० पौंड) १५० रुपये से बढ़ा कर ३०० रुपये कर दिया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३२, दिनांक ५ फरवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से मूंगफली की खली पर निर्यात शुल्क २३० रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से और मूंगफली की खली के चूरे पर (जिसमें १/२ प्रतिशत से कम तेल होता है) निर्यात शुल्क १७५ रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से लगाया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८६, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा--

(क) डीकार्टीकिटेड बिनौले की खली पर निर्यात शुल्क १०० रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से और मूंगफली, खोपरा, महुआ, तम्बाकू के बीज, नीम के बीज तथा डीकार्टीकिटेड बिनौले की खली को छोड़ कर सभी खलियों पर निर्यात शुल्क ५० रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से, और

(ख) मूंगफली की खली के चूरे पर (जिसमें १/२ प्रति शत से कम तेल होता है) लगाया गया निर्यात शुल्क मूंगफली की खली

के चूरे पर (जिसमें १ प्रतिशत से कम तेल होता है),

भारत के गजट में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लगाया गया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें *

सभापति महोदय : अब हम केन्द्रीय सरकार (रेलवे के अतिरिक्त) के व्यय के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें सभा के समक्ष मतदान के लिये रखते हैं ।

अब मांग संख्या १ और उसके चार कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है:

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये 'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' के निमित्त १०,००,००० रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री टी० के० चौधरी (रामपुर)	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये नये पदों का निर्माण ।	१०० रुपये
१	श्री टी० के० चौधरी	विशेष पुनर्गठन एकक की सिफारिश पर विदेशी व्यापार नियत्रण स्थापनाओं के पुनर्गठन द्वारा बचत करने में असफलता ।	१०० रुपये
१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (सीरहाट)	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के सम्बन्ध में पदाधिकारियों के पदों का निर्माण ।	१०० रुपये
१	श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम)	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम का संचालन ।	१०० रुपये

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

सभापति महोदय : सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं । सब से पहले मांग संख्या १ को लिया जायेगा ।

श्री तुलसी दास : मेरा कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्य-करण के बारे में है । यह निगम ४ मास पूर्व स्थापित किया गया था । वित्त मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा था कि इस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों को सामंजस्य से विकसित किया जाये । मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या नये निगम के अधीन इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ।

श्री टी० के० चौधरी : संसद् को विश्वास में लिये बिना जिस तरीक़े से सरकार ने ये निगम बनाये हैं, मैं उसका ज़ोरदार विरोध करता हूं । औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के बारे में भी, जिसके लिये गत सत्र में १७ करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान दिया गया था, इस की नीति पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया था । अब राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम बनाया जा रहा है । और इस निगम को चलाने के लिये मंत्रालय में नये पद निकाले जा रहे हैं । मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इस के बनाये जाने का तरीक़ा बहुत आपत्ति जनक है । सरकार ने स्पष्ट रूप से कभी यह नहीं बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ।

गत वर्ष ६ अगस्त को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने बम्बई में बड़े बड़े उद्योग-पतियों की बैठक में कहा था कि यह निगम देश में उद्योगों को विकसित करने के लिये निजी उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये बनाया जायेगा । किन्तु कल वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा है कि इस का मुख्य उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों को सामंजस्य से विकसित करना है । मैं यह नहीं समझ सकता कि वित्त मंत्री के इस वक्तव्य को श्री कृष्णमाचारी के वक्तव्य के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है । हम देखते हैं कि दिसम्बर में अनुदान के लिये संसद् की अनुमति लेने से पहले ही, २० अक्तूबर, १९५४ को यह निगम बना दिया गया था और इस में भारत के राष्ट्रपति ने ९९९८ अंश ले लिये थे और मंत्रालय के दो अधिकारियों ने एक एक अंश ले लिया था । इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध कराया गया है । मैं यह नहीं समझ सका कि इसे चलाने के लिये मंत्रालय में नये पद क्यों निकाले गये हैं, क्योंकि यह एक स्वायत्तशासी निगम है और इस में सरकार के कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । अब सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव, अवर सचिव आदि के नये पद क्यों निकाले जा रहे हैं ? यह सरकारी धन का अपव्यय है और यह बन्द होना चाहिये । इन निगमों के बनाये जाने के बारे में मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि सरकार संसद् को विश्वास में नहीं लेती । इन के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के द्वारा व्यवस्था की जाती है और सदन को नीति के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जाता । यह बात छोटे उद्योग निगम पर भी लागू होती है । इस की व्यवस्था भी अनुपूरक अनुदान की मांग के द्वारा की गई है और सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दिया । सरकार को इस प्रकार सदन को उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

आज प्रातः राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था

कि विशेष पुनर्गठन एकक की सिफारिशों को स्वीकार करने से ५४ लाख रुपये की बचत होगी । मैं पूछना चाहता हूं कि विशेष पुनर्गठन एकक के अन्य सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बंसल : मैं मांग संख्या १ का समर्थन करता हूं । मेरा विचार था कि जब सरकार औद्योगिक विकास निगम के लिये इतनी बड़ी राशि की मंजूरी मांगेगी, तो सदन को कम से कम यह तो बतायेगी कि आज तक इस निगम ने क्या किया है । इसे बने हुये चार या पांच मास हो गये हैं ।

श्री टी० के० चौधरी ने कहा है कि इस निगम के लिये विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव आदि के इतने पद निकाले गये हैं । यदि वह टिप्पणी पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि ये पद केवल विकास निगम के लिये नहीं हैं । इन का सम्बन्ध छोटे पैमाने के उद्योगों, योजना दल और दक्षिण में काफ़ी क्षेत्र के सर्वेक्षण से भी है, ताकि काफी की खेती बढ़ाई जा सके ।

अन्त में मैं गैर सम्मेलन सम्बन्धी मांग का उल्लेख करना चाहता हूं, जो कि ६२,००० रुपये है । भारत कई वर्षों से गैट का सदस्य है और आजकल श्री एल० के० झा इस सम्मेलन में जो कि जनेवा में हो रहा है, हमारे-देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । यद्यपि हम इस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के विभिन्न उपबन्धों को स्वीकार करते हैं, तथापि संसद् को यह मालूम नहीं कि ये वाक्बद्धतायें क्या हैं । मेरा सुझाव है कि गैट सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सदन में इस विषय पर नियमित वाद-विवाद होना चाहिये, ताकि हमें मालूम हो सके कि भारत को इन से लाभ होता है या हानि ।

श्री एस० एस० मोरे : श्री टी० के० चौधरी ने अतिरिक्त पद निकाले जाने की ओर निर्देश किया है । इन की कुल संख्या १२ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की अच्छी तरह जांच की है कि ये पद वास्तव में आवश्यक है और क्या इन्हें निलम्बित किया या रोका नहीं जा सकता ।

पदाधिकारियों के वेतन के लिये १,२४,००० रुपये की मांग की गई है और स्थापना के वेतन के लिये १६,००० रुपये की, किन्तु इन को वेतन श्रेणियों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई । केवल 'सामान्य' वेतन श्रेणियां कहना काफी नहीं है ।

हम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिये सरकार को कोई मांग प्रस्तुत करते समय तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देनी चाहिये । यह आश्चर्य की बात है कि अधिकारियों के लिये १,२४,००० रुपये की राशि खर्च की जाती है और उनके कर्मचारियों के लिये केवल १६,००० रुपये खर्च किये जाते हैं । हम इतने बड़े अन्तर के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं ।

विदेशों में शिष्ट मंडल भेजने के लिये २,२७,००० रुपये की मांग की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन शिष्टमण्डलों के कौन कौन सदस्य थे और क्या उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं या नहीं, ताकि हम यह जान सकें कि क्या सरकारी रुपये से केवल कुछ प्रियजनों को विदेश में सैर करने का अवसर तो नहीं दिया जाता, और क्या इन शिष्ट मण्डलों का कुछ लाभ होता है या नहीं । जनता में यह प्रवाद फैल रहा है कि सरकार अपने प्रियभाजन व्यक्तियों को काम दिलवाने और विदेश में भेजने का अवसर ढूंढती रहती है । अतः सरकार को इस मिथ्या भ्रम को दूर करने के लिये एक विवरणात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहिये,

[श्री एस० एस० मोरे]

जिससे यह स्पष्ट हो कि इन शिष्ट मंडलों पर उचित ढंग से धन खर्च किया गया है, और उन से अमुक लाभ हुआ है । रूस में कई शिष्ट मण्डल गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने वहां जा कर क्या किया है और क्या अपना प्रतिवेदन दिया है ? हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बताना पड़ता है कि राजस्व में से एक-एक पाई बड़ी सोच विचार के साथ खर्च की जाती है ।

अवकाश-वेतन तथा अवशेष वेतन आदि के लिये धन की मांग की जा रही है । क्या उस समय इस की कल्पना नहीं की जा सकती थी ? यदि कोई चीज़ किसी विशेष मांग के आधीन की गई है तो उस अनुदान की सब आवश्यक वस्तुओं की पूर्व कल्पना होनी चाहिये, ताकि हमारे सामने पूरा चित्र रहे । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन अनुदानों के सम्बन्ध में कोई समुचित निर्णय करने के लिये सब आवश्यक बातें सामने रखी जानी चाहियें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जिस प्रकार ये विकास निगम एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, इस से यह जानना कठिन हो जायगा कि किस निगम के क्या काम हैं । औद्योगिक विकास निगम के कामों के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती, और उद्योगपति को भी इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है । वाणिज्य मंत्री ने कुछ उद्योगपतियों को चर्चा करने के लिये बुलाया था, परन्तु हमें ज्ञात नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा । लोग यह समझते हैं कि सरकार उद्योग-पतियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सरकारी निधि में से धन देना चाहती है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

दूसरा प्रवाद यह है कि सरकार एक बार इन उद्योगों को पक्के आधार पर स्थापित करने के लिये अपने अधिकार में लेकर पुनः गैर सरकारी व्यक्तियों को निजी लाभ के लिये दे देगी । इस से बड़ी बेचैनी फैल रही है । वाणिज्य करने वाले लोगों को भी विश्वास नहीं है कि आया सरकार इस निगम की सहायता के साथ चलाये गये उद्योगों को, जब वे अपने पाओं पर खड़े हो सकेंगे, गैर सरकारी व्यक्तियों को सौंप देगी ।

यह कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी उप-क्रमों का इतिहास है । हमने फ़रीदाबाद में सुना है कि कतिपय छोटे उद्योग गैर सरकारी उद्योगपतियों को सौंप दिये गये । यह भी सुना गया है कि सोडपुर शीशा फैक्टरी भी गैर सरकारी उद्योग को दे दी जायगी । सरकार को अनिश्चित भविष्य वाले उद्योग को आरम्भ करने और फिर इसके सफल हो जाने पर इसे गैर सरकारी उद्योग को सौंप देने की क्या आवश्यकता है ? आखिर हमें इसका क्या लाभ होगा ? क्या आवड़ी संकल्प में पारित समाजवाद की यही रूपरेखा है ? किसी चीज़ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी न रखते हुये उस के पक्ष में मत देना सर्वथा गलत है और मुझे इस पर आपत्ति है ।

इस छोटे पाद-टिप्पण में बहुत से उद्योगों और अधिक भूमि पर काफी बीजने की सिफारिशों का जमघट किया गया है । हमें ज्ञात नहीं है कि हमें किस विषय में मत देना है । अतः माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस बात का स्पष्टीकरण करें कि औद्योगिक विकास निगम इस अतिरिक्त अनुदान के साथ क्या करना चाहता है और क्या सरकार इन उद्योगों के अच्छी तरह चल जाने के बाद इनको गैर सरकारी उद्योगपतियों को सौंप देगी, और इस अनुदान के द्वारा अल्प-स्तर के उद्योगों के विकास की क्या योजना है । हमें मालूम नहीं है कि फोर्ड फाउण्डेशन ने

जिस प्रणाली पर छोटे उद्योगों को चलाने की सिफारिश की है, वह क्या है और इस का अनुदान विशेष से क्या सम्बन्ध है ।

तीसरी बात यह है कि हम बहुत बड़ा सरकारी यंत्र रखने की नीति का विरोध करते हैं । इसे रोकना चाहिये । हमें इतने अधिक अधिकारी रखने के लिये मत देने को कहा जाता है, जो सर्वथा अनावश्यक है । अधिकारियों के लिये तो वेतन भत्ते आदि के लिये इतनी बड़ी बड़ी राशियां मंजूर की जाती हैं और दूसरी ओर क्लर्कों आदि के पद अस्थायी रखे जाते हैं । इसका हम जोरदार विरोध करते हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहती हूं कि इस निगम की क्या स्थिति है, और क्या हम सरकारी निधि को गैर सरकारी उद्योग-पतियों के लाभ के लिए लगाना चाहते हैं, और इस निगम तथा छोटे उद्योगों में क्या सम्बन्ध है । यदि इस का बड़े उद्योगों की स्थापना से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो हम इसका विरोध करते हैं । क्योंकि छोटे उद्योगों के लिये एक बोर्ड पहले ही वर्तमान है ।

श्री कानूनगो : भ्रांति का कारण यह है कि सभा के वाद-विवाद स्मरण नहीं रखे गये हैं । यह मांग इस निगम के लिये कर्मचारी रखने और अन्य कार्यों के सीमित उद्देश्य तक सीमित है । किसी भी काम को करने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । परन्तु यहां इस बात पर विचार करना है कि ये कर्मचारी पर्याप्त हैं या नहीं ।

हम विकास निगम के बिल्कुल नवीन विचार को अपना रहे हैं, जो देश के संतुलित औद्योगिक विकास की कमी को पूरा करेगा । हम जानते हैं कि अब तक सभी औद्योगिक उपक्रम गैर सरकारी उद्योगपतियों के भरोसे छोड़ रखे थे । किन्तु सरकार ने, १९४८ में अपनी नीति बनाने के पश्चात्, कतिपय विशिष्ट श्रेणियों के उद्योगों को आरम्भ करने का निर्णय किया है, जिन पर सरकार का विशेष अधिकार होगा, जब कि अन्य श्रेणियों में इस समय सरकार हाथ नहीं डालेगी । यदि संतुलित विकास नहीं होता, तो औद्योगिक तथा आर्थिक ढांचा हिल जायगा । उदाहरण के लिए तारकोल उद्योग आरम्भ नहीं किया जाता, तो यहां माध्यमिक और प्राथमिक वस्तुयें तैयार नहीं होंगी । और तब रंगने की सामग्री, सुगन्धि युक्त वस्तुयें और रंग आदि उपलब्ध नहीं होंगे, और हमें इन कार्यों के लिये आयात की गई माध्यमिक तथा प्राथमिक वस्तुओं पर आश्रित होना पड़ेगा । इस समय यह बात भी सच है कि हमारी आवश्यकतायें ऐसी हैं कि धातु, इस्पात आदि मूल उद्योगों में हमारे कर्मचारी पूरे होंगे और गैर सरकारी उद्योग उन वस्तुओं के उत्पादन का प्रयत्न नहीं करेगा, जिनका भविष्य उज्ज्वल नहीं है । उस अवस्था में क्या होगा ? इसी काम के लिये जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह निगम आरम्भ किया गया है, ताकि यह ऐसे उद्योग स्थापित, करने की सम्भावना पर विचार करे, जिनकी ओर इस समय कोई व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, और उनकी उपयोगिता और लाभ को सिद्ध करे । तब, संसद् की इच्छाओं के अनुसार इन उद्योगों पर लगने वाले समस्त व्यय को देकर यह गैर सरकारी उपक्रम को सौंप दिये जायें, अथवा यदि सरकार चाहे तो वह इन्हें चलाये । मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सरकार को इन सब बातों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को केवल औद्योगिक उत्पाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं में ही हाथ डालना चाहिये । मैं इस के सम्बन्ध में एक उदारहण दूंगा । मशीन के पुर्ज़ों का उदाहरण लीजिये । मशीन के पुर्ज़ों की खपत इतनी नहीं है कि कोई गैर सरकारी उपक्रम सब प्रकार के मशीन के पुर्ज़ों के उत्पादन में अधिक धन लगायेगा ।

[श्री कानूनगो]

मैं विचार करता हूँ कि इस प्रकार का निगम इस प्रकार का उत्पादन करेगा, ताकि इसकी मांग पूरी की जा सके। प्रत्येक वस्तु का प्रचार किया जायगा और यह सभा जब चाहे तब सरकार पर नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि अन्ततोगत्वा भारत के राष्ट्रपति ही इस निगम के अकेले अशधारी हैं और इसलिये, सभा को, जब यह चाहे तब सरकार पर नियंत्रण करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

वर्तमान अनुदान का उद्देश्य केवल सचिवालय के कर्मचारीवृन्द तक सीमित है। इसके बारे में कुछ सन्देह प्रकट किये गये हैं और प्रश्न पूछे गये हैं कि इन कर्मचारियों का क्या उपयोग है ? यह निगम है और निगम अपना व्यापार चलायेगा, और इस काम के लिये कर्मचारी रखने का क्या उपयोग है। किन्तु तथ्य यह है कि यह निगम एक सार्वजनिक सीमित समवाय के रूप में स्थापित किया जा चुका है। यह सार्वजनिक समवाय अवश्य है किन्तु यह गैर सरकारी सीमित है क्योंकि राष्ट्रपति ही इसके अकेले अंशधारी हैं।

इस निगम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का सरकार को परीक्षण करना होगा । इसके अतिरिक्त, इसके वर्तमान संचालन पर भी दृष्टि रखनी होगी और सरकार को निगम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर निर्णय करना होगा । इसके लिये हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है । हमें देखना यह है कि क्या यह अधिक है या नहीं जैसा कि आप को पता है, हमने इस काम के लिये केवल एक सचिव ही रखा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : निदेशक कौन हैं और क्या वे सरकारी निदेशक हैं ?

श्री कानूनगो : सभी निदेशक सरकार द्वारा नामनिर्देशित हैं। मेरे पास इस समय सब निदेशकों के नाम नहीं हैं, क्योंकि मुझे ख्याल नहीं था कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। परन्तु यह बात पहले प्रकाशित हो चुकी है और किसी अप्रत्यक्ष रूप से समवाय में प्रवेश करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता: इस की सब बातें भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, और इस विषय में सरकार के सभी संकल्प भी प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे स्मरण है कि दिल्ली प्रेस में यह सब बातें प्रकाशित हुई थीं। निदेशकों के बोर्ड की पहली बैठक अभी हाल ही में हुई थी।

अपने माननीय मित्र श्री बंसल के इस तर्क के सम्बन्ध में, कि इस दौरान में क्या होता रहा और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि प्रगति बहुत कम हुई है। इसका कारण यह है कि ऐसे उपक्रमों में उचित प्रकार के कर्मचारियों को एकत्रित करने में अधिक समय लग जाता है, और अधिक सावधानी से काम करना पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि आप रसायनिक-उद्योग के लिये एक परामर्शदाता चाहते हैं तो उसके लिये आपको बड़ी खोज करनी पड़ेगी और उचित प्रकार का व्यक्ति चुनना होगा क्योंकि उसके परामर्श पर आप को करोड़ों रुपये लगा देने होंगे। इसीलिये, निदेशकों के बोर्ड की प्रथम बैठक के उपरान्त, बीते हुए थोड़े से समय में, उन्होंने निगम को यह निदेश दिया है कि विशेष प्रकार का परामर्श देने वाले कर्मचारियों की खोज की जाये और ऐसे उद्योगों की अर्थ व्यवस्था के विषय में भी अध्ययन किया जाये, जिनके विषय में वे कार्य करना चाहते हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : इतने कर्मचारियों की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री कानूनगो : वे कर्मचारी, जिनके लिये स्वीकृति मिली थी, वे तो एक मंत्रालय के लिये हैं, और मैंने यह पहले ही समझा दिया है कि निगम से प्राप्त होने वाली प्रस्थापनाओं की सरकार द्वारा जांच की जाती है ।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस बात का ठीक उत्तर नहीं दे सकें हैं ।

श्री कानूनगो : मुझे इस बात का खेद है कि मैं डा० सुरेश चन्द्र को सन्तुष्ट नहीं कर सका हूं, परन्तु मुझे आशा है कि अन्य पक्ष के सभी सदस्य सन्तुष्ट हैं। यदि हम भोजन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिये रसोइया रखना ही होगा और उसे वेतन देना ही होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किन्तु अत्यधिक रसोइये भोजन का नाश कर डालते हैं ।

श्री कानूनगो : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यहां पर अत्यधिक रसोइयों की कोई बात नहीं है । जैसे कि भोज के लिये यदि एक रसोइये की आवश्यकता है तो प्लेटें साफ करने वाले एक आदमी की भी आवश्यकता होती है । इसी-लिये हम भी केवल एक सचिव और थोड़े से आवश्यक कर्मचारी रख रहे हैं । विपक्ष के कुछेक सदस्यों ने यह पूछा है कि प्रत्येक पदा-धिकारी के वेतन स्पष्टतया बताये क्यों नहीं जाते ।

आयव्ययक मौजूद है और उसकी बड़ी बड़ी पुस्तकें आपके समक्ष हैं । ये सभी प्रकार की नौकरियों के विषय में ब्योरा देती हैं । क्योंकि सभा के पास समय अधिक नहीं हैं हम यह उचित नहीं समझते कि इन मांगों में ये सभी ब्योरे भी सम्मिलित किये जायें क्योंकि इन्हें किसी भी समय पर निर्देशित किया जा सकता है ।

इस मांग में शिष्ट मण्डलों के बारे में प्रश्न उठाया गया है, और इसके विषय में सुझाव ऐसा दिया गया है मानो हमारे शिष्ट मण्डल सारे संसार में केवल आनन्द मना रहे हों । सुझाव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के प्रति पूरा आदर रखते हुये मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा कहना तो उन व्यक्तियों का अपमान करना है जो अपने कार्यों में इतना व्यस्त होते हुये भी अपना बहुमूल्य समय देते हैं । यह समझ लेना चाहिये कि वे लोग, जिन्हें सरकार की ओर से निमंत्रण दिया जाता है और जो इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने निजी कार्यों में अनेकों हानियां सहनी पड़ती हैं । वे तो केवल लोक-सेवा के भाव से ही यह निमंत्रण स्वीकार करते हैं । अतः मेरा यह निवेदन है कि सरकार के साथ ही साथ इस सभा को भी उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये जो कि सरकार का निमंत्रण स्वीकार करके शिष्ट मण्डलों की सेवा करने के लिये अपना बहुमूल्य समय और अपनी शक्ति लगाते हैं ।

शिष्ट मण्डलों के उद्देश्य और परिणामों को समय समय पर सरकारी प्रकाशनों में प्रकाशित किया जाता है, और सभा के वाद विवादों, और प्रस्तावों के दौरान में भी इन शिष्ट मण्डलों के परिणामों के बारे में अथवा अन्य बातों के विषय मे प्रकाश डाला जाता है । परन्तु क्योंकि अब सुझाव प्रस्तुत किया गया है, इसलिये गैट्टा के समान विशेष विशेष शिष्ट मण्डलों के विषय में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सरकार अवश्य विचार रेगी ताकि सभा इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके ।

लोटे उद्योगों के निगम के विषय में कहने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यह प्रश्न एक अन्य मद के अधीन लिया जा रहा है । मैं सभा को और विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं

[श्री कानूनगो]

कि लोक-निधि को किन्हीं व्यक्तियों के हवाले नहीं किया जा रहा है । ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता और न ही सरकार ऐसा करना चाहती है । निगमों के कार्यों के प्रतिवेदन सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यह है कि देश में उद्योग का संतुलित विकास किया जाये, और इस में किसी भी प्रकार की पाप-भावना नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि वे मित्र जिनके मन में सन्देह हैं, वे जरा सावधानी से काम लें, तो उनकी संतुष्टि होगी ।

श्री बंसल : जहां तक गैट्ट का सम्बन्ध है मेरा यह सुझाव नहीं था कि एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायगा । अपितु इसके विषय में सभा में चर्चा होनी चाहिये । और जो भी वाक्बद्धताएं की जायें सभा द्वारा उनका अनुमोदन होना चाहिये ।

श्री कानूनगो : इसका अवश्य ध्यान रखा जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : मांग संख्या १ में चार कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । वे हैं कटौती प्रस्ताव संख्या ४, ९, १० और ५ ।

श्री तुलसीदास : मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव संख्या १० को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

अनुमति से प्रस्ताव वापिस ले लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मांग संख्या १ के कटौती प्रस्ताव संख्या ४, ९ और ५ को सभा के मत के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के निमित्त, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये १०,००,००० रुपये की अनुपूरक राशि स्वीकृत की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मांग संख्या २ के विषय में चर्चा करेंगे ।

श्री तुलसीदास : मांग संख्या २ और ४ को इकट्ठा ही ले लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है ।

श्री कानूनगो: मेरा सुझाव है कि सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठा ही ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: मैं मांगें सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

मांग संख्या २—उद्योग

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है:

"कि 'उद्योगों' के निमित्त, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये १,००० रुपये की अनुपूरक राशि स्वीकृत की जाय ।"

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध मंत्रालय तथा खर्च

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध मंत्रालयों और खर्चों के निमित्त ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ७,००,००० रुपये की अनुपूरक राशि स्वीकृत की जाय ।"

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२	श्री टी० के० चौधरी	राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम	१०० रुपये
२	श्री तुलसीदास	राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम के कृत्य	१०० रुपये
४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बागान जांच आयोग	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय अब मैं मांग संख्या २ तथा ४ और ये तीनों कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख चर्चा के लिये रखता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : वैसे तो हम छोटे उद्योग निगम का स्वागत करते हैं, परन्तु मेरी केवल एक आपत्ति है कि ऐसे छोटे उद्योगों के विषय में, जो कि कुटीर उद्योगों से अलग ही अपना अस्तित्व रखते हैं, चर्चा नहीं होनी चाहिये । छोटे उद्योग तो अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं और फोर्ड फाउण्डेशन की सिफ़ारिशों के आधार पर सरकार ने उनके लिये बहुत कुछ किया भी है । पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हाल ही में छोटे उद्योगों के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसने बहुमूल्य सिफारिशें दी हैं ।

मुझे दूसरी आपत्ति इस बात की है कि पृष्ठ ६ के फुट नोट पर दिये हुये संकेत फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी गयी सिफारिशों से कुछ भिन्न से हैं । फोर्ड फाउण्डेशन ने यह सिफ़ारिश दी थी कि लघु उद्योग निगम के पांच कार्य होने चाहिये । उनमें से पांचवां कार्य है निगम में एक विशेष वित्त निकाय बनाना जो कि छोटे उद्योगों को ऋण दे सके । छोटे उद्योगों के लिये सब से बड़ी कठिनाई यही है कि उनके पास पर्याप्त वित्त नहीं है । अब इसमें जो १० लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया है, यह इस समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा । मुझे आशा है कि श्री कानूनगो इन उद्योगों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार को प्रेरित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री तुलसीदास : सरकार द्वारा छोटे उद्योग निगम बनाये जाने का मैं स्वागत करता हूं । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि फुट नोट में तो यह लिखा हुआ है कि प्रारम्भ में तो निगम पर आने वाले सभी खर्चे सरकार वहन करेगी और बाद में निगम स्वावलम्बी बन जायगा परन्तु मुझे समझ नहीं आती कि निगम इतना रुपया कैसे कमायेगा जिससे वह सभी खर्चों को स्वयं वहन कर सकेगा । यह अपने सभी खर्चों के लिये स्वावलम्बी कैसे बन सकेगा ?

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि ये छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के अनुपूरक के रूप में काम करें और साथ ही साथ मौलिक वस्तुओं का भी निर्माण करें । और निगम इन वस्तुओं को बेच कर रुपया इकट्ठा कर सके ।

आज छोटे उद्योगों के लिये सर्वाधिक आवश्यक बात यह है कि उनकी बिक्री के लिये विपणि (मार्किट) खोजी जाये । यदि सरकार बहुत कम दामों पर यह माल खरीदेगी

[श्री तुलसीदास]

तो इससे छोटे उद्योगों को कोई विशेष प्रोत्साहन प्राप्त न हो सकेगा ।

ऋण और शिल्पिक सहायता का उल्लेख (ख) में है । मुझे आशा है कि निगम इन वस्तुओं पर अधिक लाभ उठाने का प्रयास न करेगा । अन्यथा वह अपना कार्य सफलता पूर्वक न कर सकेगा ।

इस निगम को यह व्यवस्था करनी होगी कि छोटे उद्योग केवल उन्हीं वस्तुओं का ही उत्पादन न करें जिन्हें बड़े पैमाने वाले उद्योग उत्पादित कर रहे हैं, अपितु वे कुछ मौलिक वस्तुओं का उत्पादन भी करें । छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते । अतः उन्हें बड़े उद्योगों के अनुपूरक के रूप में काम करना चाहिये, और जिन वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योग नहीं करते, उनका उत्पादन करना चाहिये । मुझे आशा है कि निगम इन सभी बातों को ध्यान में रखेगा और छोटे उद्योगों की सहायता करेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सभापति महोदय, मैं इस छोटे उद्योग निगम का स्वागत करती हूं जिस की ओर के धन के आवंटन की मांग की गई है । किन्तु मुझे बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है कि यह छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की ओर से होने वाली प्रतिस्पर्धा को सहन कर सकें । कलकत्ते में छोटे पैमाने पर पट्टे बनाने वाले गुडयीअर, डनलप इत्यादि के मुकाबले में काम करने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । यदि हम राष्ट्रीय आय समिति के प्रतिवेदन को देखें तो हमें पता चलता है कि इन छोटे उपक्रमों का शुद्ध उत्पाद ९ से १० करोड़ रुपये तक के मूल्य का होता है । इसमें कुटीर उद्योग भी सम्मिलित हैं । यहां केवल दस लाख रुपये की राशि का सवाल है । हमें इन छोटे उद्योगों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिये । दस लाख रुपये से उनका काम नहीं चल सकेगा, क्योंकि हमें इन उद्योगों के लिये सस्ते कच्चे माल के संभरण की व्यवस्था भी करनी होगी । हम यह भी आशा करते हैं कि उनके लिये शिल्प प्रशिक्षण के लिये संस्थायें तथा विपणन सम्बन्धी संस्थायें भी खोली जायेंगी । हमें यह ज्ञात नहीं है कि इस निगम का कार्य-संचालन किस प्रकार होगा और यह कि क्या यह तुरन्त काम शुरू कर देगी ।

मांग संख्या ४ के सम्बन्ध में, मैं ने बागान जांच आयोग के बारे में एक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं इस आयोग का स्वागत करती हूं । यह चाय निर्यात समिति की अपेक्षा अधिक अच्छा सिद्ध होगा । इसे अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त परिव्यय के ढांचे की भी जांच करनी चाहिये, विशेष कर बड़े छोटे कर्मचारियों के पारिश्रमिक सम्बन्धी ढांचे की । यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि चाय बागान की स्थिति बहुत दुखदायक हो रही है । चाय बागान में काम करने वालों में बहुत अधिक असन्तोष फैल रहा है और वहां हड़तालें और गोली कांड भी हो चुके हैं । हम जानना चाहते हैं कि क्या बागान जांच आयोग इस प्रश्न को भी हाथ में लेगा । उसे अपनी सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत कर देनी चाहियें ।

श्री कानूनगो: मेरा कार्य बहुत सुगम हो गया है क्योंकि सभा ने छोटे उद्योग निगम के सम्बन्ध में सरकार के अभिप्राय का पूर्ण समर्थन किया है । मैं यह मानता हूं कि वर्तमान मांग एक बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिये है । प्रारम्भ में यह निगम केवल सरकारी संविदाओं की पूर्ति का काम ही किया करेगा । एक ऐसे व्यक्ति के लिये जो केवल १० दर्जन जूते अथवा २० ग्रास

पाइप फिटिंग तय्यार करता है असम्भव सी बात है कि वह टेंडर मंगाये और प्रस्तुत करे, उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करे, माल का संभरण करे और आदेश-प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हो। अतः इस संगठन का यह काम होगा कि वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ संविदाओं का सम्पादन करेगा और फिर अन्य उत्पादकों को छोटे ठेके दे देगा और तत्पश्चात् माल के संभरण में उनकी सहायता करेगा। जैसा कि श्री तुलसी दास मे कहा है हो सकता है कि उनका खर्चा प्रारम्भ में लाभ में से पूरा न हो सके। किन्तु यह कार्य वास्तव में 'न लाभ, न हानि' के आधार पर किया जायगा। धन की प्राप्ति और उसके उधार वितरण के बीच के पार्श्व से खर्चा निकल जाने की आशा की जाती है। इस समय अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह निगम लगभग ३ से ३½ प्रति शत की दर से धन प्राप्त करेगा और क़रीब ५ प्रतिशत की दर से आगे उधार देगा। अतः जब भी निगम का काम जोरों पर चलेगा, वह स्वयं ही अपना खर्चा पूरा कर सकेगा। तब तक सरकार को इसके कार्य संचालन के लिये आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिये मांगी गई १० लाख रुपये की पूंजी तो केवल प्राधिकृत पूंजी है। जब भी ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार से उसकी मांग और पूर्ति की जायगी। बजाय इसके कि मैं इस पर कुछ बोलूं, मैं यह कहूंगा कि इन विषयों में धन की उपलब्धि की कोई कठिनाई नहीं—आवश्यकता बहुत बड़ी है—अपितु कठिनाई इस बात की है कि किसी विशेष प्रयोजन या कार्य-संचालन आदि के लिये ऋण के परिमाण को आंकने के निमित्त हम किस प्रक्रिया, प्रमाप, स्वरूप आदि को अपनायें। हमें इसका कोई भी ज्ञान नहीं। इसका यही अभिप्राय है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को चलाने के लिये इस समय हमारे पास कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारिवर्ग उपलब्ध नहीं है क्योंकि आज तक इस ऋण के लिये किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं बनाई गई है। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रतिवेदन से पढ़ा है, इन लोगों के लिये उपलब्ध यह ऋण बहुत ही आवश्यक है, और सच तो यह है कि कई जगहों पर लोगों को ७२ प्रतिशत की दर से क़र्जा लाना पड़ता है। इस प्रकार की बातें होती भी इसी लिये हैं कि समुचित प्रकार की ऋण देने की संस्थाओं को बनाने का आज तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है। सभा की सहमति से सरकार इस निगम के कार्यसंचालन को विस्तार देने के लिये तैयार होगी, किन्तु व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि हमें इस सम्बन्ध में तब तक काफी सतर्क रहना चाहिये जब तक हमें प्रक्रियाओं, प्रमापों, आदि को चलाने में काफी अनुभव प्राप्त हो। अतएव मैं उन सदस्यों का अधिक आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है और सरकार का समर्थन किया है।

जहां तक बागान समिति की जांचका प्रश्न है, श्रीमती चक्रवर्ती भी इसका ज़िक्र कर चुकी हैं, इसके निर्देश पद बहुत ही विषद हैं, और मैं समझता हूं कि जिस समिति को देश की विधि के संगत प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिये इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं, वह इन प्रश्नों पर भी विचार करेगी। उन का प्रतिवेदन अपने ढंग का पहला प्रतिवेदन होगा जिस से सरकार और इस सभा को एतत्सम्बन्धी नीति निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि मांगों को पारित किया जाय।

सभापति महोदय: दो कटोती प्रस्ताव —संख्या ६ और संख्या ११—भी हैं।

श्री तुलसीदास : मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देता ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : अब सभा के समक्ष कोई भी कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कानूनगो : मैं यह निवेदन करूं कि इन दोनों प्रस्तावों को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः औपचारिक रूप से इन्हें वापिस लेना पड़ेगा ।

(सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ६ और ११ के वापिस लिये जाने के बारे में सभा से राय पूछी गई और कटौती प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।)

सभापति महोदय : वे माननीय सदस्य जो अपने कटौती प्रस्तावों के बारे में अधिक उत्सुक न हों, पहले ही बताया करें कि वे उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहते बल्कि उन पर बोलना चाहते हैं । इस से कठिनाई दूर हो जायगी ।

श्री एस० एस० मोरे : चर्चा छेड़ने के लिये कटौती प्रस्ताव उचित रूप से रखे जाने चाहिये ।

सभापति महोदय : यह तो प्रक्रिया की बात है ।

मांग स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या २—उद्योग—१,००० रुपये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

मांग स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विधि विभाग तथा व्यय—७,००,००० रुपये ।

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय

(सभापति महोदय द्वारा उक्त मांग के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।)

अतिरिक्त पदों की मंजूरी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

> "रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में ५५,००० रुपये से अधिक राशि के अनपूरक अनदान की मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मैं यह जानना चाहूंगी कि जब एक रक्षा मंत्री सदा से रहा है, तो एक उप सचिव, एक अवर सचिव, एक निजी सचिव, एक सैक्शन अफसर और अतिरिक्त फरनीचर टायपराइटर आदि की अब अतिरिक्त आवश्यकता क्यों पड़ गयी ?

श्री गिडवानी (थाना) : अब दो मंत्री हैं, अतः नाम लेना अच्छा होगा । जब डा० काटजू रक्षा मंत्री बने तो मैं ने समझा कि श्री त्यागी को मुक्त कर दिया जायेगा । बाद में पता चला कि उनको समाज कल्याण मंत्रालय सौंपा जायेगा । अतः मैं पूछता हूं कि क्या दो रक्षा मंत्री आवश्यक हैं, या श्री त्यागी को कुछ और काम दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का सुझाव रक्षा मंत्रालय नहीं, मंत्रिमंडल शीर्ष के अन्तर्गत आयेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : दोनों मंत्री एक ही गद्दी एक ही कुरसी पर नहीं बैठ सकते, इसीलिये अतिरिक्त व्यय की मांग की जा रही है । विभागों के लिये पहले ही बहुत सा काम दुहरा होता है.....

श्री कानूनगो : आपकी अनुपस्थिति में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री एस० एस० मोरे : तो मुझे खेद है, पर मैं बड़ा अनुगृहीत होऊंगा, यदि मुझे बता दिया जाये कि वास्तविक वेतन प्रमाप न बताकर 'सामान्य वेतन-प्रमाप' लिखना क्यों अच्छा समझा जाता है ।

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्री के रूप में जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं केवल निजी सचिव के स्थान के लिये उत्तरदायी हूं । मेरी नियुक्ति के पहले यह पद प्रधान मंत्री के पास था और उनके पास अपना निजी सचिव है । मुझे यह स्थान मिला तब रक्षा मंत्री का कोई निजी सचिव न था अतः एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया ।

जहां तक अन्य उपसचिवों, अवर सचिवों आदि का सम्बन्ध है, इसका रक्षा मंत्री से कोई सम्बन्ध नहीं है । इनकी नियुक्ति दूसरे कामों के लिये की गयी थी । उपसचिव का स्थान चार महीने के लिये बनाया गया था और सैनिक भूमि और छावनियों के निदेशक के काम की जांच करने, उसे सरल करने और संगठित करने के लिये और छावनियों के बारे में भारत सरकार की नीति कार्यान्वित करने के लिये और सैनिक भूमि और छावनियों के प्रशासन में सामान्यतः सुधार करने के लिये एक उपसचिव को विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था । यह स्थान ११ मई, १९५४ को बनाया गया और १२ नवम्बर, १९५४ को समाप्त हो गया, जब निदेशक सेवा-निवृत्त हो गया और विशेष कार्य पदाधिकारी का कृत्य समाप्त हो गया ।

३ म० प०

जहां तक अवर सचिव आदि के पदों का सम्बन्ध ह, भारतीय नौसेना के विस्तार के कारण मंत्रालय में काम बहुत बढ़ गया है । भारतीय नौ सेना में २३ निदेशक और पांच स्टाफ पदाधिकारी हैं और उनको शिक़ायत थी कि मंत्रालय में पदाधिकारियों की कमी होने के कारण उनके काम में देरी होती है । यह शिक़ायत उचित प्रतीत हुई और एक अवर सचिव, एक सुपरिन्टेंडेंट और एक सैक्शन अफसर नियुक्त किये गये ।

जहां तक अन्य छोटे-मोटे व्ययों का प्रश्न है, बात यह है कि जब एक मंत्री दूसरा कार्य संभालता है, तो जिस मंत्रालय का वह प्रभारी होता है, मेजें आदि ले लेता है और मेजें आदि देने का काम नये मंत्रालय का होता है । अतः मेरी मेज चली गयी और रक्षा मंत्रालय को कुछ फरनीचर और एक अतिरिक्त टेलीफोन आदि का प्रबन्ध करना पड़ा । मेरे माननीय मित्र रक्षा संगठन मंत्री अपने पुराने स्थान पर हैं । यह याद रखें कि प्रश्न-काल को छोड़ कर रक्षा मंत्रालय विशेष प्रकाश में नहीं आता । पर उसे बहुत काम करना पड़ता है और जब श्री त्यागी रक्षा संगठन मंत्री थे, प्रधान मंत्री रक्षा मंत्री थे । यह निर्णय प्रधान मंत्री को करना है कि क्या कुछ और समायोजन करना होगा । वह अलग बात है । पर जहां तक इन छोटे से अनुपूरक व्ययों का सम्बन्ध है ये अनिवार्य व्यय हैं और मुझे आशा है, सभा इसका अनुमोदन करेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक - कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य श्री गिडवानी ने प्रेस की सब प्रकार की भविष्यवाणियों का उल्लेख किया । मैं उन्हें सलाह दूंगा कि प्रेस में निरन्तर चलने वाली इन भविष्यवाणियों की ओर विशेष ध्यान न दिया करें कि कौन मंत्री होगा, उसे क्या विभाग मिलेगा, आदि आदि ।

रक्षा मंत्रालय के बारे में जैसा मेरे साथी डा० काटजू ने बताया रक्षा मंत्रालय के काम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का परिमाण इस सदन के बहुत से सदस्य समझते नहीं है, हां, कुछ तो निःसन्देह समझते हैं। यह विशाल संगठन है। जैसा सदन को पता है बहुत बड़ी राशि बजट का लगभग ४० प्रति शत रक्षा के ऊपर व्यय होता है। विशेषतः पिछले कई वर्षों में बड़े बड़े और पनपने वाले कई नये उद्योग--रक्षा सम्बन्धी उद्योग आदि खोले गये हैं। यह ठीक है कि हमें अनावश्यक राशि अतिरिक्त कर्मचारियों के ऊपर व्यय नहीं करनी चाहिये, वस्तुतः रक्षा में थोड़े से व्यक्तियों से व्यय की बचत या खर्च का सम्बन्ध नहीं है, बल्कि इस बात से है कि उसका प्रबन्ध कैसे होता है। उदारहणतः एक गलत क़दम या थोड़ी सी ढील से एक बड़े उपक्रम में कुछ लाख रुपयों का घाटा हो सकता है और एक सही तरीक़े से उसे बचाया जा सकता है। मेरे साथी श्री त्यागी ने पिछले लगभग एक-दो वर्षों में--मुझे ठीक समय पता नहीं--निकट से जांच करके लगभग एक करोड़ रुपयों की बचत कर दिखाई है।

श्री त्यागी : छः करोड़ रुपये।

श्री जवाहरलाल नेहरू: वह छः करोड़ रुपये कहते हैं। तो बचत के दो तरीक़े हैं। एक तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे बचत हो, दूसरे उस काम को बचतपूर्ण रीति से करना है। बात यह है कि इन सब के लिये बड़ी भारी जांच पड़ताल की जरूरत है। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, पर जहां तक रक्षा सेवाओं का सम्बन्ध है, वे सक्षम हैं, दक्ष हैं और योग्य हैं। उनमें ऊंचे, बीच के और नीचे दर्जे के पदाधिकारी हैं, और वे किसी दूसरे देश के किसी भी व्यक्ति से तुलना में खड़े हो सकते हैं। वे अपना काम कुशलता पूर्वक करते हैं और रक्षा मंत्रालय सक्षम मंत्रालय है। इसका अर्थ यह नहीं कि इतने बड़े संगठन में कोई गलती हो ही नहीं सकती और बड़े संगठनों में सदैव गतिहीन होने की प्रवृत्ति होती है। यह देखना हम सब का काम है कि वह गति-हीन न होने पाये। हमें बड़े पैमाने पर श्रम समस्याओं को निपटाना पड़ता है क्योंकि यह काम देने वालों का एक बड़ा मंत्रालय है। इसलिये मैं ने विशेषतः रक्षा संस्थापनों में पनपने वाले विशाल उद्योगों की दृष्टि में यह सोचा है कि श्री त्यागी की सेवायें हमारे लिये विशेष रूप से उपयोगी होंगी। उनका अनुभव और इन संस्थापनों में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का उनका तरीक़ा--यह सब बड़ा सहायक होगा और इसीलिये मैं ने उनसे विशेषतः इन संस्थापनों और अन्य बातों को संभालने का अनुरोध किया है। हम बड़े-बड़े क्रय भी कर रहे हैं। हमें आशा है कि बहुत जल्दी हम ये सब चीज़ें, चाहे विमान हों या और कुछ, स्वयं बनाने लगेंगे और विदेश में खरीद करने न जायेंगे। इन सब बातों को बहुत देखभाल की जरूरत है। होशियार व्यक्ति और होशियारी से उठाया गया क़दम लाखों रुपयों की बचत कर सकते हैं, जब कि हमें व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत थोड़ा व्यय करना पड़ता है।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

मांग स्वीकृत हुई:--

मांग संख्या ११--रक्षा मंत्रालय--५५,००० रुपये।

मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य

सभापति महोदय द्वारा निम्न मांग प्रस्तुत की गई:--

मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य--३०,६७,००० रुपये।

निम्न सदस्यों द्वारा निम्न आधार पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

सदस्य	कटौती आधार	कटौती राशि
१. श्री टी० के० चौधरी	. इण्डोचीन, सूडान और स्पेन में नये नियोजन (मिशन) खोलने की नीति।	१०० रुपये
२. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	. राजदूतावासों में व्यक्तियों की नियुक्ति	१०० रुपये
३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	. अपहृत पुरुषों और बच्चों को खोजने के संगठन को चालू रखने की आवश्यकता।	१०० रुपये

(सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २३ और उस पर उक्त ३ कटौती प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किये गये।)

श्री टी० के० चौधरी : सरकार ने हनोई (वीतनाम), कम्बोडिया, लाओस और स्पेन में नियोजन खोलने का निश्चय किया है। मुझे खारतोम और मस्कत के बारे में कुछ नहीं कहना है, पर दूसरे नियोजनों के बारे में मुझे यह पूछना है कि क्या इसके बाद नियमित इनको राजनीतिक मान्यता दी जायगी ? जेनेवा सम्मेलन के बाद से कम्बोडिया और लाओस के स्तर के बारे में लोगों को भ्रम रहा है। उत्तर वीतनाम राज्य में वीतमिन्ह का शासन है और दक्षिण वीतनाम की स्थिति अनिश्चित है। पर लाओस और कम्बोडिया फ्रांसीसी संघ के अंग हैं। फ्रांस के भूतपूर्व मंत्री मैंडेज फ्रांस ने भी कहा था कि जेनेवा सम्मेलन से उसके स्तर में अन्तर नहीं पड़ा है। ये राज्य स्वतन्त्र राज्य नहीं हैं। उनका स्तर स्पष्ट नहीं है। कोलम्बो शक्तियों द्वारा उनको मान्यता देने का प्रश्न भी चल रहा है। इन राज्यों ने भारत द्वारा मान्यता की मांग की है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में भारत की भावी नीति स्पष्ट कर दें। बजट के पत्रों में दी गयी पाद टिप्पणी का स्पष्टीकरण काफी नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति बहुत अस्थिर है, अतः यह प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी घटना विशेष के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस के पश्चात् ही अपनी नीति को निर्धारित करेंगे। हम एक निश्चित वक्तव्य चाहते हैं कि सरकार किस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करना चाहती है।

यही प्रश्न स्पेन में खोले जाने वाले मिशन के सम्बन्ध में है भी पूछा जा सकता है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हमारे मिशन की वहां स्थापना स्पेन की फ्रको सरकार को मान्यता देने की भूमिका नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब तक विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधान मंत्री अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्री का ही विशिष्ट अधिकार रहा है। सभी नियुक्तियां उनके एकमात्र स्वविवेक

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

के आधार पर ही की गई हैं। सभा को यह ज्ञात नहीं है कि क्या राजदूतों तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां किसी निश्चित आधार पर की जाती हैं।

सभापति महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है और आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय इसे उठाना अधिक उपयुक्त रहेगा। यदि माननीय सदस्य को इस नियुक्ति विशेष के प्रति कुछ कहना हो तो वह कह सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इंडोचीन, सूडान तथा मैड्रिड में खोले जाने वाले नये मिशनों के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं और अपनी आलोचना में मैं इन देशों में मिशन स्थापित करनें की प्रस्थापना का विरोध करता हूं।

मेरे मित्र ने अभी कहा कि इंडोचीन के तीन राज्यों में मिशन स्थापित करना समय से बहुत पूर्व की बात है क्योंकि इंडोचीन की स्थिति में अभी स्थायित्व नहीं आया है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ने यह नहीं कहा था कि इन मिशनों को स्थापित करना समय से पूर्व की बात है। मैं तो चाहता हूं कि वहां मिशन स्थापित किये जायें। मेरा प्रश्न तो केवल यह था कि क्या मिशनों की स्थापना मान्यता देने की भूमिका होगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उन्होंने क्या कहा है इस पर मैं तर्क नहीं करना चाहता हूं परन्तु उनके भाषण का आशय यही था कि क्या इन मिशनों का स्थापित किया जाना वांछनीय होगा। मैं उन्हीं के दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा हूं। इंडोचीन की स्थिति में अभी स्थायित्व नहीं आया है इसलिये इंडोचीन के अंगभूत राज्यों में मिशन स्थापित करना समय से बहुत पहले की बात होगी।

जहां तक खारतूम (सूडान) का प्रश्न है स्वयं विवरणात्मक टिप्पणी में ही कहा गया है कि उक्त देश में हो रहे संविधानिक परिवर्तनों के कारण ही सम्पर्क पदाधिकारी को खारतूम में रखा जा रहा है। वहां अभी संविधानिक परिवर्तन हो रहे हैं और हमें ज्ञात नहीं कि सूडान की भविष्य में परिस्थिति क्या रहेगी। ऐसी अवस्था में वहां मिशन स्थापित करना निश्चय ही समय से पूर्व की बात होगी।

स्पेन में मिशन स्थापित करने के सम्बन्ध में विवरणात्मक टिप्पणी में दिया है कि आईबेरियन प्रायद्वीप में भारत का कोई न कोई प्रतिनिधित्व होना ही चाहिये। हमें ज्ञात है कि स्पेन की राजनैतिक व्यवस्था बहुत सन्तोषजनक नहीं है और मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि स्पेन का राष्ट्रपति एक तानाशाह है। वहां मिशन स्थापित करने का यह आश्रय नहीं होगा कि हम तानाशाही को पसन्द करते हैं या उसका स्वागत करते हैं ? अतः आज जैसी विश्व स्थिति में हमारे लिये उस देश में कोई मिशन स्थापित करना वांछनीय नहीं होगा।

जहां तक इन मिशनों में की जाने वाली नियुक्तियों का प्रश्न है मेरे पास आंकड़े हैं जिन से ज्ञात होता है कि यह नियुक्तियां साधारणतया प्रधान मंत्री द्वारा अपने स्वविवेक के आधार पर की जाती हैं और प्रायः सभी स्थानों पर भारतीय विदेशी सेवा के अफसर नियुक्त किये जाते हैं। सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जो भी नियुक्तियां की गई हैं उन में सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया है।

मैं अब दूसरे कटौती प्रस्ताव को लेता हूं, जो अपहृत महिलाओं की पुनः प्राप्ति करने वाले संगठन के सम्बन्ध में है। मेरा आशय केन्द्रीय पुनः प्राप्ति संगठन से है। इसके लिये जितने व्यय की प्रस्थापना की गई है वह अनुचित है। विवरणात्मक टिप्पणी में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस से इस व्यय की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। बड़े खेद का विषय है कि माननीय मंत्री ने इस मांग विशेष के सम्बन्ध में हम को पर्याप्त आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन सम्बन्धी व्यय बहुत बढ़ गया है और मेरा विचार है कि यदि माननीय मंत्री द्वारा थोड़ी सी भी सावधानी बर्ती गई तो व्यय में बहुत कमी हो जायेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान्, मुझे केवल एक दो बातें ही कहनी हैं। पहली बात तो मांग संख्या २३ के विषय में है जिस में स्वागत व्यय के ५,१०,००० रुपयों का वर्णन है जो चीन के प्रधान मंत्री तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के भारत आने पर उनके स्वागत में व्यय हुये। मैं नहीं चाहता कि अतिथियों पर इतना अधिक व्यय किया जाय।

दूसरी बात मुझे श्री गुरुपादस्वामी के तर्क के विरोध में कहनी है। उन्होंने कहा है कि अपहृत महिलाओं की प्राप्ति के केन्द्रीय संगठन को अभी बनाये रखा जाना चाहिये, किन्तु मैं समझता हूं कि यह संगठन कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं कर रहा है बल्कि भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदारहण आये हैं। अतः मैं एक बार प्रधान मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं कि अब इस संगठन को बन्द कर दिया जाय।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पूर्व वक्ता ने अपहृत महिलाओं की पुनः प्राप्ति सम्बन्धी केन्द्रीय संगठन के विषय में कहा है जिसे मैं पहले लेना चाहता हूं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिये हैं, किन्तु मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं। यदि वह किसी घटना विशेष का विवरण मुझे बतायें तो मैं बड़ा आभार मानूंगा और उस की जांच करूंगा क्योंकि हमारी यह निश्चित नीति है कि किसी भी स्त्री को उस की स्पष्ट सम्मति के विरुद्ध बाहर न भेजा जाय।

जहां तक संगठन को क़ायम रखने का प्रश्न है और जिस के व्यय के विषय में माननीय सदस्य ने अभी कहा है, मेरी यही धारणा है कि वह एक संगठन महत्वपूर्ण है और जब हम यह निश्चय करते हैं कि उस का होना आवश्यक है तो उस के व्यय का प्रबन्ध करना भी हमारे लिये आवश्यक है।

यह एक दूसरी बात है कि उस के अनावश्यक सिद्ध होने पर उसे बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जाय किन्तु अभी जब वह चल रहा है तो उसका प्रबन्ध करना ही है।

श्री एस० एस० मोरे : जब मूल बजट रखा गया था तब आपने कहा था कि इसे वर्ष के कुछ समय तक क़ायम रखा जायगा। अब आप अनुपूरक अनुदान क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्योंकि हम समझते हैं कि इसे अभी कायम रखना आवश्यक है क्योंकि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उसके अनेक वर्षों के परिश्रम से अनेक अपहृत महिलायें पुनः प्राप्त कर ली गई हैं। पाकिस्तान में यह पुनः प्राप्ति काम कुछ और बढ़ गया है।

इस संगठन के विषय में हमारी जो नीति है उस पर हम विचार करने को तैयार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं। जहां तक अधिनियम का प्रश्न है उस की अवधि तीन चार महीने में समाप्त हो जायगी। जब तक कि वह लागू है, उस पर व्यय करना आवश्यक है। हम भविष्य में इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान देंगे कि इसे क़ायम रखा जाय या नहीं।

अब मैं नियुक्तियों के विषय में कुछ कहता हूं। जहां तक वैदेशिक सेवाओं में नियुक्तियों का सम्बन्ध है वे वैदेशिक सेवा से ही की जाती है। वैदेशिक सेवा एक विशेष रूप से प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों का समूह है। इन व्यक्तियों को सार्वजनिक परीक्षा के अनन्तर भर्ती किया जाता है और उसके पश्चात् हम उन्हें ढाई वर्ष तक विशेष प्रशिक्षण देते हैं। यह प्रशिक्षण कुछ तो भारत में और कुछ बाहर दिया जाता है और इस में विदेशी भाषाओं के अध्ययन का कार्य भी सम्मिलित है।

राजनयिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से ही हम ने इस सेवा का निर्माण किया है। उसी के बारे में माननीय सदस्य कहते हैं कि उस में भर्ती जनता में से की जाय। वैसे तो हम ने समय समय पर अनेक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को उस में स्थान दिये हैं, उन में से अधिकांश व्यक्ति वैदेशिक सेवा के सदस्य इस लिये मान लिये जाते हैं कि वे रीत्यानुसार सदस्य न होने पर भी वैदेशिक सेवा में एक पद से दूसरे पद पर कार्य करते रहे हैं। निरन्तर अनुभव का होना भी आवश्यक है। उस में ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह सार्वजनिक नेता कुछ दिनों के लिये अथवा एकाध वर्ष के लिये बाहर चला जाय। इस प्रकार हमारी सेवा में ऐसे अनेक सार्वजनिक कार्यकर्ता नियुक्त हैं जो कि पहले सार्वजनिक कार्य करते थे और अब उस में विभिन्न पदों पर उक्त सेवा में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण दूतावासों को छोड़ कर, जहां हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यों के लिये विशेषरूप से प्रशिक्षित हमारी सेवा के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता है। सभा को यह तो ज्ञात ही है कि राजनयिक प्रतिनिधित्व एक विशेष प्रविधिक कार्य है जिस में सार्वजनिक कार्यकर्ता के सामान्य ज्ञान से ही काम नहीं चलता है बल्कि विदेशी भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ ऐसे कार्यों के कार्यकरण के प्रविधिक ज्ञान की आवश्यकता भी होती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे दूतावासों के सभी कर्मचारी विदेशी भाषाओं में पारंगत हैं, किन्तु उदारहण के लिये यदि आप चीन अथवा मास्को में स्थित हमारे दूतावासों में जायें तो आप उन में दो चार व्यक्तियों को वहां की भाषायें भली प्रकार से बोलते हुये पायेंगे। यह ठीक है कि हमारे नेता एकदम से ही विदेशी भाषायें बोलना नहीं सीख सकते हैं, फिर भी हमें इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है।

जहां तक प्रधान मंत्री अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा की गयी सीधी नियुक्तियों का सम्बन्ध है, तो वे अधिकतर यदि उनका विषय स्थानांतरण अथवा पदोन्नति होता है, वैदेशिक सेवा बोर्ड द्वारा की जाती हैं। यह एक सरकारी बोर्ड है और ऐसे कार्य सम्पादन के उपरान्त प्रभारी मंत्री के पास अनुमोदन के लिये भेजे जाते हैं। यदि किसी मिशन विशेष में किसी नियुक्ति विशेष का प्रश्न होता है तो उस पर पृथक् रूप से विचार किया जाता है। अन्य साधारण नियक्तियों के सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री अधिक ध्यान न देकर वैदेशिक सेवा बोर्ड के प्रतिवेदन को देख

भर लेता है। महत्वपूर्ण वैदेशिक नियुक्तियों पर मंत्रिमंडल की वैदेशिक कार्य समिति द्वारा विचार किया जाता है। वैदेशिक कार्य मंत्री उन्हें उस समिति के समक्ष रख कर उस पर चर्चा करता है। और उस समिति की सम्मति से ही ये नियुक्तियां की जाती हैं। यही हमारी प्रक्रिया है।

अब मैं हिन्द-चीन और स्पेन सम्बन्धी मिशनों को लेता हूं। पहले स्पेन को लीजिये। प्रस्ताव यह है कि वहां एक वाणिज्यदूत नियुक्त किया जाय। इस का सम्बन्ध वहां की सरकार को मान्यता देने से नहीं है। अभी हमारे सामने उसे मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं है, किन्तु विरोधी दल के एक सदस्य ने जो कुछ कहा है उस के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी सरकार को मान्यता देने में हम इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं कि वह सरकार हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल है या प्रतिकूल। हम तो यह देखते हैं कि अमुक सरकार ठीक प्रकार से चल रही है तो हम उस के राजनैतिक अथवा आर्थिक दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान न देते हुये उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। हम वाणिज्यिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये स्पेन में वाणिज्यदूत नियुक्त कर रहे हैं और इस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं है।

माननीय सदस्यों ने हिन्द-चीन और सूडान की अनिश्चित परिस्थितियों का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि वहां पर ऐसी परिस्थितियों में हमारे प्रतिनिधि का होना और भी आवश्यक है। हिन्द-चीन में आयोगों के कारण हमारी विशेष दिलचस्पी है। उन आयोगों में हमारे व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं किन्तु आयोग के सभापति से हम वहां पर हमारा राजनैतिक प्रतिनिधित्व करने के लिये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापति हैं। हमारे लिये यह आवश्यक था कि ऐसे समय के लिये हम अपने प्रतिनिधित्व वहां पर रखते।

इन राज्यों की सरकारों को मान्यता देने से पूर्व हमारे सामने एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वह यह है कि वैधिक दृष्टि से वे शत प्रति शत स्वतन्त्र हैं अथवा नब्बे प्रतिशत स्वतन्त्र हैं। कुछ तो पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे सूडान। वह अभी पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र नहीं है किन्तु उसे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। हमें सूडान से तथा एशिया के अन्य देशों से बहुत दिलचस्पी है। हम ने सूडान में एक आयुक्त नियुक्त किया है जो इस समय हमारे काहिरा स्थित दूतावास के अधीन काम कर रहा है और वह एक प्रकार का वाणिज्य दूत है। किन्तु एकाध वर्ष बाद सूडान में हमारा प्रतिनिधित्व भिन्न प्रकार का होगा। अफ्रीका में अनेक देश स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं और वे भारत से सहायता और परामर्श प्राप्त करने को उत्सुक हैं। जब वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जायें और तब हम अपने प्रतिनिधि वहां भेजें इससे तो यह अच्छा है कि हम इस समय ही वहां अपने प्रतिनिधि भेज कर उन्हें परामर्श दें और उनकी सहायता करें।

इण्डो-चीन के सम्बन्ध में हम इस सामान्य सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहते थे कि हम इण्डो-चीन के प्रत्येक राज्य के साथ समान व्यवहार रखेंगे। वहां आपस में भेदभाव हो सकता है परन्तु हम किसी प्रकार भी किसी राज्य को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से नहीं देखेंगे। वे बड़ी ही संक्रमण की अवस्था में हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी वियेट-नाम में अगले वर्ष जून से पूर्व चुनाव होने वाले हैं जिनके होने से पूर्व हम कोई निश्चय नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कर सकते कि हमें उत्तरी अथवा दक्षिणी किस वियेत-नाम को मान्यता देनी है। इसी-लिये हम उनको सरकारी तौर पर मान्यता नहीं दे सकते हैं परन्तु बिना सरकारी मान्यता के हमने सर्वदा उनको मान्यता दी है। हमें समय समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर उनसे व्यवहार बनाये रखना है। अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के अतिरिक्त हमारा उनसे सर्वदा ही सम्बन्ध रहा है। जब में वहां गया था तो मैं ने उन चारों राज्यों का दौरा किया था, आप उसे सरकारी दौरा कह सकते हैं। जब तक कि कोई देश किसी देश को मान्यता नहीं देता है तब तक उस देश का सरकारी तौर पर दौरा नहीं किया जा सकता है। मैं हनोई, लाओस, कम्बोडिया तथा दक्षिणी वियेट-नाम, चारों स्थानों पर गया था। हम तीन राज्यों, लाओस, उत्तरी वियेट-नाम तथा दक्षिणी वियेट-नाम, में महा वाणिज्य दूत नियुक्त कर रहे हैं। कम्बोडिया की अवस्था कुछ भिन्न है क्योंकि वहां न औपचारिक रूप से और न ही विधि के अनुसार फ़्रांसीसियों का प्रभुत्व है तथा न फ़्रांसीसी सेना ही वहां है। अन्य प्रभाव हो सकते हैं यह दूसरा विषय है। इसलिये लाओस की तुलना में हसकी विशेष स्थिति है जिसके कारण हमने वहां अपना विशेष आयक्त नियुक्त किया है। उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्वि क्या होगा यह अभी निश्चित नहीं है तथा जब तक हमारे प्रतिनिधित्व का निश्चय नहीं होगा तब तक यह विशेष आयुक्त ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। सम्भव कि माननीय सदस्यों को ज्ञात हो कि कम्बोडिया नरेश, लगभग १५ दिन बाद यहां आ रहे हैं तथा यह स्वयं सरकारी रूप से मान्यता देना है। हम सरकारी तौर पर ही उनका स्वागत करेंगे। यदि किसी अन्य राज्य का प्रधान अथवा प्रधान मंत्री . . .

श्री टी० के० चौधरी : क्या प्रधान मंत्री का यह विचार है कि फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद ६० के अधीन फ्रांस के संघ तथा कम्बोडिया के सम्बन्ध समाप्त हो चके हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का पूर्णतया तथा निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं। परन्तु फ्रांसीसी सेना तथा फ्रेंच पदाधिकारी वहां से जा चुके हैं। मेरे विचार से अभी कुछ बातें तय करनी हैं। इन बातों को उन्होंने किस सीमा तक तय किया है यह मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ शेष हो। ये सब बातें बेकार सी हैं। उत्तरी वियेट-नाम राज्य के प्रधान ने, वह अपने पूर्ण स्वतन्त्र होने का दावा करते हैं, घोषणा की है कि वह फ़्रांसीसी संघ में स्व-तन्त्र सदस्य रहने के लिये तैयार हैं परन्तु किसी आधीन स्थिति में नहीं।

इसलिये इण्डो-चीन के सम्बन्ध में हम एक परिवर्तनशील तथा कठिन समय से गुजर रहे हैं तथा हमारे लिये आवश्यक है कि उन राज्यों में होने वाली कार्यवाहियों से निकट सम्पर्क रखें। हमारे ऊपर उत्तर-दायित्व है तथा इसीलिये हमने महा-वाणिज्य-दूत नियुक्त करने का निश्चय किया है। हो सकता है कि बाद में हम अपना किसी अन्य प्रकार का प्रतिनिधि नियुक्त करें परन्तु इस समय केवल महा-वाणिज्य-दूत ही नियुक्त कर रहे हैं।

(सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २३ के कटौती प्रस्ताव संख्या १, २ तथा ८ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वी-कृत हुये।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।)

मांग संख्या २४ क—भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

वर्ष १९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनदान की यह मांग सभापति महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
२४-क	भारत में फ्रांसीसी बस्तियां	१८,९६,००० रुपये

मांग संख्या २४-क पर यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रत्यक्ष हस्तान्तरण के पश्चात् के अतिरिक्त व्यय ।	१०० रुपये

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे दो बातें कहनी हैं । एक तो आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के व्यय के सम्बन्ध में है । जब पांडिचेरी शेष भारत में विलीन हो रहा है तो भविष्य में आयात निर्यात का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

दूसरे हमें यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सत्ता हस्तांतरण के पश्चात्, मिल के बेकार कर्मचारियों को भारतीय नियमों के अनुसार निवृत्ति वेतन आदि दिया जायेगा । हमने सुना है कि कुछ माह में चुनाव होंगे तथा आशा है कि पांडिचेरी भारत में पूर्णतया विलीन हो जायेगा ।

अब जब कि पूर्ण विलीनीकरण हो रहा है तथा हम इसके लिये धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं तो हमें सार्वजनिक प्रशासन के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये जो कि नगरपालिका आयोगों के अधीन है । मुझे याद है कि पिछले अवसर पर हुई चर्चा में प्रधान मंत्री ने बताया था कि भारत-फ्रांस समझौते के अनुसार हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं । परन्तु इस दृष्टिकोण से कि जब हम भारत में इसको पूर्णतया विलीन करने जा रहे हैं तब हमें इनमें से उन व्यक्तियों को हटाना है जो कि भूतकाल में देशद्रोही रहे हैं तथा हम चाहते हैं कि चुनाव के समय इन आयोगों का प्रभुत्व न रहे और सरकार स्वयं ही प्रशासन का कार्य करे जिससे कि चुनाव ठीक प्रकार से हो सकें ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को पहले भी बता चुका हूं कि ये नगरपालिका आयोग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं । इनके सभापति पहले फ्रेंच सरकार की सहायता कर रहे थे । प्रश्न यह है कि जब हम इतनी धनराशि स्वीकृत करने जा रहे हैं तब हमें यह देखना आवश्यक है कि यह धन ठीक व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि नहीं । इसलिये हमारा सुझाव यह है कि इन आयोगों को हटा कर केन्द्रीय सरकार को आयुक्त नियुक्त करने चाहिये जिससे कि चुनाव निष्पक्षतया के साथ हो सकें । वहां के ये नगरपालिका आयोग हमारी नगरपालिकाओं के समान स्थानीय संस्थायें नहीं हैं । वहां ये आयोग ही प्रशासन के कर्णधार हैं तथा उनको प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अग्रेतर कोई कार्य करने से पूर्व हमें इस पर पूर्णतया विचार करना चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): पांडिचेरी में कुछ विभिन्न परिस्थितियां हैं। वहां शिक्षा मुफ्त है। उनमें से कुछ फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समक्ष ये समस्यायें हैं कि उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी अथवा नहीं। प्रधान मंत्री ने बताया था कि ये रियायतें मिलती रहेंगी परन्तु प्रश्न यह है कि यह रियायतें कब तक जारी रहेंगी। यही वह जानना चाहेंगे।

वैदशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : १८ मार्च से पूर्व नगरपालिका आयोग तथा उन्होंने भारत में विलीन होने के संकल्प को पारित किया था। परिणामस्वरूप, फ्रांसीसी शासन के अन्तिम दिनों में, उन्होंने उन सदस्यों को छोड़ कर, जिन्होंने भारत में विलीन होने के लिये मत दिया था, नगरपालिका आयोग में, शेष सभी को पुनः नामनिर्देशित कर दिया था। हमने उन सब को भी जो १८ मार्च, १९५४ को सदस्य थे पुनः नामनिर्देशित कर दिया है। ये केवल अस्थायी प्रबन्ध है क्योंकि हम यथासम्भव शीघ्र चुनाव करना चाहते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त अभी पांडिचेरी गये थे तथा मतदाताओं को पंजीबद्ध किया जा रहा है। हमें जून में निश्चित रूप से चुनाव होने की आशा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चुनाव के समय प्रशासनिक तथा कार्यपालिक प्रधान कौन होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : अन्य राज्यों के समान, पांडिचेरी राज्य में भी मुख्य आयुक्त है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नगरपालिका के सदस्यों को ही कार्यपालिका के अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि चुनाव के समय क्या वे ही कार्य करते रहेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : भारत सरकार के मंत्रियों को कार्यपालिका अधिकार प्राप्त हैं तथा चुनाव के समय भी उनको यह अधिकार प्राप्त रहेंगे। इसलिये हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिये कि नगरपालिक सदस्यों के कार्य करते रहने से चुनाव ठीक प्रकार से नहीं होंगे ! ये ही व्यक्ति १८ मार्च से पहले नगरपालिका आयोगों में थे तथा इन्होंने ही भारत में विलीन होने के पक्ष में मत दिया था।

श्री नम्बियार : इनका चुनाव फ्रांसीसियों के समय हुआ था तथा हस्तांतरण के पश्चात आपने उन्हें पुनः नियुक्त किया है।

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि जो व्यक्ति गणतंत्र के अत्यधिक पक्षपाती हैं वे ही नगरपालिका आयोगों के अधिकार को नहीं मानते हैं। सम्पूर्ण विषय विचाराधीन है तथा सभी दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया जायेगा। पांडिचेरी की वर्तमान स्थिति अस्थाई है। अभी प्रत्यक्षरूप में सत्ता हस्तांतरित हुई है विधि अनुसार नहीं। मुझे विश्वास है कि श्रीमती चक्रवर्ती के सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस प्रकार की स्थिति कितने वर्ष तक रहेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

(सभापति महोदय द्वारा, कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या २४-क मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।)

मांग संख्या ५३--मंत्रिमंडल

वर्ष १९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग सभापति महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५३	मंत्रिमडल	२,०७,००० रुपये

मांग संख्या ५३ पर यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	एक मंत्रिमंडल कोटि के मंत्री तथा पांच राज्य मंत्रियों की नियुक्ति ।	१०० रुपये

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : देश में ऐसी भावना फैल रही है कि जब सामान्य व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है । डा० काटजू की नियुक्ति से मंत्रीमंडल में एक मंत्री की वृद्धि हो गई है तथा पांच राज्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की गई है जिससे जनता में यह भावना फैल रही है कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । इस समय हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : रूस में २१२ मंत्री हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें अपनी तुलना रूस से नहीं करनी चाहिये क्योंकि वहां तो बेकारी भी नहीं है । (अन्तर्बाधा) चीन में कितने उपमंत्री हैं ? उच्च तथा निम्न वेतनों में क्या अन्तर है ? चीन से तुलना कीजिये । जनता की भावना को समझिये । जनता को तो आप भूखा ही रखना चाहते हैं जब कि मंत्रियों के भत्ते आदि बढ़ा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं । इसलिये जब हम समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपदास्वामी : आजकल इसकी बड़ी चर्चा है और मंत्री-मंडल का परिवर्तन समाचार-पत्रों का विषय बना हुआ है ।

श्री अलगूराय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़ --पूर्व व--ज़िला बलिया--पश्चिम) : प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में ऐसा ही होता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आजकल समाचार पत्र केवल मंत्रियों की बातों से ही भरे रहते हैं । आर्थिक और राजनीतिक मसलों को तो यह कह कर टाल दिया जाता है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं । आज हमारे सामने मंत्रियों की एक सेना तय्यार हो गई है । मंत्रियों के छांटने का आधार यह नहीं होता है कि वे किसी विषय के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते हैं या उन मसलों को, जो उन के सिपुर्द किये जा सकते हैं निपटाने में उनको बहुत कौशल प्राप्त है । मुख्य बात जिसका ध्यान रखा जाता है यह है कि किस व्यक्ति में दबाव डालने की शक्ति कितनी है । मंत्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि बहुत से उपमंत्रियों ने मुझे बताया है कि उनके पास काफ़ी काम नहीं है या कैबिनेट मंत्री उन को काम नहीं सौंपते हैं । मंत्रालयों के संचालन में जो अदक्षता है उसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों में कोई योग्यता नहीं है । कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कि यह अफ़वाह न फैलती हो कि कांग्रेस दल का

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

अमुक व्यक्ति मंत्री बनने वाला है । इसका प्रभाव बहुत ही हानिकारक होता है । कांग्रेस दल के कितने ही ईमानदार और स्पष्टवादी नवयुवक केवल इसीलिये अपने विचारों को व्यक्त करने में घबराते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वे प्रधान मंत्री की निगाहों में गिर जायें । यदि मंत्रियों की संख्या घटा दी जाय और उचित व्यक्तियों को ही मंत्री पद दिया जाये तो सब मंत्रियों के पास पर्याप्त मात्रा म काम रहेगा और कार्य कुशलता भी बढ़ जायेगी । आतिथ्य भत्ता बिल्कुल व्यर्थ है और मंत्रियों को बिना आतिथ्य भत्ते के ही काम चलाना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त) : मेरा विचार है कि श्रीमती चक्रवर्ती ने जो बातें कही हैं वह गम्भीरता के साथ नहीं कही हैं और यदि उन में कुछ भी गम्भीरता मानी जाये तो उन का अर्थ तो यही होगा कि सरकार तथा कैबिनेट दोनों का कार्य इतना दक्षतापूर्ण है और इतनी अच्छी तरह हो रहा है कि यदि उन की संख्या घटा दी जाये तो भी कोई हानि नहीं होगी । हमारे जैसे देश के लिये, जिसकी जनसंख्या ३६ करोड़ है, जिस के सामने न केवल वर्तमान समय का ही काम इतना अधिक नहीं है वरन् शताब्दियों के विदेशी शासन में पिछड़ा हुआ काम भी बहुत अधिक है, कैबिनेट सदस्यों की इतनी संख्या अधिक नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसके अतिरिक्त ३०० राज्य मंत्री भी तो हैं ।

श्री जी० बी० पन्त : संसार के योग्य से योग्य व्यक्ति भी इतनी बड़ी जनसंख्या का काम इससे छोटी संख्या से नहीं चला सकते हैं । यह शिकायत हो सकती है कि जितनी हम से आशा की जाती है उतना हम नहीं कर पाते हैं । परन्तु इस का निदान तो मंत्रियों की संख्या कम करना नहीं वरन् उन की संख्या का बढ़ाना है । श्रीमती चक्रवर्ती ने सम्भवतः चीन का हवाला दिया था परन्तु मैं समझता हूं कि चीन के सम्बन्ध में तो सभी का मत है कि हमारे यहां मंत्रियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि चीन में है । इतने बड़े देश का काम चलाने के लिये नियुक्त किये गये मंत्रालय का कुल खर्चा पूरा नौ लाख रुपये भी नहीं है । जहां तक न्यूनतम वेतन पाने वाले के साथ तुलना करने का सम्बन्ध है, उस का यहां कोई प्रसंग नहीं है । बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन का वेतन प्रधान मंत्री के वेतन से दुगना है । यह एक पृथक् प्रश्न है और विचार करने योग्य है । माननीय वित्त मंत्री ने कल जो सुझाव रखे हैं उन के कारण मंत्रियों को मिलने वाली राशि कुछ कम हो जायेगी ।

मेरा विचार है कि श्रीमती चक्रवर्ती अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर आग्रह करती हूं ।

(सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

(सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ५३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

१९५४–५५ के लिये अनुदान की यह मांग सभापति महोदय ने प्रस्तुत की :)

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
११३	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी-व्यय ।	९६,८०,००० रुपये

मांग संख्या ११३ पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१०० रुपये

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति : जब हम एयर-लाइन्स राष्ट्रीयकरण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो कितने ही उदाहरण इस बात के दिये गये थे कि हिसाब बहुत बढ़ाकर बताया गया है, विमानों के पुर्जे वास्तव में बहुत ही सस्ते दामों पर क्रय किये गये थे। इसलिये हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य है कि जहां पहले ६०९·३७ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था वहां अब ७३१·६५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। जान ऐसा पड़ता है कि व्यक्तिगत समवाय तो पहले ही राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनके विरोध करने पर भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उन्होंने प्रतिकर के रूप में बड़ी से बड़ी धन राशि पाने का प्रयत्न किया है और हो सकता है कि मंत्रालय ने उन की मांग को स्वीकार कर भी लिया हो।

मुझे स्मरण है कि जब हम ने पुराने विमानों का प्रश्न उठाया था तो हम ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि ये विमान पुराने हैं कहीं ऐसा न हो कि हम ये पुराने विमान क्रय कर लें और बाद में इन के स्थान पर नये विमान क्रय करने के लिये हमें और अधिक धन खर्च करना पड़े। इतना होने पर भी प्रतिस्थापन में हमें इतनी भारी राशि व्यय करनी पड़ रही है। इसका क्या कारण है हम जानना चाहते हैं।

श्री नम्बियार : माननीय सदस्या ने जो कटौती प्रस्ताव आपके सामने रखा है उस का मैं ज़ोरदार शब्दों में समर्थन करना चाहता हूं। विमान निगमों के राष्ट्रीयकरण पर जिस प्रवर समिति ने विचार किया था उस का मैं भी एक सदस्य था। हमें बताया गया था कि अधिकतम प्रतिकर जो मांगा गया था और जो दिया जा सकता था वह इनको दिया जायेगा। इसलिये और अधिक प्रतिकर मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो माल उन के खाते से हमारे खाते में डाला गया था वह भी हम ने उसके नकद मूल्य के आधार पर नहीं लिया था वरन् उस मूल्य के आधार पर लिया था जो कि रजिस्टरों में पहले से अंकित चला आता था। डकोटा विमानों के सम्बन्ध में यह बात मैं स्वयं कह सकता हूं। कितने ही डकोटा बिमान बिल्कुल नष्टप्राय थे या दुर्घटनाओं में नष्ट हो चुके थे। इस रद्दी माल के लिये क्या अब हमें और रुपया देना पड़ेगा ? इन समवायों को और धन देने के लिये जनता पर बोझ डालना तो बहुत बड़ा अन्याय है। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि और अधिक अनुदान देने के पूर्व इस मामले का पुनर्विलोकन किया जाये।

श्री राज बहादुर : पहली बात जो मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं वह यह है कि यदि वे अनुपूरक मांगों की सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ते तो वे जान सकते थे कि हमारी मांग केवल प्रतिकर के नक़द भुगतान के लिये ही नहीं है वरन् दोनों निगमों की पूंजीगत आवश्यकताओं के लिये है। हम यह पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिकर का जो प्राक्कलन हम दे चुके हैं उसमें कोई

[श्री राज बहादुर]

वृद्धि नहीं हो सकती है। गत वर्ष अनुपूरक मांगों में प्रतिकर का भुगतान करने के लिये कुछ उपबन्ध किया गया था, परन्तु वह राशि अदा नहीं की जा सकी थी क्योंकि उस समय तक प्रतिकर का अनुमान नहीं किया जा सका था। इसलिये उसको भी इस वर्ष की राशि में सम्मिलित करना पड़ा। हम आशा करते हैं कि वह प्रतिकर अब हमें अदा करना पड़ेगा। इस लिये हमने यह अनुपूरक मांग रखी है।

जहां तक विमान-क्रय सम्बन्धी खर्चे का सम्बन्ध है हम ने जो पांच सुपर कांस्टलेशन विमान क्रय किये थे उन के 'एस्कलेशन प्रभार' जमा हो गये हैं। ये एस्कलेशन प्रभार वास्तव में वह अन्तर है जो विमान निर्माण काल में श्रम तथा सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उत्पन्न हो गया है। तीन सुपर कान्स्टलेशन विमानों के भेजने का खर्चा दो लाख रुपया है। कुल "एस्क-लेशन प्रभार" ५२·६१ लाख रुपये है। राशि में जो वृद्धि हुई है वह कुछ इस कारण भी हुई है। इन विमानों के मूल्य का बहुत बड़ा भाग अदा किया जा चुका है, शेष का भुग-तान करना है। उस के लिये उपबन्ध किया जा रहा है। निगमों को दी जाने वाली अग्रिम राशि पूंजीगत व्यय के लिये है। विमान निगम अधिनियम की धारा १० के अनुसार यह राशि निगमों को उन निबन्धों तथा शर्तों पर दी जायेगी जो कि सरकार निर्णय करे इस लिये इस में कोई असाधारण खर्चा नहीं है। जो अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है वह विमान निगमों के सामान्य कार्यकरण के लिये है। मैं एक बार फिर दुहराना चाहता हूं कि प्रतिकर की राशि जैसा कि अनुमान लगाया गया है उससे अधिक नहीं बढ़ने पायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति : यहां प्रश्न पूंजीगत आवश्यकताओं में वृद्धि होने का है। पूंजीगत आवश्यकताओं में प्रतिकर सम्मिलित नहीं है। इसलिये इस वृद्धि का वास्तविक कारण क्या है?

श्री राज बहादुर : हमने उपबन्ध किया था कि प्रतिकर का भुगतान करने के लिये हम विमान निगमों को अपेक्षित धनराशि देंगे।

प्रतिकर का गत वर्ष भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि प्रतिकर की आगणना नहीं की जा सकी थी। इस में कुछ समय लगा क्योंकि विभिन्न समवायों ने अपने विवरण देर से भेजे। फिर हमने वायु निगम अधिनियम में संविहित समय-सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये। विवरणों के प्राप्त होने में देर होने के कारण गत वर्ष भुगतान नहीं किया जा सका। हम इस चालू वर्ष के अन्त तक भुगतान कर देने की आशा करते हैं।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जिन अधिकारियों को निर्धारण के कार्य पर नियुक्त किया गया था क्या वह वही थे जो कि उस समय नियुक्त किये गये थे जब कि निगम को प्रारम्भ किया गया था?

श्री राज बहादुर : वह विभिन्न स्रोतों से लिये गये थे। हम ने उन को असैनिक उड्डयन निदेशालय के वैमानिक निरीक्षण विभाग, हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के निरीक्षणालय, भूतपूर्व एयर लाइन्स के भूतपूर्व कर्मचारियों तथा आय-कर विभाग के सेवा-निवृत्त अधिकारियों में से प्राप्त किया था।

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का कटौती प्रस्ताव संख्या १ सभा के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि 'संचार मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोग' सम्बन्धी अनुपूरक अनुदान की ९६,८०,००० रुपये की मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये संचार मंत्रालय के अन्य पूंजी व्यय' के निमित्त ९६,८०,००० रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभापति महोदय द्वारा शेष अनुपूरक मांगें संख्या ३२, ३५, ३७, ३८, ४०, ४७, ४८, ५५, ६०, ७१, ८२, ८९, १२५ और १३३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।)

[लोक-सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की सूची नीचे दी जाती है—सम्पादक, संसदीय प्रकाशन]

३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुपूरक अनुदानों की ये मांगें सभापति महोदय ने प्रस्तुत कीं।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
३२	अभिकरण के विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान . .	११,०००
३५	टकसाल . . .	२,७५,०००
३७	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	२३,००,०००
३८	विविध विभागों तथा वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय .	१,०६,००,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के मध्य विविध समायोजन . .	१,२६,०००
४७	विविध विभागों तथा खाद्य तथा कृषि मत्रालय के अधीन व्यय .	१२,००,०००
४८	स्वास्थ्य मंत्रालय . .	५३,०००
५५	पुलिस . .	५१,२१,०००
६०	प्रसारण . .	९,००,०००
७१	न्याय प्रशासन . .	२७,०००
८२	नमक	८,००,०००
८९	भारतीय राजाओं को निजी थैलियां तथा भत्ते .	१०,०००
१२५	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी विनियोग .	७६,२०,०००
१३३	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी विनियोग . . .	५,००,००,०००

विनियोग विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं और प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

माननीय सदस्यों को विदित होगा कि गत युद्ध में विदेशी विनिमय नियंत्रण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो गया था । और उस समय सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था । किन्तु आज विदेशी विनिमय के नियंत्रण के कारण उस समय के कारणों से भिन्न हैं । उस समय देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को देखते हुये और युद्ध के लिये विदेशी विनिमय को सुरक्षित करने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि निर्यातों में कमी की जाती अथवा उन पर नियंत्रण किया जाता । उस समय वही मुख्य विचारधारा थी । किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की अर्थ व्यवस्था में विदेशी विनिमय के नियंत्रण ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है । युद्ध के बाद सब से प्रमुख समस्या विभिन्न कमियों को पूरा करने की थी । देश में खाद्य की उपभोक्ता वुस्तओं की कच्चे माल की और पूंजी माल की कमी

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तावित ।

थी । इस के साथ साथ विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी अनिश्चित थी । पिछले पांच वर्षों में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: जो विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ है उस का

वर्ष	१९४८-४९	प्राप्ति लगभग	४७८करोड़रुपये
,,	१९४९–५०	,, ,,	५३१ ,,
,,	१९५०–५१	,, ,,	६६२ ,,
,,	१९५१–५२	,, ,,	७४२ ,,
,,	१९५२–५३	,, ,,	५७८ ,,
,,	१९५३–५४	,, ,,	५२८ ,,

अतः माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमारी प्राप्ति वर्ष प्रति वर्ष बदलती रही। यदि अदृश्य प्राप्ति के बारे में विचार किया जाय, तो वह भी वर्ष प्रति वर्ष बदलती रही है । किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि अदृश्य प्राप्ति के बारे में हमारे लेखे में हमेशा जमा बाक़ी रही । हमारी अदृश्य रोकड़ बाक़ी इस प्रकार रही है :

वर्ष	रोकड़ बाकी
१९४८ .	३०.६० करोड़ रुपये
१९४९	४३·३ ,,
१९५०	३९·२ ,,
१९५१	५५·५ ,,
१९५२	९५·२ ,,
१९५३ .	९२·४ ,,
जनवरी से मार्च १९५४	२०·१ ,,

अतः हमारी सब से मुख्य कठिनाई यह थी कि हम अपने आयातों को उसी हद तक समन्वित करें जितना कि हमारे निर्यातों के अनुसार करना सम्भव है । फिर खाद्य आवश्यकताओं की एक कठिनाई थी जिसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते थे। वे आवश्यकतायें भी वर्ष प्रति वर्ष बदलती रहीं । उदाहरणार्थ, १९४८–४९ में १०२ करोड़ रुपये, १९४९–५० में १३४ करोड़ रुपये, १९५०–५१ में ८१ करोड़ रुपये से कुछ कम, १९५१–५२ में २३० करोड़ रुपये, १९५२–५३ में १६३ करोड़ रुपये और १९५३–५४ में लगभग ६४ करोड़ रुपये का खाद्यान्न हमें आयात करना पड़ा । अतः सभा को यह ज्ञात होगा कि हमें खाद्यान्नों पर १९५१–५२ में २३० करोड़ रुपये से लगा कर चालू वर्ष में ६४ करोड़ रुपये तक विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ा । सभा इस बात से सहमत होगी कि हम खाद्यान्नों की आवश्यकताओं के बारे में लापरवाही नहीं कर सकते थे । कच्चे माल की कमी होने पर हमें अपने बढ़ते हुये उद्योगों के लिये कच्चे माल का भी आयात करना था । जो शेष बचता था उसे हमें अपने उपभोक्ता वस्तुओं के लिये काम में लाना था । इस प्रकार हमें अपनी आयात नीति का समन्वय विदेशी विनिमय की उपलब्धि के अनुसार करना पड़ता था । मेरे विचार से यहां यह बताना लाभदायक होगा कि विदेशी विनिमय की उपलब्धि के परिणामस्वरूप हम यथासम्भव किस प्रकार उदार हुये और किस प्रकार निर्बन्धनकारी हुये जब कि निर्बन्धनकारी होना अत्यन्त आवश्यक था ।

जैसा कि मैं ने पहले बताया था, विदेशी विनिमय का हमारा उपयोग भुगतान अन्तर पर निर्भर होता है । हमें इस पर भी ध्यान देना था कि विदेशी विनिमय के हमारे स्रोत बहुत थोड़े कभी नहीं थे । अतः हमारे लिये अपने प्राचीन उद्योगों को संरक्षण देना सम्भव प्रतीत हुआ । १९४९ के उत्तरार्ध में आयात नीति पर्याप्त रूप से निर्बन्धनकारी थी क्योंकि आयात निर्यात व्यापार अन्तर की स्थिति अधिक आयात और कम निर्यात के कारण काफी गिरती जा रही थी । १९५० में यद्यपि आयात नीति में इसी प्रकार के निर्बन्धन लागू थे । फिर भी जहां देश के विस्तृत हितों की दृष्टि से कतिपय कठोर निर्बन्धनों को ढीला करना आवश्यक समझा गया वहां उन्हें ढीला करने के लिये उनमें

[श्री करमरकर]

सुधार करने अथवा उनका पुनः समन्वय करने के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करना था ।

वर्ष १९५१ के पूर्वार्ध में आयात निर्यात व्यापार अन्तर की स्थिति में काफी सुधार दिखाई पड़ा और भारत के अतिरेक निर्यात होने लगे । इसलिये अब आयात नियन्त्रण पर्याप्त रूप से ढीला किया जा सकता था । वास्तव में उस वर्ष तो समस्या विदेशी बाज़ारों से संभरण प्राप्त करने की थी, और न कि आयातों को निर्बन्धित करने की । वह एक असाधारण वर्ष था । वर्ष १९५१ एक ऐसा वर्ष था जो कि इंगलिस्तान की सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये पौंड पावने के साथ साथ अदृश्य प्राप्ति और निर्यात अतिरेक के संदर्भ में एक उदारीकृत आयात नीति का वर्ष था ।

वर्ष १९५२ में दो महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्य दृष्टिगत हुए । प्रथम, डालर प्राप्ति और स्टर्लिंग क्षेत्र के व्यय में काफी बड़ा अन्तर रहा । दूसरा, कोरिया की शान्ति-वार्ताओं के फलस्वरूप, सारी दुनिया में माल की कमी होनी बन्द हुई और क़ीमतें घटने लगीं । घरेलू मोर्चे पर भी यह देखा गया कि कुछ आयातित माल बहुत अधिक इकट्ठा हो गया था और कई क्षेत्रों में मूल्य गिरने लगे । आयात निर्यात व्यापार अन्तर की स्थिति भी अनुकूल नहीं थी और केवल समुद्र तथा वायुमार्ग से वर्ष के प्रथम चतुर्थांश में प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन लगभग ९५ करोड़ रुपये का था । फिर भी उस स्थिति को वास्तव में शोचनीय नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि उस वर्ष आय व्ययक भाषण देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने उस घाटे को एक "आयोजित घाटा" बताया था । उस वर्ष के लिये हमें अपनी आयात-नीति को तदनुसार आयोजित करना था ।

वर्ष १९५३ में अनेक नई मदें नवागन्तुकों के लिये खोल दी गईं और अभ्यंश-अनुज्ञप्तियां (कोटा-लाइसेंसों) का न्यूनतम मूल्य भी बढ़ा दिया गया । भुगतान-अन्तर की स्थिति के कारण ही ऐसा करना सम्भव हुआ था । वर्ष १९५४ में विदेशी विनिमय की स्थिति और सरल हुई और पंच वर्षीय योजना के अधीन फैलती हुई अर्थ व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये आयात और निर्यात दोनों के ही उच्च स्तर कायम करने का प्रयत्न किया गया । १९५४ में भारत सरकार द्वारा घोषित आयात नीति का निर्देश आयातों के अधिक उदारीकरण और उन अनावश्यक निर्बन्धनों को वापस लेने की ओर था जो देश की बदलती हुई दशाओं में आवश्यक नहीं समझे जाते थे । मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि उस वर्ष इन प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर नीति बनायी गयी थी :

(क) कच्चे माल की कमी को दूर करने और सन्तोषजनक स्तरों पर उन के भांडार बनाये रखने के लिये उदार उपबन्ध करना;

(ख) देशी उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान रखते हुये पूंजीमाल के आयात के लिये उदार उपबन्ध करना;

(ग) आवश्यक उपभोक्ता माल के आयात के लिये अधिक उपबन्ध करना क्योंकि उस क्षेत्र की उपेक्षा हम नहीं कर सकते थे ;

(घ) देशी उत्पादन के लिये एक स्तर कायम करने के हेतु प्रतीक आयातों की योजना को जारी रखना ; और

(ङ) ऐशोआराम की उन वस्तुओं के आयात में थोड़ी वृद्धि की

गई और इनके लिये व्यापार तथा तटकर सम्बन्धी सामान्य क़रार संगठन के अनुमोदन से आयात-शुल्क बढ़ा दिया गया था।

इस प्रकार जनवरी से जून, १९५४ की अवधि में २२ मदों का आयात कोटा उद्धार किया गया था। क़रीब १७ नई मदें भी नये लोगों के लिये खोल दी गयी थीं।

पहले की अनुज्ञापन अवधियों में प्राप्त अनुभव से तथा विदेशी विनिमय की सुधरी हुई स्थिति के कारण १९५४ के उत्तरार्ध में आयात नीति और अधिक उदार की गयी। प्रतीक अभ्यंश योजना के मदों की सूची काफी विस्तृत कर दी गयी थी।

चालू वर्ष १९५५ के पूर्वार्ध में, जिसके लिये ३० दिसम्बर, १९५४ को आयात नीति घोषित की गयी थी, सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन कर के आयात-व्यापार को अधिक उदार करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव हो सका। अनेक महत्वपूर्ण मदों के लिये उदार अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) योजना लागू की गयी। निषिद्ध सूची की कुछ मदों के लिये प्रतीक कोटा निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त डालर क्षेत्र से माल के आयात के लिये, जिनमें धातु का काम करने के औजार तथा मशीनरी सम्मिलित है, छूट दी गयी है। इस वर्ष के पूर्वार्ध के लिये इस प्रकार की नीति थी।

हम अपनी आयात-नीति के वर्तमान रूप को "प्रवृत्य उदारीकरण" कह सकते हैं। हम उन मदों को चुनते हैं जहां उदारीकरण न्यायोचित होता है। जब कि उपभोक्ता माल, कच्चा माल और पूंजी माल के सम्बन्ध में आयात नीति में पर्याप्त उपबन्ध किया गया है, हम निकट भूत काल में अपनी आयात नीति में एक बड़ा परिवर्तन देखते हैं। यह परिवर्तन केवल विदेशी विनिमय के विचार से ही नहीं किया गया है, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि विकास कार्यों के लिये संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये विदेशी विनिमय की स्थिति में भी यह आवश्यकतायें बहुत अधिक होंगी। जैसे जैसे देशी उद्योग बढ़ते जायेंगे और हम नवीन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में बनाते जायेंगे वैसे ही यह विचाराधीन वस्तुयें या तो प्रतिबन्धित हो जायेंगी या एकदम ही बन्द हो जायेंगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक मार्ग आयात का, उन पर आयात-शुल्क बढ़ा कर और अधिक उदारीकरण करना है। इस से न केवल हमारी आवश्यकता का अधिक से अधिक भाग प्राप्त होता है अपितु यह विदेशी विनिमय के व्यय पर एक प्रतिबन्ध भी लगाता है। आगे भी आयात व्यापार की विशिष्टताओं के बदलने की आशा है। परन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि आयात निम्न स्तर पर होंगे। इस देश में खपत में वृद्धि होने, राष्ट्रीय आय के बढ़ने और समाजवादी समाज के विकास कारण आयात के परिमाण में वृद्धि होगी; परन्तु साथ ही निर्यात की आवश्यकता भी और बढ़ जायेगी। आगे चल कर निर्यात और आयात का परिमाण आज की अपेक्षा बहुत ऊंचे स्तरों पर होगा।

यही हमारा ध्येय है। मैं ने सभा का ध्यान आयात नियंत्रण सम्बन्धी विचारों की ओर आकर्षित किया है क्योंकि पिछले दिनों बहुत बार जब कभी हमने किसी वस्तु विशेष के आयात पर रोक लगाई या उसमें छूट दी तो हमें आलोचना का सामना करना पड़ा। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता था कि हमारे समक्ष

[श्री करमरकर]

दोहरा लक्ष्य है । एक है विदेशी विनिमय की उपलब्धता में वृद्धि की जाये और दूसरे यह कि उपलब्ध विदेशी विनिमय को समुचित रीति से खर्च किया जाये । हमारी नीतियां सदैव ही आधारभूत विचारों, जैसे समुचित मात्रा में खाद्यानों का आयात, दूसरे उद्योगों को अपेक्षित कच्चा तथा पूंजी माल उपलब्ध कराने तथा तीसरे उपभोक्ता वस्तुओं पर विदेशी विनिमय को समुचित रूप से व्यय करने के विचार से प्रभावित होती रही है । इस प्रकार हम अपने आयात नियंत्रण को विनियमित करते रहे हैं । और इस रोक लगाने तथा छूट देने का तथा उपलब्ध विदेशी विनिमय को अपनी आवश्यकतानुसार व्यय करने का परिणाम यह रहा है कि हमारा पौण्ड पावना अभी तक अक्षुण्ण है और वह हमारे भावी औद्योगिक विकास में सहायक हो सकेगा ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, युद्ध काल में प्रश्न निर्यातों को नियंत्रित करने का था । अब निर्यात के सम्बन्ध में हम जो उपाय करते हैं उन को निर्यात नियंत्रण कहना भूल होगी । वास्तव में वह तो निर्यात प्रोत्साहक हैं । प्रायः ९० प्रतिशत वस्तुयें मुक्त अनुज्ञापन के अन्तर्गत हैं । अब हमें यह देखना है कि क्या स्वयं हमारे देश की मांग के कारण निर्यातों के सम्बन्ध में मुक्त अनुज्ञापन को जारी रखना क्या एक तरह से ही कठिन हो गया है । उदारहण के लिये भक्षणीय तेलों को लीजिये । उन के सम्बन्ध में हमें यह देखना है कि कहीं देश में उन की प्रदाय कम न हो जाये । ऐसी वस्तुओं के विषय में हम कह सकते हैं कि हम निर्यात नियंत्रण करते हैं, और यह नियंत्रण हम देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही करते हैं । मुझे आशा है कि सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि देश को उस की आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना अच्छी नीति नहीं है ।

हमारा निर्यात प्रोत्साहन धीरे धीरे फलीभूत हो रहा ह । गत पांच वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार का ढंग धीरे धीरे बदलता जा रहा है । युद्ध से पूर्व हम अधिकांश रूप से कच्चे माल का निर्यात किया करते थे । अब पासा पलटता जा रहा है, हमने उसे काफ़ी पलट दिया है ।

हम में से कुछ लोग अवश्य हीन भाव वाले हैं, जिससे हमें विश्वास होता है कि हमारे उत्पाद विदेशी उत्पादों से अवश्य ही घटिया हैं । माननीय सदस्यों ने आज प्रातः एक खबर पढ़ी होगी—और यह सच भी है—कि हमारे डीजल इंजिनों के लिये जर्मनी जैसे उद्योग में अग्रसर देश ने भी आर्डर दिया है—चाहे वह आर्डर बहुत थोड़े इंजिनों के लिये हो और चाहे यह एक प्रकार का प्रतीक आर्डर ही हो । इसलिये जहां तक हमारे उत्पादों का सम्बन्ध है, हमें किसी प्रकार का हीनभाव नहीं रखना चाहिये । हमारा देश अभी विकासोन्मुख है और हम बड़ी मंथर गति से विकास की ओर जा रहे हैं और हमारे देशवासियों के अन्दर बुद्धिमत्ता की भी कोई कमी नहीं है । हमारे पास कई बातों की टेकनीकल विशिष्टता न हो, किन्तु हम उस कमी को समस्त सम्भव तरीक़ों से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार में थोड़े ही समय के अन्दर हमारे उद्योग के वे परिणाम निकले हैं जो कि हमारे लिये श्रेय की बात है । मैं उद्योग के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में ऐसा कहना नहीं चाहता, क्योंकि कई पहलुओं में अभी विकास तथा सुधार होना आवश्यक है—किन्तु हमारे लिये यह बड़ी प्रसन्नता-सूचक एवं स्वस्थ बात है कि विदेशी हमारे माल में पर्याप्त रुचि दिखा रहे हैं ।

मेरे विचार में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक आयात नियंत्रण के चलाने का प्रश्न है--उस सम्बन्ध में भी हम अनुभव से सीख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आरम्भ में हमने अवश्य ही कुछ गलतियां भी की हैं । जब लाखों अनुज्ञप्तियों के जारी करने का प्रश्न आ जाता है तो यह समस्या कठिन हो जाती है । तीन साल पहले हमने एक प्रयोग का अनुभव किया और नव-आगन्तुकों के लिये अनुज्ञप्तियों को खुला छोड़ दिया । इसके बाद वर्ष के उत्तरार्द्ध में हमारे पास लाखों आवेदनों का ढेर लगने लगा—मेरे पास ठीक आंकड़े तो नहीं है--मेरे विचार में एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुये और हम बड़ी कठिनाई में फंस गये । प्रायः यह प्रश्न उठा और प्रायः हमारी यही आलोचना होती रही कि हम संस्थापित आयातकों का पक्ष लेते हैं । आप सोचें कि यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिये आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियों को खुला छोड़ दें तो इससे एक प्रकार की धान्धली मच जायेगी—इस लिये आयात तथा निर्यात के नियंत्रण में.....

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : आप इस व्यवस्था का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं करते ?

श्री करमरकर : हम विकेंद्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) धान्धली अथवा भ्रष्टाचार ?

श्री करमरकर : जहां तक माननीय सदस्य के विचारों का सम्बन्ध है, भ्रष्टाचार और तब उसके बाद की धान्धली । जहां तक हमारा सम्बन्ध है—हम तो अन्धेरे से उजाले की ओर आ रहे हैं । सम्भवतः माननीय सदस्य की प्रगति उलटी ओर को है । खैर, यह तो दूसरा मामला है और इसका निर्णय वह स्वयं ही करेंगे । । मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र तनिक गम्भीर रहें—क्योंकि मैं उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं—और कई बार उनके ऐसी लापरवाही से कहे हुये शब्दों से सम्मान को एक धक्का सा लगता है--और लापरवाही पूर्णतया संसदीय शब्द है ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, जहां तक अनुज्ञप्तियां देने वाले विभाग का सम्बन्ध है—मैं सरकारी कागजात के उल्लेखों से यह सिद्ध कर सकता हूं कि ऐसी-वैसी बातें उसमें होती हैं । तो फिर उस में क्या अन्तर है ?

श्री करमरकर : जहां तक माननीय मित्र का सम्बन्धहै उनके लिये तो सम्भवतया यही विकल्प हो सकता है—और वह इन में से एक को चुन सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि इन दो में से एक को चुनना है तो मैं धांधली को ही चुनूंगा ।

श्री करमरकर : किन्तु हमारा विकल्प वह नहीं है जैसा कि मैं ने कहा, जब काम नया था तब बहुत से लोगों ने बहुत सी अस्पष्ट बातों का लाभ उठाया । मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिसमें हमें बहुत सी कठिनाइयां हुईं । हम अपने दफ्तर में अपनी बुद्धि से कई बार यह विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ हमने कहा है उसमें एक विशेष वस्तु भी आ ही जायेगी किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । उदाहरण के लिये एक घटना हुई, और पैंसिलों के स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के लिये हमने कह दिया कि १६ रुपय ग्रुस मूल्य वाली पैंसिलों का आयात न किया जाये । किन्तु हमने देखा कि ४५ रुपये के ग्रुस की पैंसिलों के गट्ठे आये और हमारा शुल्क कलैक्टर इसे रोक न सका ।

[श्री करमरकर]

क्योंकि कठिनाई यह थी कि प्रत्येक पैंसिल ९ इंच के स्थान पर ३६ इंच लम्बी थी और हमने पैंसिल की परिभाषा इस प्रकार नहीं की थी कि पैंसिल लिखने की एक ९ इंच लम्बी वस्तु होती है। सो यह बात हुई। अब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं किन्तु यह अलग मामला है। इसलिये यह सारी छोटी छोटी कठिनाइयां हैं जिनका सामना आयात-नियंत्रण विभाग को करना पड़ता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र विदेशी विनिमय के उपयोग तथा अनुज्ञप्तियों के तरीक़ों पर विचार करें और उनका ध्यान-पूर्वक अध्ययन करें—और मैं इस कार्य में उनकी सहायता करने के लिये भी तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि माननीय मित्र निष्पक्ष हो कर और यह भूल कर कि मैं एक अन्य पंक्ति में बैठता हूं इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे—तो वह मेरे इस वक्तव्य के साथ पूर्णतया सहमत होंगे कि वह समय जिसके सम्बन्ध में वह निर्देश कर रहे हैं अब लगभग समाप्त हो चुका है। मैं यह नहीं कहता कि आयात-नियंत्रण अथवा निर्यात की जो नीति हमने अपना रखी है शत प्रतिशत सही है, यह तो उस अवस्था में बिल्कुल असम्भव है जब कि हमें लाखों आवेदनों से पाला पड़े। किन्तु मुझे माननीय मित्र को यह बता कर प्रसन्नता होती है, और जैसा कि उद्योग तथा वाणिज्य वालों ने स्वयं भी माना है—कुछ एक लोगों को छोड़ कर (अथवा कहना चाहिये केवल एक ही मित्र के अतिरिक्त) जिन्होंने कभी कभी कहा है.....

श्री एस० एस० मोरे : क्या मंत्रियों का यह विशेषाधिकार है कि वे अध्ययन के बिना भी बोलें ?

श्री करमरकर : दुर्भाग्य से मेरा यह स्वभाव ही रहा है कि मैं सदैव बोलने से पूर्व अध्ययन करता हूं। माननीय मित्र के साथ सम्भवतः दूसरी ही बात हो।

खैर यह मामला दूसरा है और मैं उनके स्वभाव के लिये उन से विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि जिस तरीके से वह क्षण-क्षण में ही उठते हैं उससे पता चलता है कि वह आपे से बाहर हो जाते हैं। किन्तु मैं उन से बड़े ही शिष्ट भाव से सब कुछ कहता हूं। आज सायं मैं माननीय मित्र के विचारों के बारे में और अधिक न कहूंगा। मुझे आशा है कि माननीय मित्र भी अब यह निश्चय करेंगे कि बोलने से पूर्व अध्ययन कर लिया जाये। यदि वह ऐसा करें तो मैं उनके मुख से कड़ी से कड़ी आलोचना भी सुनने के लिये तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस एक दिन में वह कोई स्पष्ट बातें कहें और वाद-विवाद के दौरान स्वस्थ आलोचना करें।

श्री यू० एस० त्रिवेदी (चित्तौड़): औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री तथा श्री मोरे के मध्य यह व्यक्तिगत वार्ता हो रही है और क्या इसे चलने दिया जाये ?

श्री करमरकर : एक ही अन्तर्बाधा बुरी थी और दूसरी इस स्थिति में और भी बुरी है।

मैं अब इन अन्तर्बाधाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा किन्तु मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाऊंगा और वह यह है। हम उस मंत्रणा के लिये आभारी हैं जो कि हमें वाणिज्य तथा उद्योग वालों ने, तथा संसद् के सदस्यों ने दी और हमारा जो मार्गदर्शन जनता की राय ने किया वह भी लाभदायक रहा है—और हम अब यह कह सकने योग्य हैं कि हमारी आयात-निर्यात की व्यवस्था ऐसी है जिससे समस्त सम्बद्ध

लोगो म संतोष है। मैं यह नहीं कहता कि हम इससे प्रसन्नता होनी चाहिये—क्योंकि सुधार के लिये तो सदैव ही गुंजाइश होती है किन्तु मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं कि सभा में एसी बातें कही जायें जो सत्य न हों।

आयात तथा निर्यात-नियंत्रण के इस उपाय को लागू करने के बारे में मै संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्राकृतिक रूप से ही आयात तथा निर्यात नियंत्रण के विषय ऐसे विषय हैं जिन में माननीय सदस्यों का अधिक रुचि रखना आवश्यक है।

बैठने से पहले मैं पुनः यह बात कहना चाहूंगा कि हम लोग उन अच्छे परिणामों से भी इतने प्रसन्न नहीं हैं जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं—'हम' से मेरा अभिप्राय उन सारे लोगों से है जोकि आयात तथा निर्यात नियंत्रण के मोहकमों के प्रबन्ध के प्रभारी हैं। दूसरे दलों के माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का मैं सदैव स्वागत करता हूं। वास्तव मे, सभा में आंकड़े आदि देने का कारण ही यह था कि मैं इन तथ्यों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता था और उनके विचार जानना चाहता था—क्योंकि इस विधेयक पर जो चर्चा होती है हम उसस लाभ उठाने की आशा अवश्य करते हैं। हम इस विधेयक को यों ही शीघ्रता से पारित करना नहीं चाहते जैसे कि इस विधेयक का कोई महत्व ही न हो। इसी विचार से मैं कहता हूं कि मैं रचनात्मक सुझावों का सदैव स्वागत करूंगा। खैर, किसी प्रकार भी मैं आशा करता हूं कि कल श्री एस० एस० मोरे रचनात्मक सुझाव अवश्य देंगे

श्री एस० एस० मोरे : कल इस पर वादविवाद ही नहीं होगा।

श्री करमरकर : उससे अगले दिन। मेरे माननीय मित्र एक योग्य वकील हैं और मैं भी पहले वकील था। अतः मेरे लिये कल का अर्थ है कि जब दूसरी बार विषय पर वाद-विवाद हो; उनके कल का अर्थ कल है चाहे कल कुछ भी हो।

इन कुछ विचारों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस विधेयक के सभा के समक्ष रखे जाने पर मुझे एक संवैधानिक आपत्ति है यह अर्थ-विधेयक है अधिनियम का धारा ४ क में देय के लिये जाने का उपबन्ध भी है और यदि इस प्रकार से देय (फीस) लिये जायें तो वह टैक्स कर बन जाता है और इसी लिये यह एक वित्त विधेयक बन जाता है। इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी नहीं है और राज्य सभा में इस का पुरःस्थापित किया जाना भी गलत है अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये निर्धारित अगले दिन भी इस पर वाद विवाद जारी रहेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार २ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—674 LSD—18-7-55—000